असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 फरवरी, 2021

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 26 फरवरी, 2021 ई0
द्वितीय सत्र — 07 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक सूचना है । पूरे बिहार की रसोईया बहनें आज सड़क पर आई हैं। महोदय, उनके साथ अन्याय रहा है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम : 50 रू0 प्रतिदिन मजदूरी देकर 8 घंटा से अधिक काम लिया जा रहा है और 12 महीने का साल होता है उसमें भी 10 ही महीना का उनको मजदूरी दी जाती है । महोदय, यह अन्याय है और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने और मजदूरी बढ़ाने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब हो गया, बैठ जाइये ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 15 (श्री भरत बिन्द)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ की अध्यक्षता में गठित टेक्निकल कोर कमिटी की दिनांक-12.10.2010 एवं दिनांक-24.11.2010 की बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभगीय संकल्प सं0-409(12) दिनांक-09.05.2011 द्वारा जिला अस्पताल से प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक के बाह्य रोगियों के लिये 33 एवं अर्न्तवासी रोगियों के लिये 112 प्रकार की दवाओं को आवश्यक औषधि की सूची (EDL) के रूप में चिन्हित किया गया था ।

पुनः वर्ष 2018 में टेक्निकल कोर कमिटी के द्वारा Therapeutic category-wise संशोधित करते हुए स्वास्थ्य संस्थानवार आवश्यक औषधियों की नयी सूची स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक-291(12) दिनांक-21.03.2018 द्वारा यथा निर्णित है ।

उक्त के आलोक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) के बाह्य रोगी कक्ष के लिए 55 एवं अर्न्तवासी रोगी के लिये 59 प्रकार की औषधियाँ तथा 29 Medical Devices & Consumable चिन्हित किया गया है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

वर्ष 2011 में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प से निर्णित EDL के अनुसार जिला अस्पताल से प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक के OPD में 33 एवं IPD में 112 प्रकार की औषधियॉं उपलब्ध करायी जा रही थी ।

3- उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री भरत बिन्द : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि बिहार में कितने CHC एवं APHC में टेक्निकल कोर कमिटी की अनुशंसा के आलोक में दवाईयॉं अस्पताल को आपूर्ति की जा रही हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में इस बात की जानकारी दी है कि CHC में बाह्य रोगी कक्ष के लिए 55 एवं अर्न्तवासी रोगी के लिए 59 प्रकार की औषधियॉं तथा 29 मेडिकल डिवाइस और कंज्यूमेबल दिया जा रहा है ।

श्री सुधाकर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में यह जानकारी दी कि 2019-20 सत्र की राज्य में ऐसे भी 5 जिले हैं जैसे- किशनगंज, पश्चिमी चम्पारण, अररिया, जहॉं एक लाख की आबादी पर मात्र 5 डॉक्टर हैं । ऐसी परिस्थितियों में कैसे अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है और टेक्निकल कोर कमिटी द्वारा निर्धारित औषधियों को बिहार के मरीजों को कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है ? जब आपके पास डॉक्टर नहीं हैं तो ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : नहीं महोदय, यह सत्य है कि जितने पद सृजित हैं चिकित्सकों के, विशेषज्ञ चिकित्सकों के, सृजित पद के आलोक में शत-प्रतिशत चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं है और उसके आलोक में सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है । पिछले वर्ष भी अगस्त महीने से लेकर सितम्बर महीने के बीच में विशेषज्ञ चिकित्सक और सामान्य चिकित्सकों के लगभग 4 हजार पदों पर भर्त्ती की गई, उनकी पदस्थापना की गई और इसी वर्ष फिर जनवरी महीने में और अभी फरवरी के प्रथम सप्ताह में बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जो चिकित्सकों के पद खाली हैं, उन पदों पर चयन के लिए अधियाचना भेजी गई है ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर सवाल है, पूरे बिहार का मामला है, कोई एक जिला का मामला नहीं है ।

अध्यक्ष : जवाब भी तो गम्भीरता से दिये ।

श्री सुधाकर सिंह : कहॉं गम्भीरता से दिये ? वही तो हमारा सवाल है । अध्यक्ष महोदय, गम्भीर सवाल है । राज्य के लगभग 205 से अधिक PHC को CHC सेन्टर में उत्क्रमित कर दिया गया, लगभग 700 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माण किया गया ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछें ।

श्री सुधाकर सिंह : इसी पर बोल रहे हैं सर । CHC और PHC का ही मेरा सवाल है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो विषय पूछा जा रहा है, उसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार जायसवाल । मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

(व्यवधान)

अब आगे बढ़ गया ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16 (श्री पवन कुमार जायसवाल)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, 1– स्वीकारात्मक है ।

2 एवं 3– सर्पदंश को प्राकृतिक आपदा/स्थानीय प्रकृति की आपदा के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है । यद्यपि बाढ़ अवधि के दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश के कारण हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा जनित कारण मानते हुए SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मान दर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान देय है । बाढ़ अवधि के बाद सर्पदंश को प्राकृतिक आपदा जनित कारण नहीं माना गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, डायरेक्ट पूरक पूछ लेते ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : पूरक पूछ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर आपके संरक्षण की जरूरत है । तत्कालीन वन मंत्री सुशील मोदी जी ने इसी सदन में एक वर्ष पूर्व कहा था कि बाढ़ के बाद अन्य दिनों में अगर सर्पदंश की घटना होगी तो वन विभाग से उसको 5 लाख रूपया दिया जायेगा लेकिन पूरे राज्य में यह व्यवस्था कहीं लागू नहीं हो पाई है ।

मेरा आग्रह है कि अगर यह प्रश्न आपदा से नहीं होगा तो इसको वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाय और इसका उत्तर अगले दिन करवा दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जायं । एक बार सुन लें ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : यह आपदा में है नहीं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो है कि सर्पदंश पर मृत्यु होने पर 4 लाख का मुआवजा आपदा के समय मिलता है । अध्यक्ष महोदय, पिछले 2020 में मेरा ही अल्पसूचित प्रश्न था और सरकार ने कहा था कि वन्य प्राणी....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । समय बचाने के लिए पूरक पूछिये ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों का प्रश्न लिया जा सके ।

श्री संजय सरावगी : पूरक ही पूछ रहे हैं सर । काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे बिहार राज्य का मामला है तो जरा भूमिका बॉधकर मैं बोलूँगा तो ध्यान में आयेगा ।

महोदय, सर्प वन्य प्राणी है इसीलिए वन विभाग में 5 लाख मुआवजा मिलेगा, जो भी अप्लाई करेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है, हजारो-हजार लोगों की सर्पदंश से मृत्यु होती है । मेरा आग्रह यह होगा क्योंकि सरकार का सामूहिक नेतृत्व है, इस प्रश्न को वन विभाग में हस्तांतरित कर दीजिए ताकि इसका जवाब आ सके, जनहित का यह मामला है । महोदय, इसको वन विभाग में हस्तांतरित कर दीजिए और आगे जिस दिन समय मिलेगा उस दिन वन विभाग जवाब देगा । यह बहुत महत्वपूर्ण इशू है इसलिये मैं यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, इसको लागू किया जाय...

अध्यक्ष : चलिये, एक ही विषय है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, वन्य प्राणी में दो तरह का है, इसमें 4 लाख है और 5 लाख है। इसलिए समेकित रूप से 9 महीना वन विभाग देगा और 3 महीना आपदा विभाग देगा । यह निर्णय करा दें चूंकि एकरूपता रहनी चाहिए । राशि 5 लाख होना चाहिए, 4 लाख नहीं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, सभी लोगों का आग्रह है कि इसको कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अगर वन विभाग से रिलेटेड है तो वन विभाग में भेज दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-17 (श्री ललित कुमार यादव)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, 1, 2 एवं 3- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में B.D.S. से उच्चतर योग्यता M.D.S. डिग्रीधारी सीनियर रेजिडेंट (S.R.), सहायक प्राध्यापक-सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक डेंटिस्ट्री का पद स्वीकृत है, जिसके माध्यम से दन्त चिकित्सा का लाभ आम जनता को प्राप्त हो रहा है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेजिडेंट (J.R.) का पद अनिवार्य नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए जूनियर रेजिडेंट का पद होता है जबकि मेडिकल कॉलेज में भी सहायक प्राध्यापक-सह-प्राध्यापक होते हैं, तो

B.D.S. छात्र के लिए J.R. का पद क्यों नहीं ? जहॉ तक सवाल नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) का सवाल है, NMC का कहना यह नहीं है कि अनिवार्य या अनिवार्य नहीं है । लेकिन पद नहीं रहने के कारण J.R. का पद B.D.S. वाले के लिए भी स्वीकृत किया जाय । NMC यह नहीं कहता है कि अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है, आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न आपका क्या है ?

श्री ललित कुमार यादव : मेडिकल कॉलेज में जैसे J.R. का पद होता है उसी तरह से B.D.S. कॉलेज में भी J.R. का पद माननीय मंत्री जी, उसको स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : सुझाव है इनका ।

श्री ललित कुमार यादव : सुझाव नहीं महोदय । मैं मंत्री जी से जवाब चाह रहा हूँ ।

अध्यक्ष : पूरक पूछे क्या आप ?

श्री ललित कुमार यादव : J.R. का पद मेडिकल कॉलेज में जैसे है, उसी तरह से B.D.S. महाविद्यालय में भी करना चाहते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष : हॉ, यह पूरक हुआ ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में स्पष्ट किया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेजिडेंट का पद अनिवार्य नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है तो हम विचार कर लेंगे ।

टर्न-2/अभिनीत/अंजली/26.02.2021

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-18 (श्री अरूण शंकर प्रसाद)</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वर्तमान में राज्य में दिनांक 15.02.2021 तक 331 स्वास्थ्य उप केंद्र, 893 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 98 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुल 1322 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर विकसित किये गये हैं ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर 12 प्रकार की बीमारियों की सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी है । इनमें से प्रथम सात प्रकार की सेवाएं सभी क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध हैं । शेष 5 प्रकार की सेवाओं को भी चरणबद्ध तरीके से इन केंद्रों पर उपलबध करा दिया जायेगा ।

खंड-3 बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2020 में माह जुलाई से सितम्बर तक कुल 929 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 3186 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति कर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है । वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा

पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं । उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । राज्य में स्टॉफ नर्स ग्रेड-ए के रिक्त पदों की संख्या 9130 पर चयन हेतु भेजी गयी अधियाचना के विरूद्ध बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अभी तक 5097 नर्स ग्रेड-ए की अनुशंसा प्राप्त हुई है जिनका पदस्थापन विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में किया गया है । शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राज्य में ए0एन0एम0 के रिक्त पदों पर भेजी गयी अधियाचना के विरूद्ध बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कुल 6480 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई थी जिसके आलोग में ए0एन0एम0 के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु कुल 6293 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया है । ए0एन0एम0 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जिला से रोस्टर की कार्रवाई की जा रही है । रोस्टर क्लीयरेंस प्राप्त होते ही शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित कर दी जायेगी । राज्य के पारा मेडिकल अर्थात फार्मासिस्ट के 1539, शल्य कक्ष सहायक के 1096, ई0सी0जी0 तकनीशियन के 163 एवं एक्स-रे तकनीशियन के 803 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित है । प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के 1772 पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है । मार्च, 2020 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आलोक में 181 शल्य सहायकों की नियुक्ति की गयी है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ये भारत सरकार और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सरकार कब तक चिकित्सकों की बहाली कर देगी और क्या माननीय मंत्रीजी इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित करना चाहते हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग इस विषय पर गंभीर है और मैंने अपने जवाब में बताया है कि पिछले ही साल जुलाई से सितम्बर महीने के बीच में 4 हजार चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है और फिर तुरंत जैसे ही सरकार गठित हुई है उसके दो महीने के अंदर जो शेष बचे हुए पद हैं उसकी अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गयी है । उसी प्रकार से ए0एन0एम0 और जी0एन0एम0 के जो नर्सेज हैं 11.5 हजार से अधिक नर्सों की नियुक्ति पिछले वर्ष की गयी है, उसका भी मैंने विस्तार से इस जवाब में चर्चा किया है और शेष बचे हुए पद अभी भी हैं, जो पद खाली हैं उनकी नियुक्ति की भी प्रक्रिया चल रही है । यह नियुक्ति बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से होना है, वहां से जब नामों की अनुशंसा प्राप्त होती है तभी हम उनको पदस्थापित कर सकते हैं । हम लगातार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के संपर्क में हैं कि जल्द-से-जल्द वहां से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर हमें नाम दिया जाय ।

अध्यक्ष: चलिए, उत्तर स्पष्ट है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: महोदय, मेरा कहना है कि...

अध्यक्ष: अब लास्ट पूरक प्रश्न है आपका ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: नहीं-नहीं, महोदय, तीन पूरक प्रश्न है । आपके आसन का ही निर्देश है । महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि 12 प्रकार की जो दवाइयां हैं क्या वे सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध हैं ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, लगता है माननीय सदस्य ने मेरे जवाब को ठीक से नहीं सुना । मैंने 12 प्रकार की सेवाओं की बात की थी और आपने 12 प्रकार की दवाओं की बात सुन ली । मैं पूरा जवाब दे देता हूँ, 12 प्रकार की सेवा भी सदन के सभी माननीय सदस्य जान जाएं तो अच्छी बात होगी । पहला है सामान्य गर्भावस्था एवं सामान्य प्रसव सेवाएं, नवजात एवं शिशु सामान्य स्वास्थ्य देख-भाल सेवाएं, बाल्यावस्था एवं किशोर सामान्य स्वास्थ्य देख-भाल सेवाएं, परिवार नियोजन एवं गर्भ निरोधक तथा सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य देख-भाल सेवाएं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुसार संचारी रोगों का सामान्य प्रबंधन, बीमारियों का आउट पेसेंट के माध्यम से सामान्य प्रबंधन, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग सामान्य प्रबंधन, जीर्ण रोगों, क्षय एवं कुष्ट रोगों का सामान्य प्रबंधन, नेत्र एवं ई0एन0टी0 से संबंधित सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं, मौखिक स्वास्थ्य एवं दंत देख-भाल से संबंधित सामान्य सेवाएं, वृद्धावस्था एवं पॉलिएटिव हेल्थ केयर से संबंधित सामान्य देख-भाल सेवाएं, सामान्य चिकित्सीय आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की सामान्य प्रबंधन ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अभी मंत्रीजी ने बताया कि बी0पी0एस0सी से, चाहे डॉक्टर्स हों, नर्स हों या और भी जो मेडिकल सपोर्टिंग स्टॉफ हैं उनकी नियुक्ति की जाती है । माननीय मंत्रीजी से हम बस इतना जानना चाहते हैं कि बिहार में पर आबादी के हिसाब से कितने डॉक्टर्स हैं और कितने पद रिक्त हैं । महोदय, डब्ल्यू0एच0ओ0 का क्या गाइडलाईन है और भारत सरकार का नेशनल एवरेज क्या है ? आबादी के अनुपात से...

अध्यक्ष: इसके लिए अलग से प्रश्न ले आइयेगा, इस तरह से काफी लंबा हो चुका है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: नहीं, इन्होंने उत्तर में खुद बताया है कि इतने डॉक्टरों एवं नर्सों की नियुक्तियां की गई हैं तो हम जानना चाहेंगे कि वे बतायें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: नेता प्रतिपक्ष सब चीजों की जानकारी रखते हैं यह मेरे लिए भी अच्छी बात है, हम पर नेता प्रतिपक्ष की विशेष नजर रहती है और मैं भी जानता हूं यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे काम करने में हमें सुविधा होती है । महोदय, मैंने जो जवाब पढ़ा, उसमें बहुत साफ बताया है कि वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों

पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । यह मैं बता चुका हूं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, अभी जो अलग-अलग सेवाओं के बारे में बात की गयी, हम तो ऑल ओवर सिम्पल सा सवाल पूछे हैं कि कितनी आबादी पर कितने डॉक्टर होने चाहिए ।

श्री मंडल पाण्डेय, मंत्रीः जो भी सृजित पद हैं, महोदय, उसी के आलोक में बहाली होती है । यह तो बहुत ही सामान्य सी बात है ।

अध्यक्षः चलिये, अब बढ़ाइये इस विषय को ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो मिला ही नहीं । जो रिक्त पदें हैं वह तो भरना ही है लेकिन कितनी आबादी पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, आपके कितने डॉक्टर कितनी आबादी पर हैं?

श्री मंडल पाण्डेय, मंत्रीः डब्ल्यू0एच0ओ0 के अनुसार हर चीज की मान्यता है । उस संबंध में जो प्रश्न माननीय सदस्य लायेंगे तो उसका जवाब भी मैं विशेष रूप से दूंगा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-19(श्री समीर कुमार महासेठ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या- 944(14), दिनांक- 20 अगस्त, 2014 द्वारा बिहार सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है परंतु इसके अंतर्गत स्मार्ट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना नहीं थी ।

उक्त योजना ऐच्छिक है । योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता छोड़ना होगा । चिकित्सा भत्ता लेने रहने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों की मांग के आलोक में उक्त योजना में विकल्प के आधार पर शामिल सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को योजना से बाहर निकलने एवं पूर्व की तरह चिकित्सा भत्ता पुनः प्राप्त करने का प्रावधान भी संकल्प संख्या- 398(14), दिनांक- 9 मार्च, 2018 द्वारा किया जा रहा है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग । उत्तर मुद्रित है, पूरक प्रश्न पूछना है, पूरक प्रश्न पूछिये न।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, हमारे स्मार्ट मंत्रीजी हैं । हमारा डिमांड भी है स्मार्ट हेल्थ कार्ड, जो भी सेवानिवृत्त हैं, हजार रुपया देते हैं, आगे-पीछे करते-करते 8 साल से खींच रहे हैं तो स्मार्ट मंत्री जी स्मार्ट कार्ड को कब से देना प्रारंभ करेंगे ? इतनी ही बात बता दें।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः एक हजार रुपया कटता है या कटेगा, यह कोई बाध्यता नहीं है । मैंने जवाब में लिखा है कि वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मियों, पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों की मांग के आलोक में उक्त योजना में विकल्प के आधार पर शामिल सेवानिवृत्त कर्मियों, पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को योजना से बाहर निकलने एवं पूर्व की तरह चिकित्सा भत्ता पुनः प्राप्त करने का प्रावधान भी संकल्प संख्या- 398/14, दिनांक- 09.03.2018 द्वारा किया जा चुका है ।

श्री समीर कुमार महासेठः स्मार्ट कार्ड मिल ही नहीं रहा है । अगर आप इसे चालू करवा दें...

श्री मंगल पाण्डेयः स्मार्ट कार्ड का विषय नहीं है । अभी स्मार्ट कार्ड देने की कोई योजना नहीं है यदि कोई कर्मचारी चाहें तो वे ऐच्छिक रूप से इस योजना के अंतर्गत आच्छादित हो सकते हैं, यदि वह चाहें तो इस योजना से बाहर निकल भी सकते हैं । वर्ष 2018 में ही इसका आदेश निर्गत किया जा चुका है ।

श्री समीर कुमार महासेठः लेकिन अभी तक वह स्पष्ट रूप से धरातल पर नहीं उतर रहा है ।

श्री मंगल पाण्डेयः मैं पत्रांक भी कह रहा हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठः जी ।

अध्यक्षः अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्रीमती मीना कुमारी । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग । उत्तर मुद्रित है, पूरक प्रश्न पूछिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-430 (श्रीमती मीना कुमारी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखंड के जानकीनगर गांव में पूर्व से 11000 वोल्ट का लाइन स्थापित था । उक्त लाइन के नीचे वर्तमान में आबादी बस गई है । वर्तमान में इस फीडर को दूसरे मार्ग में स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है ।

श्रीमती मीना कुमारीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी द्वारा बताया गया है कि जानकी नगर गांव में पूर्व से ही 11000 वोल्ट लाईन स्थापित थी लेकिन अब घनी आबादी हो गई है और 40 साल पहले इस लाईन की स्थापना की गई थी, इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगी की अब इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष में लागू किया जाय । वहां पर

पिछले साल एक महिला की मृत्यु हो गई थी, एक मवेशी की मृत्यु हो गई और एक पुरुष जो मरते-मरते बचा है और 80 हजार रुपये उसके इलाज में खर्च हुए । ये गरीब लोग कैसे आगे उन चीजों से बचें जिससे उनको क्षति न हो, इसके लिए मैं मंत्री जी से जवाब मांगती हूँ ।

टर्न-3/आजाद/26.02.2021

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, यह अलग प्रश्न है । सवाल है कि 11हजार लाईन से आबादी का कोई मतलब नहीं है । जितनी जनसंख्या में लोग हैं, उनको लाईन दिया जायेगा । यह कह रही हैं लाईन को शिफ्ट कराने का, लेकिन सरकार का इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0-431(श्री शाहनवाज)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अररिया जिलान्तर्गत जोकिहाट प्रखंड के बलवा वार्ड नं0-02 में एक एवं मटियारी वार्ड नं0-07 में दो 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफॉर्मर वर्तमान में स्थापित है ।

गर्मी के दिनों में विद्युत की मांग अधिक होने के कारण लो वोल्टेज की समस्या के निवारण हेतु बलवा वार्ड नं0-02 में एक अद्द 63 के0वी0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य प्रगति पर है । कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 31 मार्च, 2021 है ।

अध्यक्ष : ऑनलाईन उत्तर आया हुआ है ।

श्री शाहनवाज : महोदय, माननीय मंत्री जी ने 31 मार्च, 2021 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया है। यह समस्या प्राय: हर पंचायत में बनी रहती है काफी लम्बे समय से.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री शाहनवाज : महोदय, आशा करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 तक यह कार्य पूर्ण हो जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-432 (श्री पवन कुमार यादव)

श्री नारायण प्रसाद,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

3. वर्णित स्थल पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकसित करने का निर्णय भागलपुर जिलान्तर्गत पर्यटकीय स्थलों को विकसित किये जाने की प्राथमिकता एवं राशि की उपलब्धतता के आधार पर किया जायेगा ।

श्री पवन कुमार यादव : कब तक ?

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न माईक पर ।

श्री नारायण प्रसाद,मंत्री : इसकी अनुशंसा प्राप्त होते ही राशि की उपलब्धतता के आधार पर प्राथमिकता से इसको करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री पवन कुमार यादव : राशि कब तक आयेगी और यह कब तक होगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, राशि कब तक आयेगी, बता दीजिए । जानकारी प्राप्त करके बता देंगे ।

श्री नारायण प्रसाद,मंत्री : ठीक है सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-433 (श्री शकील अहमद खॉं)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज-2 के तहत इकाई चिन्हित करते हुए कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाना है ।

अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के अनुसार चरणवार ढंग से निर्माण करा दिया जायेगा ।

श्री शकील अहमद खॉं : महोदय, मैं पूरक पूछता हूँ और यह बहुत ही क्लासिक एक्जामपुल है बैड गवर्ननेंस का । 2013 जनवरी में उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री जो आज भारत सरकार में मंत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा .....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए माननीय सदस्य ।

श्री शकील अहमद खॉं : महोदय, यह पूरक ही है, उन्होंने इसी जगह पर जाकर के एक ए0पी0एच0सी0 का शिलान्यास किया था बिना स्वीकृति के, 2013 जनवरी में उस वक्त के मंत्री ने जो आज केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने वहां पर जाकर के शिलान्यास किया ए0पी0एच0सी0 का, यह जो होस्पीटल है 1926 का और इसी तरह का जवाब हमको मिलता है । आप यह बताइए कि बिना स्वीकृति का शिलान्यास करना गलत था तो यहां पर आप कंडेम करेंगे कि बिना स्वीकृति के ए0पी0एच0सी0 का शिलान्यास किया, इसका रेकोर्ड मंगाकर देख सकते हैं । इसलिए मैंने कहा कि यह आपके बैड गवर्ननेंस का क्लासिक एक्जामपुल है । आप हमको बताईए कि उसका जो भवन है .....

अध्यक्ष : इतना लम्बा पूरक होगा तो बाकी प्रश्न वंचित रह जायेंगे ।

श्री शकील अहमद खॉं : आप कब तक उस भवन को बनवा देंगे, पिछले सत्र में भी इस सवाल को मैंने उठाया था ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, जितना बात माननीय सदस्य शकील जी ने कहा, उसकी चर्चा कहीं प्रश्न में नहीं है । इतना सीधा सा प्रश्न है कि ए0पी0एच0सी0 का भवन है, उसका निर्माण कराने का विचार रखती है या नहीं, रखती है तो कब तक तो इसके संबंध में हमने साफ जवाब दिया है कि इसको अगले वित्तीय वर्ष में बनवा देंगे । इसके पहले का जो इतिहास बता रहे हैं माननीय सदस्य .....

श्री शकील अहमद खॉं : महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अगर माननीय सदस्य इतिहास की चर्चा प्रश्न में कर देते तो हम उसको पता करके आते ।

अध्यक्ष : अब बोलिए ।

श्री शकील अहमद खॉ : माननीय मंत्री जी, मैंने इस आशय का आपको पत्र भी लिखा है और सवाल यह है कि इस सवाल से रिलेटेड उस भवन के बारे में पहले का भी प्रश्न है । जब आप विभाग से जानकारी प्राप्त करें तो यह प्रयास करें कि इसके बारे में पूरा जवाब देना चाहिए.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डा0 सी0एन0गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न सं0 - 434 (डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है सदर अस्पताल छपरा के परिसर में अवस्थित उपाधीक्षक तथा चिकित्सा पदाधिकारियों का आवास बाहरी लोगों के कब्जे में नहीं है ।

उक्त सभी आवास जर्जर स्थिति में है । बी0एम0आई0सी0एल0, पटना से विभागीय पत्रांक 575 दिनांक 25.02.21 द्वारा प्राक्कलन की मांग की गयी है । अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण करा दिया जायेगा ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, सारण प्रमंडलीय अस्पताल है, यहां दूसरे जगह से केसेज रेफर होकर आते हैं । यहां मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी चल रही है । संभवत: इस कार्य के लिए सदर अस्पताल, छपरा में मरीजों के लिए बेड्स बढ़ने वाले हैं । वैसा कोई विभाग बतायें जिन पदाधिकारियों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं है । 20 वर्ष पूर्व में उपाधीक्षक, महिला चिकित्सक, फिजीशियन एवं सर्जन आदि के लिये आवास की व्यवस्था थी, कौन सी परिस्थिति आ गयी है कि उक्त चिकित्सकों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है । समय-सीमा बतावें कि कब तक आवास बनने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री । माननीय सदस्य, आप बैठ जायं ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य स्वयं इस बात के गवाह हैं कि अभी एक महीने के अंदर छपरा सदर अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू की गयी है। प्रधानमंत्री डाइलिसिस योजना मुफ्त में शुरू की गयी है जिसमें सभी गरीब राशन कार्ड धाारियों को मुफ्त में डाइलिसिस किया जा रहा है और दोनों योजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर माननीय सदस्य स्वयं वहां उपस्थित थे तो किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को सदर अस्पताल के अंदर बेहतर किया जा रहा है उसके वह स्वयं इसके गवाह रहे हैं लेकिन मैं

उनकी इस चिंता से जरूर सहमत हूं कि जो चिकित्सक हैं उनके आवास की व्यवस्था वहां हो जायेगी तो और बेहतर प्रबंधन हो जायेगा और इसीलिए मैंने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम इस काम को करेंगे ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

आपके यहां से ऑनलाइन जवाब बहुत प्रश्नों का नहीं आया है 89 में 54 का आया है 35 का नहीं आया है और ऊर्जा विभाग 100 परसेंट प्रश्नों का जवाब भेजे हैं, पर्यटन विभाग में भी 16 में मात्र 2 आया है माननीय मंत्री, इसको ध्यान में रखें । आपदा प्रबंधन 17 में 17 है 100 परसेंट, योजना विकास विभाग 100 परसेंट, विधि विभाग 100 परसेंट।

तारांकित प्रश्न सं0- 435 (श्री अरूण शंकर प्रसाद)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत घोड़बंकी पंचरत्न एवं कमलपुर गांवों के पुराने एवं जर्जर बिजली के तार को अप्रील, 2021 तक बदल दिया जायेगा ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, इसका उत्तर दिया हुआ है ।

अध्यक्षः हां, उत्तर मुद्रित है । माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः महोदय, माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक उत्तर दिया है और अप्रील, 2021 तक बिजली के जो जर्जर तार और पोल है, उसको बदल देने का इसमें आश्वासन भी दिया है । मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सरकार की काम करने की इच्छा इस प्रश्न से जाहिर होती है .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरिभूषण ठाकुर ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय लेकिन एक सूचना है कार्यपालक अभियंता, जयनगर लापरवाह हैं उनपर भी सख्ती बरतें ।

अध्यक्षः अब धन्यवाद दे दिये तो उसके बाद आप बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : नहीं, नहीं महोदय, चूँकि वह जर्जर तार .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरिभूषण ठाकुर, आपका दो बार नाम पुकार लिये, तीसरे बार में आपका क्वेश्चन समाप्त हो जायेगा । माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0-436 (श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'')

श्री नारायण प्रसाद, मंत्रीः महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में विद्यापति जी के जन्मस्थली बिस्फी के विकास के लिये 53 लाख 97 हजार रुपये की योजना, जैसे जन सुविधा, घाट का विकास, लाईब्रेरी, साइट डेवलपमेंट इत्यादि कार्य को कराया गया है, योजना पूर्ण है ।

अध्यक्ष: चलिये बहुत सकारात्मक उत्तर है । अब क्या है ?

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'': मैंने तीन धार्मिक स्थलों की चर्चा उसमें की है

अध्यक्ष: आप एक बार मिल भी लीजियेगा न, आप डिटेल्स में बढ़िया से बतायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'': याज्ञवलक्य ऋषि जो शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हजारों-लाखों पर्यटक आते हैं, तीनों जगह कोई सुविधा नहीं है । पर्यटन का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष: आप देख लीजियेगा मंत्री जी, विधायक जी को बुलाकर के ।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'': महोदय, पर्यटन का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष : आपको बुलाकर वे समझ भी लेंगे ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य को बुलाकर बात कर लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

टर्न-4/यानपति-धिरेन्द्र/26.02.2021

<u>तारांकित प्रश्न सं0-437 (श्री ललित कुमार यादव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय वस्तुस्थिति यह है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज-2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत प्रश्नगत् रेफरल अस्पताल का जीर्णोद्धार/निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के अनुरूप चरणवार कराया जायेगा ।

अध्यक्ष: ऑनलाइन उत्तर मिल गया है, सीधे पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि रेफरल अस्पताल की स्थिति जर्जर है और इन्होंने कहा है कि सात निश्चय योजना के पार्ट-2 के अंदर हम अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को कर देंगे । हम इतना ही माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आप वित्तीय वर्ष 2021-22 में कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दीजियेगा ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वित्तीय वर्ष 01 अप्रील, 2021 से शुरू होकर 31 मार्च, 2022 तक चलेगा । आज सारी तकनीकी चीजें होती हैं आप तो पुराने सदस्य हैं, जानते हैं कि

एक-एक काम जब शुरू करना होता है तो पी0पी0आर0 बनाना, डी0पी0आर0 बनाना, टेंडर करना सारी प्रक्रिया होती है तो आज ही तिथि हम कैसे बता देंगे, इस वित्तीय वर्ष में जरूर कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0 - 438 (श्री अजय कुमार सिंह)

श्री आनंद शंकर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे ऑथराईज किया गया है ।

अध्यक्ष : मेरे पास ऑथराईजेशन लेटर नहीं आया है ।

तारांकित प्रश्न सं0 - 439 (श्री नीतीश मिश्रा)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0 - 440 (श्री सुधाकर सिंह)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिला में जी0टी0 रोड पर अवस्थित अनुमंडलीय अस्पताल, मोहनियाँ में ट्रॉमा सेन्टर कार्यरत है, जहाँ दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का इलाज किया जाता है । इसे और बेहतर सुविधायुक्त करने के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरक सवाल है । माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर कब से कार्यरत है ? क्या ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर और आई0सी0यू0 की व्यवस्था है ? देश की सबसे व्यस्ततम सड़क एन0एच0-2 पर अवस्थित है ।

अध्यक्ष: डायरेक्ट पूरक पूछिये ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरक ही है मेरा । कब से यह ट्रॉमा सेंटर चालू है और क्या इसमें वेंटिलेटर और आई0सी0यू0 बेड है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो है वह यह है कि क्या सरकार कैमूर जिला में जी0टी0 रोड के समीप जमीन का अधिग्रहण कर एक ट्रॉमा सेंटर बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है कि मोहनियाँ में जी0टी0 रोड पर अवस्थित अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर काम कर रहा है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है, यह विभाग भी मानता है और बेहतर सुविधा देने के लिए वहां पर समुचित व्यवस्था की जा रही है । जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, यदि वैसी स्पेसिफिक जानकारी आपको चाहिये थी तो आप प्रश्न किये होते तो मैं पूरा एक-एक....

अब, एक-एक इक्यूपमेंट किस अस्पताल में कितना पड़ा हुआ है, आप पूछियेगा तो हम कैसे बता पायेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब बैठ जाइये, बहुत स्पष्ट जवाब हो गया ।

तारांकित प्रश्न सं0 - 441 (श्री भाई वीरेन्द्र)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, पटना से विभागीय ज्ञापन सं0-351 दिनांक 23.02.2021 को मांगा गया है, जो अब तक प्राप्त नहीं है । प्राप्त होते ही, हम श्री भाई वीरेन्द्र से बातचीत करके इसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष: देखिये, आपसे बातचीत के लिये भी तैयार हैं । अब, बैठ जाइये । आप दोनों का संबंध, आप विरासत संभाल रहे हैं और यह पर्यटन देख रहे हैं । इस शताब्दी वर्ष में दोनों का बहुत महत्व है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से बस इतना ही सवाल करूंगा कि समय-सीमा बता दें और कब मिलेंगे हमसे या हम उनसे कब मिलें ।

अध्यक्ष: आप जब चाहेंगे, तब मिलेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0 - 442 (श्री महानंद सिंह)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला अंतर्गत स्थित सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की अनुज्ञप्ति हेतु कार्रवाई प्राथमिकता पर की जा रही है । केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के साथ संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यालय पत्रांक- 279(15) दिनांक- 15.02.2021 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है । निरीक्षण कार्य संयुक्त रूप से केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के औषधि निरीक्षक तथा स्थानीय औषधि निरीक्षक द्वारा किया जाना है । निरीक्षणोपरान्त अनुज्ञप्ति हेतु महा औषधि नियंत्रक, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुशंसा की जा सकेगी । सदर अस्पताल, अरवल के आई0सी0यू0 की स्थापना भविष्य में विशिष्ट चिकित्सकों एवं अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा ।

अध्यक्ष : ऑनलाईन उत्तर आया हुआ है, पूरक पूछिये ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरक सवाल है । माननीय मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि अरवल में दुर्घटना का स्थान बिहार में दूसरा है और अरवल सदर अस्पताल में अभी तक ब्लड बैंक नहीं है, आई0सी0यू0 की कोई व्यवस्था नहीं है, हड्डी का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है । यह जो जवाब दिये हैं तो इसमें यह है कि यह केन्द्र सरकार से कब तक मांगेंगे, अनुरोध करेंगे...

अध्यक्षः आप पूरक पूछें ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, कब तक वो करेंगे । इसमें समय निर्धारण नहीं है । जल्दी से जल्दी निर्धारण का टाईम दें ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, अगले 2 महीने के अंदर कर लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय ...

अध्यक्ष : अब तो इतना स्पष्ट जवाब है, इसमें कहां प्रश्न है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं हम उस पर नहीं पूछ रहे हैं । महोदय, जो जवाब ऑनलाईन आता है, कुछ तो छप कर आता है तथा जिसका नहीं आता है, उसका जवाब मंत्री जी देते हैं लेकिन सभी प्रश्नों का जवाब ऑनलाईन डाउनलोड करना, यह उचित नहीं है । जो उत्तर, प्रश्न पुस्तिका में छप कर नहीं आता है, जो हमलोगों को मिला है तो कम-से-कम माननीय मंत्री जी उसका जवाब पढ़ दिया करें ताकि सदन में जो लोग नहीं पढ़ पाये हैं तो उससे हमलोग सवाल पूछ सकें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : हम पढ़ देते हैं ।

अध्यक्ष : ऑनलाईन में सभी सदस्य उस जवाब को देख सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, इतने प्रश्नों का सवाल कहां से डाउनलोड....

अध्यक्षः ज्यादा-से-ज्यादा समय की बचत हो ताकि अधिक से अधिक प्रश्न ले सकें । फिर, ऑनलाईन कराने का फायदा क्या है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन से हमको दिक्कत नहीं है । आप समझे नहीं मेरी बात को ।

अध्यक्ष : फिर से बताइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन जवाब सभी प्रश्नों का आयेगा और सभी प्रश्नों का जवाब डाउनलोड करना बड़ा मुश्किल होता है ।

अध्यक्ष : डाउनलोड क्यों करेंगे, वो तो देख लेंगे । सभी को पी0ए0 मिला हुआ है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो देरी से आता होगा, वह ऑनलाईन चला जाता होगा ।

अध्यक्ष : जहां जिनको लगेगा, वहां माननीय मंत्री जी, उस प्रश्न को पढ़ ही रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, लगभग 150 प्रश्न आता है ।

अध्यक्ष : इसलिए तो, प्रश्नकाल ज्यादा से ज्यादा चले ।

तारांकित प्रश्न सं0 – 443 (श्रीमती शालिनी मिश्रा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा संग्रामपुर, केसरिया एवं कल्याणपुर कार्यरत हैं । प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 12 चिकित्सक (11–एम0बी0बी0एस0 एवं 01 दंत चिकित्सक) का पद स्वीकृत है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संग्रामपुर में 02 एम0बी0बी0एस0, 01 दंत चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसरिया में 04 एम0बी0बी0एस0, 01 दंत चिकित्सक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर में 2 एम0बी0बी0एस0 एवं 01 दंत चिकित्सक पदस्थापित हैं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसरिया में पदस्थापित 04 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों में से 03 अध्ययन अवकाश में हैं । उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों का रोस्टर निर्धारण कर कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती मरीजों को चिकित्सा सेवा एवं भोजनादि की समुचित व्यवस्था की जाती है ।

वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात् कुल 6338 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है ।

आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, पूरक है । माननीय स्वास्य मंत्री जी को धन्यवाद ऑनलाईन देने के लिये । वस्तुस्थिति यह है कि केसरिया में 4 डॉक्टर रोस्टर पर हैं, उसमें से 1 डॉक्टर हैं और 3 डॉक्टरों को अध्ययन के लिये छुट्टी दी गई है । मेरा सवाल है कि बाकी 3 डॉक्टर कब तक आयेंगे और जो 1 डॉक्टर हैं, वह भी रेगुलर नहीं आते हैं, सिर्फ, हाजिरी बनाकर जाते हैं । तो मेरा आग्रह है कि कब तक होगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि जैसे ही हमें तकनीकी सेवा आयोग से चिकित्सकों की नियुक्ति की सूची मिल जायेगी, तो वहां पर हमलोग पदस्थापना कर देंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जवाब में बोला गया कि 3 डॉक्टर ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, प्रश्न के जवाब के लिये धन्यवाद भी दी हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष मेरे हर प्रश्न पर पूरक करें, मुझे अच्छा लगेगा।

अध्यक्ष : बाकी सदस्यों का प्रश्न चला जायेगा ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष और बाकी माननीय सदस्यों को भी बताना चाहूँगा कि जो चिकित्सक हमारे पी0ए0सी0 पर जाते हैं, वह सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, मतलब एम0बी0बी0एस0 होते हैं और आप जानते होंगे कि चिकित्सा क्षेत्र की जो शिक्षा होती है तो एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई जो होती है वह अंडर ग्रेजुएट, फिर उसके बाद पी0जी की पढ़ाई होती है, उसके ऊपर भी डी0एम0 की पढ़ाई होती है तो जो भी डॉक्टर होता है और हर डॉक्टर चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें और किसी के शिक्षा ग्रहण के अधिकार से सरकार किसी को वंचित नहीं कर सकती है । यदि उसका चयन कहीं ऊपर, किसी संस्थान में शिक्षण के लिये हुआ है तो वह छुट्टी मांगेगा ही, जायेगा और पढ़कर आने के बाद सेवा तो हमारी ही जनता का करेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, परेशान तो आम जनता हो रही है तो आम जनता के प्रति भी जिम्मेवारी है ...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, नेता विरोधी दल ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग चिंतित है । महोदय, आज ही मैंने कई बार रिपीट किया कि पिछले साल जुलाई से सितम्बर के बीच में चिकित्सकों की नियुक्ति की थी, मतलब आज से 7 महीने पहले और फिर, हमने जनवरी और फरवरी में अधियाचना भेज दिया है । महोदय, मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी-जल्दी चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजना, उनकी नियुक्ति करना, यह बताता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना तत्पर है । हम यथाशीघ्र चिकित्सकों को उपलब्ध करायें ।

अध्यक्ष : आप दोनों का प्रेम सदन देख चुका है, अब आगे बढ़ने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, जान-माल की बात है, महोदय ।

टर्न-5/शंभु/26.02.21

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, अभी बोला गया कि पद खाली है वह भरा नहीं गया है, आप मांग कर रहे हैं, लगभग आपका काफी समय हो चुका है कार्यकाल का और अब तक वही समस्या है जो पहले थी । अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं

सरकार से कि जब कोई समस्या आती है तब क्यों एक्शन लेते हैं, आप पहले से क्यों नहीं तैयारी करके रखते हैं कि ऐसा हो ही नहीं ।

तारांकित प्रश्न सं0–444(श्री मुकेश कुमार रौशन)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग । उत्तर संलग्न है, ऑनलाइन उत्तर है आप नहीं देखे हैं, चलिए पढ़ दिया जाय ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : पूरक पूछ लेते हैं ।

अध्यक्ष : आप देखे ही नहीं हैं, पहले पढ़ने दीजिए तब न पूरक पूछियेगा । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । अनुमंडल अस्पताल, महुआ में न्यूरो सर्जन का पद सृजित नहीं है । विभाग द्वारा राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा 36 जिला अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है । तत्काल अनुमंडल अस्पताल, महुआ में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, न्यूरो सर्जन की बहाली के लिए क्या सरकार विचार रखती है या नहीं, अगर विचार रखती है तो कब तक ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, बिलकुल विचार रखती है । न्यूरो सर्जन जो होते हैं वे विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति जो अलग–अलग विभाग होता है उसी के लिए हमने अधियाचना भेजा हुआ है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, आयेदिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है । हम चाहेंगे कि अनुमंडल अस्पताल में न्यूरो सर्जन की व्यवस्था करायी जाय ।

अध्यक्ष : बोल ही दिये हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0–445(श्रीमती मंजु अग्रवाल)

अध्यक्ष : आप सिर्फ प्रश्न पूछिए ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शेरघाटी प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत स्थित नवादा उप स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित है । जमीन उपलब्ध होने पर आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय फेज–2 के तहत इसकी योजना प्रस्तावित है । अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : आपको पूरक पूछना है ?

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, वह स्वास्थ्य केन्द्र 20 साल से निजी भवन में चल रहा है और वह छोटे से जगह में है । मैं चाहूंगी कि श्रीरामपुर पंचायत करीब 10–11 का पंचायत है । यहां की आबादी बहुत ज्यादा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उचित व्यवस्था नहीं होने

के कारण लोगों को कठिनाइयां होती है । इसीलिए हम चाहेंगे कि अतिशीघ्र ही वहां पर भवन निर्माण करवा दिया जाय और कब तक करेंगे ?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : बताया मैंने कि अगले वित्तीय वर्ष में कर लूँगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-446(श्री मुकेश कुमार यादव)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : 1- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है । उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों का 12 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध सम्प्रति 5 नियमित चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित हैं जिसमें 2 चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं, 1 अध्ययन अवकाश पर हैं तथा 2 चिकित्सा पदाधिकारी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं । अनधिकृत रूप से अनुपस्थित दोनों चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है ।

2- सीतामढ़ी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानपुर में चिकित्सकों का 12 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 4 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 1 दंत चिकित्सक पदस्थापित हैं । 1 चिकित्सा पदाधिकारी अध्ययन अवकाश पर हैं ।

3- वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात् कुल 6338 पद रिक्त हैं एवं उन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्ययम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी ।

श्री मुकेश कुमार यादव : माननीय मंत्री जी, कब तक पदस्थापित हो जायेंगे खाली रिक्त पदों पर ?

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : जल्द कर देंगे । तीन चार बार ऐसे विषय आये हैं हमने बार-बार बताया है कि जैसे ही हमें अनुशंसा प्राप्त हो जायेगी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से हम कर देंगे, उसी के लिए तो किये हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-447(श्री कुमार सर्वजीत)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: बोध गया नगर पंचायत के अंतर्गत अण्डर ग्रांउण्ड केबलिंग का कार्य इन्टीग्रेटेड पावर डेभलपमेन्ट स्कीम योजना अंतर्गत किया जा रहा है । यह कार्य मेसर्स लीना पावर द्वारा होरिजेन्टल डाईरेक्शन ड्रीलिंग मशीन से किया जा रहा है । इस कार्य को करने हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड के परियोजना पदाधिकारी द्वारा अन्य विभाग से सम्पर्क कर एवं सूचित कर कार्य को किया जा रहा है । विगत 18

महीनों से कार्य प्रगति पर हे और अभीतक मात्र तीन बार कार्य के दौरान पाइप क्षतिग्रस्त हुआ है जिसे कम-से-कम समय में संवेदक लीना पावर द्वारा मरम्मत करवा दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मेरा पूरक है कि लीना नाम की कंपनी गयी काम करने और नगर पंचायत से इन्होंने एन0ओ0सी0 नहीं लिया, बिना एन0ओ0सी0 लिये हुए इन्होंने काम शुरू किया और जितना एरिया इनको मिला है अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए पूरा इन्होंने पाइप लाइन डैमेज कर दिया । दिशा की बैठक में हमने....

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री कुमार सर्वजीत : एक लाइन के बाद, जानकारी मैं उनको दे देता हूँ दिशा की बैठक में जिलाधिकारी महोदय भी यह तय नहीं कर पाये कि बिना एन0ओ0सी0 के इसने काम कैसे शुरू किया, पाइप लाइन डैमेज हुआ यह कौन बनायेगा ? हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या यह कंपनी का अधिकार था कि हम बिना परमिशन के, पाइप लाइन का बिना नक्शा लिये हुए और बिना परमिशन के हम काम शुरू कर सकते हैं । यह हम जानना चाहते हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य का है मैं आज ही आदेश दूंगा कि काम बंद कर दिया जाय । एक जॉच कमिटी का गठन होगा, जॉच की जायेगी और उसके बाद आगे देखा जायेगा कि आवश्यकता है कि नहीं इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान)

कल हल्ला मत कीजियेगा कि काम नहीं हो रहा है, एक तरफ काम हो रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये है, थोड़ा बहुत काम करने में नुकसान होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, दोनों गवर्नमेंट एजेंसी है । नये सदस्य हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री खड़े हैं, बैठ जाइये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : काम जब कोई होगा तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन काम अच्छा हो रहा है अंडर ग्राउंड केबलिंग की चर्चा होती है कि अंडर ग्राउंड केबलिंग टाउन में होना चाहिए, घनी आबादी है, लेकिन आपके अनुसार हम इसको बंद कर देते हैं और जॉच करायेंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हमने यह सवाल मंत्री जी से नहीं पूछा कि काम बंद करा दें ।

अध्यक्ष : आप काम बंद कराने के....

श्री कुमार सर्वजीत : काम क्यों बंद होगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इन्होंने कहा कि बिना परमिशन का क्या यह अधिकार है ? यह तो आपत्तिजनक बात है । बिना परमिशन के उन्होंने काम किया, भाई सरकारी काम है कोई प्राइवेट काम तो नहीं है ।

अध्यक्ष : अब तीन हो गया, यह लास्ट है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हमने कहा कि अगर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि डैमेज होगा तो डैमेज होगा तो बनाने की जिम्मेवारी किसकी होगी ? नगर पंचायत कहता है कि हम नहीं बनायेंगे, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम काम ही बंद करा देंगे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अरे बैठिए । डैमेज अगर होगा एजेंसी से तो नगर पंचायत रिपोर्ट करेगी उसको करवा दिया जायेगा, डिपार्टमेंट करेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, जवाब में तीन बार क्षतिग्रत हो चुका है कार्य के दौरान तो क्या गारंटी है फिर क्षतिग्रस्त नहीं हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वह एजेंसी बनायेगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, इसमें साधारण सा सवाल था कि बिना एन0ओ0सी0 के काम कैसे किया गया बिना डिजाइन के.....व्यवधान । मंत्री जी, पूरा हो जाने दीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : इसीलिए तो मैंने कहा कि काम बंद कराकर जॉच करायेंगे । इसीपर मैंने कहा ।

अध्यक्ष : अब तो साफ कह रहे हैं, ठीक है ।

(व्यवधान)

अब मंत्री जी कह दिये हैं काम बंद कराकर जॉच करा देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-448(श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव)</u>

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2020 में जुलाई से सितम्बर तक कुल 929 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं 3186 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति कर आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है । वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात् कुल 6338 पद रिक्त हैं । उन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । आयोग से से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना उक्त संस्थान में की जा सकेगी ।

टर्न-6/हेमंत-राहुल/26.02.2021

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादवः(क्रमशः) अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने जब सदन में मांग की थी तो एक महीने के लिए वहां महिला डॉक्टर गई थी और एक महीने के बाद उस महिला डॉक्टर का दूसरी जगह पदस्थापन कर दिया गया । 2020 में पी0एस0सी0 में हमारे यहां 4 महिलाएं मर गई और 7 बच्चे मर गए चूंकि हमारा जो क्षेत्र है वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां रात में कोई वाहन नहीं मिलता है, एम्बुलेंस का ड्राईवर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार वहां अविलंब महिला चिकित्सक की व्यवस्था कर सकती है ?

अध्यक्षः जवाब तो दे दिया गया है, जवाब भी स्पष्ट है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादवः अध्यक्ष महोदय, जवाब में तो लिखा गया है बहाली होगी तब चिकित्सक की व्यवस्था होगी, परन्तु तत्काल अभी वहां क्या व्यवस्था हो सकती है, महिला जब वहां प्रसव के लिए जाती है तो कोई डॉक्टर उसको हाथ नहीं लगाता है, रात में उसको जाने की कोई सुविधा नहीं होती है हमारे यहां 6 बच्चे मर गए हैं ।

अध्यक्षः संज्ञान में लिए हैं । अब श्री शम्भूनाथ यादव ।

तारांकित प्रश्न-449 (श्री शम्भूनाथ यादव)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्रीः (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) एवं (3) जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर द्वारा कर दिया गया है ।

अध्यक्षः उत्तर मुद्रित है, अब पूरक पूछिए ।

श्री शम्भूनाथ यादवः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध था कि जैसे डबल एक्सीडेंट में आपदा से राशि दी जाती है, सिंगल एक्सीडेंट में भी इसका विचार किया जाय ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्रीः उत्तर स्वीकारात्मक था और फिर अभी उस प्रश्न को इसमें नहीं दिया गया है अलग से प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे तो फिर उसको हम देख लेंगे ।

तारांकित प्रश्न-450 (श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के दोनों एम्बुलेंस की मरम्मती करा दी गई है । दोनों एम्बुलेंस परिचालन में है । राशि की उपलब्धत एवं आवश्यकता के आलोक में नये एम्बुलेंस के क्रय पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीनः महोदय, यह जवाब बिल्कुल भ्रमित करने वाला है चूंकि हम वहीं से आते हैं, वहां का जो प्रभारी है उसने हमको यह रिपोर्ट दी है और हम खुद वहां जाकर देखे

हैं, दोनों एम्बुलेंस बिल्कुल खराब है, उसका कोई परिचालन नहीं है और क्या 25 वर्षों बाद नई एम्बुलेंस देकर के आप वहां के लोगों को सुविधा देना चाहेंगे ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, जैसी माननीय सदस्य ने बात की मैं भी जब प्रश्न का जवाब तैयार करता हूं तो एक-एक प्रश्न को तीन-तीन, चार-चार बार पढ़कर के जवाब तैयार करता हूं । मैंने भी कल शाम में वहां के एम0ओ0आई0सी0 से बात करके इस बात का स्पष्टता से उत्तर लिया कि ये दोनों परिचालन में हैं तभी मैं आज यहां जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं और दोनों परिचालन में, कल शाम को 5.00 बजे मैंने अपने सामने अधिकारी को बैठाकर बात करवाई और मैं जब सदन में कोई जवाब देता हूं तो सारी चीजों की तहकीकात करके देता हूं यदि कोई गलती होगी तो उसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि गलती हुई, लेकिन जो सत्य स्थिति है उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा और नई एम्बुलेंस के संबंध में आपने कहा है, मैंने कहा है कि राशि की उपलब्धता होगी तब हम उसका विचार करेंगे ।

तारांकित प्रश्न-451 (श्री मनोज मंजिल)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला अंतर्गत गड़हनी एवं अगिआंव प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैय्या का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने का निर्णय किया जा चुका है, अगले वित्तीय वर्ष में निधि उपलब्धता के आधार पर भवन का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा सकेगा ।

अध्यक्षः ठीक है, श्री कुमार...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, पुरक है । स्वीकृत पद के विरूद्ध आधे ही डॉक्टर हैं और कोई प्रसूति, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, दवाईयां उपलब्ध नहीं रहती हैं, डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और भवन भी जर्जर है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, दवाई ई0डी0एल0 के अनुसार जो हैं वे उपलब्ध होंगी, हालांकि वैसा प्रश्न नहीं था लेकिन...

(व्यवधान)

अध्यक्षः प्रश्न से हटकर है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः लेकिन अन्य जो चीज पूछ रहे हैं माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं बता दूंगा, आप अलग से मिलकर बात करेंगे तो, मैं तो खुद चाहता हूं कि आपके क्षेत्र मे समस्या का समाधान हो ।

तारांकित प्रश्न-452 (श्री कुमार शैलेन्द्र)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः(1) वस्तुस्थिति यह है कि कोसी नदी की छोटी धार के दोनों किनारों पर लगे बिजली के खंभे बाढ़ एवं कटाव के कारण झुक गये थे, जिससे लोकमानपुर

पंचायत की विद्युत आपूर्ति बाधित रही है । जलस्तर घटने के बाद झुके रेल पोल को ठीक कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जा चुकी है ।

(2) एवं (3) वर्तमान में कोसी के छोटी धारा के दोनों किनारों पर टावर खड़ा कर विद्युत आपूर्ति करने संबंधी कोई योजना नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बैठ जाइए, दूसरे माननीय सदस्य की भी चिन्ता कीजिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्रः महोदय, मेरे बिहपुर विधानसभा अन्तर्गत लोकमानपुर पंचायत कोसी नदी से घिरी हुई है और हर वर्ष दोनों तरफ के पोल गिर जाते हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, भूमिका की जरूरत नहीं है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : नहीं, अध्यक्ष महोदय, भूमिका नहीं दे रहे हैं और केवल हम मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं इन्होंने कहा कि अभी योजना नहीं है । महोदय, हम मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि क्या यह योजना सीमित समय में बनेगी ताकि परमानेंट सोल्यूशन हो जाय जो बार-बार उनको...

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आप जानते हैं कि बिहार खासतौर से उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो बाढ़ में नदी मेग्नेट करती है कभी इधर, कभी उधर । इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है । अभी तक तो विज्ञान और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है । जब भी टूटता है तो रिपेयर कर दिया जाता है इसके अलावा तो कोई और उपाय नहीं है स्थायी समाधान का । माननीय सदस्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है । हम दिखवाते हैं, अगर संभव होगा, अन्य कोई विकल्प हो सकता है तो उसको कराने का प्रयास किया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब सकारात्मक उत्तर है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-453(श्री विनय कुमार चौधरी)</u>

अध्यक्ष : श्री विनय कुमार चौधरी ।मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर, दरभंगा में वर्तमान में कुल 2 एंबुलेंस एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस, असला के रूप में एक एंबुलेंस परिचालित है । मरीजों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-454(श्री अवध विहारी चौधरी)</u>

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-4410, दिनांक-15.06.2009 द्वारा सदर अस्पताल, सिवान को जिला अस्पताल का दर्जा दिया जा चुका है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुमंडल से जब जिला अस्पताल बनाया जाता है उसमें सुविधायें बढ़ती हैं उसके आधारभूत संरचना भी बढ़ती है तो क्या वहां पर 500 बेड के हॉस्पिटल शैय्या बनाने के लिए निविदा भी हुआ है उसका निष्पादन कब तक होगा और विशेष चिकित्सक से जो मार्गदर्शन है जिला अस्पताल बनने के, जो वहां सुविधाएं होनी चाहिए उन मान्य सुविधाओं के अनुरूप वहां पर कब तक चिकित्सक और अन्य जो सुविधा है वह प्रदान करने का सरकार विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं और हमारे अभिभावक तुल्य हैं और हम दोनों एक ही जिले के हैं । महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया, यह प्रश्न सिर्फ इतना है कि सरकार जिला अस्पताल का दर्जा देने का विचार रखती है कि नहीं, नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : तो अलग से प्रश्न कर लेंगे ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : जब पूछा है तो बता भी देंगे । 2009 में....

(व्यवधान)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : जो पूरक है थोड़ा कुछ बता देते हैं । 2009 में ही सरकार ने इसको जिला अस्पताल का दर्जा दे दिया है । अब सुविधा की बात, माननीय सदस्य के ध्यान में होगा वहां डिजिटल एक्स-रे की सुविधा है । अभी कुछ दिन पहले वहीं पर जाकर हमने मुफ्त डाइलिसिस योजना की भी शुरूआत की है । वहां सिटी स्कैन की सुविधा अगले 2 महीने के अन्दर लगने जा रही है । माननीय सदस्य भी बराबर सिवान सदर अस्पताल जाते हैं जब आप महिला वार्ड के अन्दर जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक-एक बेड को कैसे कार्टेन लगाकर और सैप्रेट करवाया गया है । सभी में ए0सी0 कैसे लगाया गया है सिवान सदर अस्पताल के अन्दर और सिवान सदर अस्पताल की व्यवस्था को किस तरीके से बेहतर किया गया है । दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने चर्चा की 500 बेड के अस्पताल की, अभी कोई टेंडर नहीं हुआ है अभी वहां पर जिला मॉडल अस्पताल के रूप में उसको विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गयी है और उस स्वीकृति के आलोक में पी0पी0आर0 बना है अब आगे की कार्रवाई होगी । जो आपकी चिंता है वह मेरी भी चिंता है ।

अध्यक्ष : चलिए । श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-455(श्रीमती स्वर्णा सिंह)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । अब समय समाप्त है ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेंद्र : माननीय मंत्री जी ने जो सुविधा सिवान में दे रखी है क्या माननीय सदस्यों के हर जिले में, 38 जिलों में वह सुविधा देने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : आप मनेर की चिंता कर रहे हैं न ?

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : मैं मनेर की भी चिंता करूंगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, क्या यह महिला वार्ड में भी जाते हैं ?

श्री अवध विहारी चौधरी : इनको मेरे बारे में विशेष जानकारी है और अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मंत्री जी के बारे में जानता हूं, इसलिए कि लालू जी के मंत्रिमंडल में ये श्रम मंत्री थे और मंत्रिपरिषद.....

अध्यक्ष : आप अभिभावकों की जानकारी लोगों को न मिले तो ज्यादा अच्छा ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : महोदय, मेरा जवाब ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, (1) अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जाता है । उप स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा टीकाकरण एवं प्रसव पूर्व जांच की जाती है । इस केंद्र द्वारा आवश्यक दवाएं दी जाती हैं । इस हेतु स्वास्थ्य उप केंद्रों में ए0एन0एम0 की पदस्थापना की जाती है । संदर्भित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में ए0एन0एम0 कार्यरत हैं । मतलब ऐसे संस्थान में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होती है जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

स्वास्थ्य उपकेंद्र, परसरमा से 7 कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गौड़ाबौराम अवस्थित है ।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

टर्न-7 एवं 8/राजेश-मुकुल-संगीता/26.02.2021

अध्यक्ष: अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाय ।

अध्यक्ष : अब कार्य स्थगन प्रस्ताव लिये जायेंगे । माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 फरवरी, 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री गोपाल रविदास, श्री रामबली सिंह यादव, श्री महा नंद सिंह, श्री अरूण सिंह एवं श्री अजय कुमार ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान एवं बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-176 (3) एवं 47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

शून्यकाल

अध्यक्ष: अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर श्री महबूब आलम एवं अन्य माननीय सदस्यगण कुछ बोलते हुए वेल में आ गये ।)

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के तेतरिया प्रखंड अंतर्गत आर.ई.ओ. रोड धौबौलिया से कौरिया पथ में पुलिया ध्वस्त है एवं सड़क अत्यंत जर्जर है जिससे आवागमन बाधित है । यह सड़क शिवहर एवं पूर्वी चम्पारण को जोड़ता है ।

अत: हम सरकार से मांग करते हैं कि उक्त पथ एवं पुलिया का निर्माण करावें ।

अध्यक्ष: आप सभी अपने जगह पर बैठ जाइये । माननीय सदस्यों का शून्यकाल है, आपका भी है।

श्री विद्या सागर केशरी: महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के परवाहा एवं हरिपुर गांव से गुजर रही कजरा नदी पर 1984 ई॰ में तत्काल कोशी विभाग वर्तमान जल संसाधन विभाग द्वारा कजरा बांध परियोजना के तहत बांध बनाया गया था, विगत 2017 ई॰ के प्रलयकारी बाढ़ में हरिपुर से परवाहर तक पूर्वी तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है ।

वर्णित स्थानों पर बांध निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार यादव: महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव नगर के सीवेज का पानी गंगा नदी में गिरता है जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है । जिसके लिए प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु अबतक भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है ।

अत: सरकार से प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि अधिग्रहण करने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

श्री मिथिलेश कुमार: महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में स्वीकृत बल के अनुरूप 50 प्रतिशत बल भी उपलब्ध नहीं रहने के कारण सामान्य एवं आपातकालीन जन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है ।

अत: स्वीकृत बल के अनुरूप शीघ्र पदस्थापन किया जाए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर जायं ।

श्री समीर कुमार महासेठ: मधुबनी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत शहरी आवास योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दिये जाने के बाद से द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि अभी तक नहीं दी गई है जिसके कारण लाभुक टूटे मकानों में रहने को मजबूर हैं ।

अत: बकाया द्वितीय और तृतीय किस्त दी जाय ।

अध्यक्ष: आप सभी अपने स्थान पर जायेंगे तब न । पहले शून्यकाल होने दीजिए । माननीय सदस्य की बात को पहले सुन तो लें ।

(व्यवधान जारी)

आपका भी शून्यकाल है, स्थान पर जाइये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत केसरिया प्रखंड मुख्यालय से बथना व मठिया पंचायत को जोड़ने वाली सड़क में रधवा नदी पर पुल नहीं रहने से चचरी पुल ही लोगों के आवागमन का सहारा है जिसके बरसात में बह जाने पर आवागमन बाधित हो जाता है।

अत: रधवा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय ।

(इस अवसर पर श्री महबूब आलम एवं अन्य माननीय सदस्य वेल से अपनी-अपनी सीट पर गये)

श्री विजय कुमार खेमका: महोदय, पूर्णिया जिला में 500 पैथोलॉजी संचालित है जिसमें 172 ही विभाग से रजिस्टर्ड हैं शेष सभी मानक के विपरीत विभागीय अधिकारी से मिलीभगत कर आम आदमी के जान से खिलवार कर रहे हैं ।

अत: मैं सरकार से बिना रजिस्टर्ड पैथोलॉजी संचालन में संलिप्त अधिकारी तथा संचालक पर कठोर कार्रवाई कराने की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव: महोदय, सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत वर्ष 1991 में पुपरी अनुमण्डल की स्थापना हुई । 22 अक्टूबर, 2016 को अनुमण्डल भवन में अनुमण्डल-व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन किया गया लेकिन न्यायालय भवन के अभाव में न्यायालय का अधिक कार्य सीतामढ़ी में होता है, जनहित में भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण कराया जाय ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक वभनदई तालाब के मिण्डा को अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है । अंचलाधिकारी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो रहा है ।

अतः उक्त तालाब को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर संरक्षित, संवर्धित एवं सौन्दर्यीकरण करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सुधाकर सिंहः अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के प्रखण्ड+थाना दूर्गावती के ग्राम-नुऑव मौजा-धिनहुटी, थाना संख्या-82, खाता संख्या-93, खेसरा संख्या-218, रकबा-1.41 एकड़ पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है न्यायालय के आदेश के बाद भी अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया, उक्त प्लॉट को अतिक्रमण मुक्त करावें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः महोदय, बक्सर जिलान्तर्गत अहिरौली स्थित राजकीयकृत श्री धनवन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भवनों की मरम्मति हेतु सरकारी आवंटन के कारण नहीं हो रहा है ।

अतः उक्त जर्जर भवनों की मरम्मति की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के खरीक प्रखण्ड में आर0सी0डी0 रोड चोरहर, घाट कालूचक पैकेज नम्बर-203 का रिवाइज्ड डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता-2 को दिसम्बर में ही भेज दिया गया है लेकिन अभी तक विभाग आदेश नहीं दिया है ।

अतः सरकार से अविलम्ब सड़क बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री आलोक कुमार मेहताः अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर डी0आर0एम0 कार्यालय से उजियारपुर, सरायरंजन, मोड़वा होते हुए ताजपुर जाने वाली लगभग 33 किमी सड़क का निर्माण 2007 में हुआ, रख-रखाव के अभाव में अत्यधिक जर्जर है । अतएव मांग करता हूं कि उक्त सड़क, जो लगभग 2.5 लाख आबादी के आवागमन को प्रभावित करती है, का शीघ्र चौड़ीकरण के साथ निर्माण कराएं ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, दीघा स्थित आवास बोर्ड के 1024.52 एकड़ जमीन का विवाद वर्षों से लंबित है । बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा पदस्थापित स्थानीय पदाधिकारी द्वारा वहां के भू-स्वामियों एवं निवासियों से जबरन पैसे की वसूली करने के साथ उन्हें गलत ढंग से मुकदमें में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है । मैं उक्त पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, कोरोना महामारी के दौरान सभी शिक्षण संस्थान पूर्णतः बंद थे, लेकिन निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से शिक्षण शुल्क जबरन वसूला जा रहा है । अतः आपसे आग्रह है कि सरकार बिहार राज्य के सभी निजी विद्यालयों को जिला

पदाधिकारियों के माध्यम से कोरोना महामारी काल का शिक्षण शुल्क माफ करने का निर्देश दे ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना अन्तर्गत एक विवाहित महिला के साथ दिनांक 27.01.2021 को दुष्कर्म किया गया, जिसका थाना कांड संख्या 24/21 है । इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कर अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नेपाल सीमा से लगे नरपतगंज प्रखंड के बेला पंचायत में बोचहा नदी पर बना हुआ स्लूईस गेट 2008 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाने से किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है । उक्त स्थान पर पुनः एक नया स्लूईस गेट बनवाने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, रीगा चीनी मिल को नुकसान का हवाला देकर प्रबंधन ने अचानक बंद कर दिया । मिल पर किसानों के लगभग 185 करोड़ रूपए बकाए हैं । परेशान किसानों के सामने सामूहिक आत्महत्या करने की नौबत है । मैं सरकार से ब्याज सहित किसानों की बकाया राशि के भुगतान कराने की मांग करता हूं ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखंड के इचरी पंचायत के भेड़री ग्राम के निवासी स्व0 रवि यादव, पिता–हरिद्वार सिंह की हत्या दिनांक 24.12.2020 को हुई थी, जो गड़हनी थाना कांड संख्या–175/2020 है, लेकिन अभी तक जिला पुलिस प्रशासन द्वारा हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है । हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करावें।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, जनवितरण की दुकान में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत सुनने के लिए प्रखंडों में एम0ओ0 उपलब्ध नहीं रहते । एम0ओ0 का कई प्रखंडों का प्रभारी रहने के कारण मजबूरी बताया जाता है । सरकार से अपील है कि एम0ओ0 से खाली प्रखंडों में सी0ओ0/बी0डी0ओ0 को चार्ज दिया जाये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पटना जिला के पालीगंज बाजार में जाम से निदान हेतु पालीगंज बस स्टैंड को कृषि विभाग की जमीन पर स्थानांतरित करने, मौजूदा जर्जर बस स्टैंड को सरकारी मार्केट बनाकर उसमें फुटपाथी दुकानदारों को शिफ्ट करने एवं बाजार के बाहर से बाइपास सड़क निर्माण करने की मांग करता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, बिहिया चौरास्ता से बिहिया, जगदीशपुर, पीरो, सिकरहटा, खुटहा होते हुए बिहटा तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है । सिकरहटा सड़क के किनारे 119 महादलित भूमिहीनों का घर बिना बसाये उजाड़ा जा रहा है । इन गरीबों को उजाड़ने से पहले जमीन व घर देकर सरकार बसाने की व्यवस्था करावे ।

श्री अजय कुमार : महोदय, सरकार का एक मार्च से 5वीं तक के सभी स्कूल खोलने का आदेश है। पूर्व से खोले गये वर्गों के बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाईजर उपलब्ध नहीं है और न

ही गाईडलाईंस का पालन हो रहा है । मैं सरकार से स्कूलों में मास्क, सेनिटाईजर उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि बाजार की जनसंख्या अठारह हजार पार कर चुकी है और नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त करने की सभी शर्तें पूरी करती है । स्वर्णिम विकास से वहां की जनता को हर दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा । मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में हरसिद्धि बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, राज्य में लॉकडाउन काल में बहुत से विद्यालयों में रसोइयों ने जान पर खेल कर क्वारन्टाइन सेंटर के मजदूरों को खाना पकाकर खिलाया, अन्य सेवाएं दी हैं, परन्तु कोरोना वारियर घोषित करने के बावजूद न उन्हें मजदूरी दी गई, न ही अन्य सुविधाएं । मजदूरी भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री कृष्ण कुमार मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड-जहानाबाद, पंचायत-मान्दिल, ग्राम-सलेमपुर निवासी, बद्री यादव, पिता- कामता यादव का निधन 11 हजार विद्युत्त स्पर्शघात से 12.08.2020 को इलाज के दौरान पटना मेडिकल अस्पताल में हो गया था । मृतक भूमिहीन है, अकेला परिवार का भरण-पोषण करता था । आश्रित को मुआवजे की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, काराकाट विधानसभा अन्तर्गत बिक्रमगंज प्रखंड में बलचनवा एवं सत्यनारायण टोला काव नदी के किनारे अवस्थित गांव है, जिनकी दूरी 500 मीटर है । लगातार बाढ़ से कटाव हो रहा है, भविष्य में जान-माल के क्षति की प्रबल संभावना है । मैं मांग करता हूं कि कटाव रोकने का कारगर उपाय किया जाये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, औरगांबाद जिला अन्तर्गत बारून प्रखंड के सिरिस ग्राम के सामने जी0टी0 रोड के किनारे 50 घर भूइंया समुदाय के परिवार बसे थे, जिन्हें सड़क निर्माण के कारण उजाड़ दिया गया है । मैं विस्थापितों को 3 डिसमिल जमीन और आवास योजना की राशि देने की मांग करता हूं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, रोहतास जिला के सासाराम शहर में स्ट्रीम वाटर ड्रिनेज पार्ट-1 के तहत 30 प्रतिशत जल निकासी होगा, शहर में जल-जमाव लगा हुआ है । आम जनता को काफी परेशानी होती है । पुरे शहर में स्ट्रीम वाटर ड्रिनेज पार्ट-2 के तहत जल निकासी करावें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के भोरहा पंचायत के ग्राम-बेलगच्छी, वार्ड नं0-1 महादलित टोला के पास कमला नदी में 4 साल से पुल क्षतिग्रस्त है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है । क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया पुल बनाने के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार : महोदय, नालंदा जिलान्तर्गत माता सुशीला इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, हिलसा द्वारा बी0एस0सी0 नर्सिंग में फर्जी नामांकन कराकर छात्रवृत्ति की राशि ली जाती है, परंतु परीक्षा फार्म अन्य वैधानिक प्रक्रिया डी0पी0 सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन (न) कॉलेज नालंदा द्वारा कराया जा रहा है । यह पूर्णतः फर्जीवाड़ा है । संस्थान द्वारा की गयी फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने, निबंधन की जांच कराने की मांग के संबंध में ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जायेंगे ।

श्री पवन कुमार जयसवालः महोदय, हमारा क्या हुआ ।

अध्यक्षः ठीक है । आप बोल दीजिए ।

श्री पवन कुमार जयसवालः महोदय, राज्य में जीविका के सभी कैडरों की पहचान, पत्र देने, मानदेय यात्रा की राशि बढ़ाने, स्वयं सहायता समूहों को आई0सी0एफ0आर0एफ0 की राशि एक लाख करने, सामाजिक सुरक्षा लाभ, महिला कैडरों को मातृत्व अवकाश, एक लाख मेडिकल क्लेम और 5 लाख डेथ क्लेम देने की राज्य सरकार से मांग करता हूं.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य ललित जी, आप भी अपनी सूचना को पढ़ दें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पवन कुमार सिंह दिनांक 14.02.2021 को दिल्ली से अपने घर सकरी जा रहे थे, अपनी भतीजी की शादी में । इनका अपहरण हो गया है, ए0टी0एम0 से पैसा भी निकाल लिया, अभी तक उसका अपहरण का पता नहीं चला है.... ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महबूब आलम जी, आपने तो शून्यकाल में इस मामले को उठा लिया है, अब इसकी आवश्यकता है क्या ? अब ध्यानाकर्षण लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा, आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (गृह विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, गाँव की पहरेदारी, निगरानी एवं गुप्त अपराध प्रवृति की जानकारी देने के निहितार्थ चौकीदार/दफादार की नियुक्ति की जाती है । उनके कमजोर आर्थिक स्थिति एवं दक्ष कार्य प्रणाली को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हें चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर सराहनीय कार्य किया है । अन्य कर्मचारी की तरह मृत्यु के उपरान्त इनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है । अक्सर ऐसा देखा गया है कि चौकीदार/दफादार के आश्रितों के आवेदन बहुत दिनों तक साल दर साल लम्बित रखे जाने की प्रवृति प्रायः हर जिला में देखने को मिलती है ।

समय पर अनुकम्पा आधारित आश्रितों की नियुक्ति न होने से गाँव असुरक्षित सा लगता है। सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति समय-सीमा के अंदर करने के लिए समुचित प्रावधान करना आवश्यक है ।

अत: चौकीदार/दफादार के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नियम समय पर करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

टर्न-9/सत्येन्द्र/26.02.2021

अध्यक्ष: माननीय मंत्री,गृह विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग के ज्ञापांक- 359, दिनांक- 17.01.1990 के द्वारा चौकीदार/दफादारों को दिनांक 01.01.1990 के प्रभाव से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित कर दिया गया है । उस घोषणा के उपरांत चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को सेवाकाल में मृत्यु एवं उपरांत उनके आश्रितों को भी, सरकार के अन्य कर्मियों की भांति अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने का प्रस्ताव अनुमान्य होता है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र निर्गत किये जाते हैं, जो अन्य सरकारी सेवकों की भर्ती, विचार एवं कर्मियों पर लागू है । सामान्य प्रशासन विभाग के उप परिपत्रों में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ सरकारी सेवक की मृत्यु के 5 वर्ष के भीतर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किये जाने का प्रावधान है । निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सरकारी सेवकों की मृत्यु की तिथि के अनुसार वरीयता सूची तैयार कर क्रमानुसार उपलब्ध रिक्ति के आधार पर प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जाती है । सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परिपत्रों के अनुसार अनुकम्पा पर आधारित नियुक्ति किये जाने का कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है तथापि माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए गृह विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को चौकीदार संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार हैं । सेवाकाल में मृत चौकीदार के आश्रितों को अनुकम्पा पर नियुक्ति के गठित मामलों को शीघ्र निष्पादन के संबंध में निर्देश दिया जायेगा । अनुकम्पा नियुक्ति के उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1890, दिनांक 05. 01.2014 द्वारा चौकीदार संवर्ग के कर्मियों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के क्रम में 1 माह पूर्व की तिथि से स्वैछिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर अपने आश्रितों को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु नामित किये जाने का प्रावधान है । उनके आश्रितों को इस प्रकार नियुक्ति की भी चौकीदार संवर्ग के पद पर की जाती है । इस प्रावधान को समय-सीमा पर लागू करने के संबंध में विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से इस विषय को सदन में लाया है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि चौकीदारों के लिए दो विषय हैं और मुझको लगता है कि प्राय: माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होगी । एक जो मृत्यु के बाद अनुकम्पा और दूसरा राज्य सरकार ने 2014, जिसका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि जो अगर स्वैछिक सेवानिवृत्ति लेते हैं तो उनको भी एक प्रावधान है कि आप अपने यहां किसी आश्रित को चाहे तो आपका स्थान वह ले सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण ऐसे आये हैं जो मधुबनी जिला के हैं जिनमें यह देखा गया है कि एक लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी क्योंकि जो प्रक्रिया हैं जैसे जिला में अनुकम्पा समिति की बैठक होनी हैं, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, वह बैठक होती नहीं रहती है । बहुत बार यह भी देखा गया है बैठक हुई लेकिन प्रोसिडिंग पर सिग्नेचर नहीं हुआ, जिलाधिकारी का कहीं ट्रांस्फर हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे विषय ऐसे आये हैं, जो लम्बित हैं और उन आश्रितों को एक लम्बी अवधि तक कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है जिसमें वे बहुत परेशान होते हैं, साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा गया है कि अनुकम्पा समिति की बैठक जब जिला में होती है या जब आप स्वैछिक सेवानिवृत्ति के विषयों पर जब आप निर्णय लेते हैं, छोटे-छोटे कारणों के कारण से भी ऐसे आवेदनों को रद्द किया गया है तो मैं मंत्री महोदय, से यही सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी ऐसे लम्बित मामले हैं, चाहे वह अनुकम्पा मृत्यु के आधार पर हों या स्वैछिक सेवानिवृत्ति हों । एक अभियान चलाकर जितने भी आवेदन विभिन्न जिलों में लम्बित हैं, पेंडिंग हैं, आपने स्वयं भी इस उत्तर में कहा है इसको निष्पादन करवा दिया जाय ताकि उन आश्रितों को एक सहारा भी मिले और गांव में जो उनकी जवाबदेही है, उसका भी निर्वाहन वह समुचित तरीके से कर सके ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा माननीय सदस्य को कि माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । आज ही निर्देश दिया गया है कि अविलम्ब जितने भी पेंडिंग मामले हैं, उन सब का निष्पादन जिला पदाधिकारी करेंगे ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों को रखा जाना

अध्यक्ष: माननीय सभापति, याचिका समिति ।

श्री प्रेम कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211(1) के तहत षोडश बिहार विधान सभा की याचिका समिति की 24 वॉ प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

सर्वश्री भाई वीरेन्द्र, आलोक कुमार मेहता एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भाई वीरेन्द्र अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्या- सी0डब्लू0जे0सी0- 7651/2017, सी0डब्लू0जे0सी0-1035/2018 से उद्त एम0जे0सी0 संख्या-3748/2017, एम0जे0सी0 संख्या-899/2019 के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के विज्ञप्ति संख्या-पी0आर0-373/2019 द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने हेतु निर्णय लेने के उपरान्त दिनांक-16.12.2019 को प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया एवं दिनांक- 11.02.2020 को 8386 रिक्त पद के विरूद्ध 3523 सफल अभ्यर्थियों की सूची निर्गत की गई लेकिन आज तक सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं की गयी है ।

अत: उक्त वर्णित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अतिशीघ्र नियुक्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं तदालोक में अधिसूचित बिहार में पंचायत प्रारभिंक शिक्षक नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली, 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षा नियोजन सेवाशर्त नियमावली, 2012 के तहत मध्य विद्यालयों, जहां 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं, में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियोजन की कार्रवाई की जानी है । उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है परन्तु पद सृजन नहीं हुआ है । राज्य के 8386 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में एक-एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अर्थात् 8386 पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । पद सृजन के उपरांत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्धारित अर्हता धारित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत गठित नियोजन समिति के द्वारा किया जाएगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एफीडेविट किया था, प्रधान सचिव ने कोर्ट में कि हम शीघ्र ही और डेट भी निश्चय किया था कि इस डेट में हम निश्चित रूप से नियुक्ति पत्र दे देंगे लेकिन वह नियुक्ति पत्र आज तक वह निर्गत नहीं सका और जो अभ्यर्थी लोग थे, सफल अभ्यर्थी वह नौकरी पाने में असफल रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करूंगा, जानना चाहूंगा कि कब तक, समय-सीमा बतावें कब तक उन अभ्यर्थियों जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी कब तक नियुक्ति की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल स्पष्ट उत्तर मैंने दिया है महोदय और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि..

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न-10/पुलकित-सुरज/26.02.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों के मांगों की कुल संख्या-38 है, आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अत: किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग को लेता हूँ, जिस पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन द्वारा किया जायेगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	55 मिनट
जनता दल (यूनाइटेड)	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)	-	09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	04 मिनट
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा	-	03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	-	03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0)	-	01 मिनट
सी0पी0आई0	-	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	01 मिनट

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के

दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या-2 अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग संख्या-3 अधिनियम, 2020 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,79,48,09,000/- (तेईस अरब उन्यासी करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्षः इस मांग पर, माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री समीर कुमार महासेठः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटाई जाय ।''

महोदय, मैं इसलिए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 72,13,71,54,000/- (बहत्तर अरब तेरह करोड़ इक्कहत्तर लाख चौवन हजार) रूपये दिये गये थे । महोदय, इस बार द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से 23,79,48,09,000/- (तेईस अरब उन्यासी करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार) रूपये की मांग की गयी है । दोनों मिलाकर के 95 अरब 93 करोड़ 19 लाख रूपये होते हैं । यदि आपका खर्च इतना था या इतना है तो फिर 2020-21 के लिए जो आपने 72 अरब की मांग की थी उसका क्या औचित्य था ? महोदय, इसका मतलब है कि जब आप बजट बनाते हैं, आप पूरे विचार के बाद बजट नहीं बनाते हैं, जिस प्लानिंग के तहत आप रहते हैं, अपने प्लानिंग के अंदर ही, आपको आगे की प्लानिंग जो होनी चाहिए, वह करनी चाहिए । महोदय, इस राज्य में आप मानकर चले कि नगरीय विकास दृष्टिगोचर नहीं दिख रहा है । किसी भी नगर कहलाने वाले क्षेत्र में चले जाइये, कुछ नजर नहीं आयेगा, अगर नजर आयेगा तो थोड़ा पटना में आयेगा, जो पिछली बार हमने कहा था कि पटना की स्थिति को देख लें तो शायद कुछ नजर आता है, लेकिन जब बरसात के दिनों में जब यहां की स्थिति बनती है तो कुछ कहना नहीं है । हमारे नेता खुद ही फंस जाते हैं, जो नेता कहलाते हैं, लगातार हम समझते हैं कि 15 साल बनाम 15 वर्ष की जो कल चर्चा हो रही थी । महोदय, ये डिपार्टमेंट बहुत ही स्पष्ट दिखता है कि जहां पर ये 15 साल लगातार एक पक्ष के लोग ही मंत्रिमंडल में रहे हैं, इसके वाबजूद भी अब इन्हें कितना समय मिलना चाहिए कि अपने प्लानिंग को जहां पर 5 साल में ही दुरूस्त नहीं कर पाते हैं, दूसरा स्टेट 50 साल की प्लानिंग करता है तब जाकर के वह 5 साल में वह जनता को सही सुख दे पाता है, जिसमें बिजली हो, शुद्ध पेयजल हो, सड़क हो, नाला हो, सीवरेज हो, प्रकाश हो, स्वच्छ वातावरण हो और नई जो कॉलनियां बसती है उसकी प्लानिंग

होती है लेकिन हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा पूरे बिहार में चूंकि यहां जितने भी माननीय सदस्य हैं कहीं न कहीं जिले से आते हैं, हेडक्वार्टर से आते है, निकाय क्षेत्र से सब जुड़े हुए हैं । स्थिति-परिस्थिति वैसी है जो एक कहावत भी है, 'मोर जब जंगल में नाचता है और अपने पैरों की तरफ देखता है तो शरमा जाता है ।' यह डिपार्टमेंट को बहुत आगे तक बढ़ करके आगे जो जनोपयोगी सुविधा है, वह देने की आवश्यकता थी जो 15 वर्षों में नहीं हो पाई । हमारा यह कहना है कि आज भी अगर आप प्लान करें, बढ़िया ढंग से करें तो शायद 50 साल का आप पहले प्लानिंग कर लें, उस प्लानिंग के हिसाब से सभी जिलों को जहां-जहां निकाय क्षेत्र है, जो आने वाले टाइम में हो सकता है जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में कहीं न कहीं इस पर हो सकता है भारत सरकार विशेष ध्यान दें और उस विशेष ध्यान देने के बाद आप इसे और आगे बढ़ावें लेकिन हमारा इस बार का मानना है कि जब बजटीय प्रावधान किया गया तो फिर 95 अरब 93 करोड़ 19 लाख रुपये में क्यों आवश्यकता थी कि हम अनुपूरक बजट पेश करें ? चूंकि किसी भी चीज को उठाया जाय, अगर पिछली बार 2 साल पहले बुडको को कहीं न कहीं साइफनिंग होता है । महोदय, हरेक डिपार्टमेंट का बुद्धिमता से आप सारे पैसे को साइफनिंग करते हैं । यहां भी एक साइफनिंग की जगह है, बुडको । अगर पैसा लास्ट में खर्च नहीं हुआ तो आप बुडको में ट्रांसफर कर देंगे और आपके पास क्या है ? या तो वह कहीं न कहीं हमारा स्टेट का जो प्लानिंग है वह गड़बड़ है । महोदय, आज ही चर्चा हो रही थी, बिजली के क्षेत्र में, हम वहीं से स्टार्ट करना चाहेंगे, चूंकि, हरेक शहर की जो आबादी है, अब स्थिति यह है कि जब एंबुलेंस फंस जाता है और अगर कोई भी मुख्य सड़क शहर के भीतर अगर 35 फीट से 40 फीट सड़क है, दोनों तरफ नाला है, इसके बाद दोनों तरफ बिजली का पोल है, अब अंदाज कर लीजिए कोई भी पोल 8 फीट से कम पर नहीं है चूंकि बिल्डिंग की कहीं न कहीं सुरक्षा नहीं होगी तो 16 फीट तो आपका चला जाता है उसमें और अगल-बगल उस पोल के कारण, लोग अगल-बगल के जो व्यापारी हैं या जो छोटे-मोटे ऐसे दुकानदार हैं, ठेला है, वह लग जाने के कारण शहर अस्त-व्यस्त हो जाता है आवश्यकता है आपके अपने प्लानिंग में जो हमने कहा 50 साल की प्लानिंग करें और आप यह नहीं कहें कि इसकी क्या आवश्यकता आई है, किसी फलाने जगह के काम को रोक देंगे ये कौन सी प्लानिंग है। आप यहां हाईकोर्ट चले जाइये । हमने पहले भी कहा था हाईकोर्ट का भी सिस्टम है कि सारे डिपार्टमेंट की एक जगह मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग करने के बाद इस प्लानिंग को दुरूस्त किया जाता है कि कैसे एक-एक सुविधा हमारे जस्टिस को मिले । एक समय था कि पूरे बिहार के लोग कहते थे कि पदाधिकारी हमेशा इस

बात की डिमांड करते थे कि जो पॉलिटिशियन को सुख-सुविधा है वह हमें भी मिलनी चाहिए लेकिन आज क्या स्थिति है सारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, सारे जो हैं हमलोग की भी यह स्थिति है कि हमको अपने किसी भी चीज के लिए जो हक मिलता है वह ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से कहीं न कहीं उसका ज्यादा है हमारा डे-बाय-डे निगेटिव की तरफ जा रहा है तो हमको देखना है, हमारे शहर की जो सुख-सुविधा है कैसे उसको इम्प्रूव करावे । हम सिर्फ बिजली के पक्ष में इसलिए कहें कि कोई एक जगह का बिजली का नहीं है, हरेक जगह 50 साल की प्लानिंग के हिसाब से छोटी-मोटी गली है, उस गली में जो दोनों तरफ का पोल है अंडरग्राउंड वायरिंग होना अति आवश्यक है ।

(क्रमशः)

टर्न-11/मधुप/26.02.2021

...क्रमशः...

श्री समीर कुमार महासेठ : दूसरी तरफ अगर हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, आप कहीं चले जायं, कहीं आर्सेनिक पाया जाता है, कहीं कुछ पाया जाता है । तो पेयजल में मेरा कहना है कि सात निश्चय में कितना काम हुआ, यह आकलन करने की जरूरत है । जहाँ बड़े-बड़े टावर थे उससे पानी दिया जाता है, जहाँ 16 इंच का मोटा-मोटा पाईप था, वहाँ 2 इंच, 3 इंच के पाईप से कैसे पानी मिलेगा ? स्टीमेट कमिटी अगर 12 जिलों में भ्रमण किया था, उसने जो रिपोर्ट दिया था, उस कमिटी रिपोर्ट देखने का आप प्रयास करें । चाहे वह शहर का हो चाहे कहीं गाँव का हो, पेयजल के लिए आप कहीं चले जाइये, आप केवल बिहार में तो नहीं रहते हैं, बिहार के अलावा सारे लोग देश-विदेश में घूमते हैं, आप वहाँ का क्यों नहीं देखते हैं और जिस बात के लिए आप कहते हैं कि हम इसी बात के लिए हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, यह अहंकारी प्रवृत्ति क्यों है ? अहंकारी प्रवृत्ति से क्या फायदा मिलेगा ? चीजों को आप अपने विधान सभा की कमिटी से प्रुफ कर दीजिए, इसके बाद भी अगर लोग कहे कि नहीं यह गलत है तो हम समझते हैं कि यह प्रुव्ड हो जायेगा । आज आप हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, आप विधान सभा के कस्टोडियन हैं, हमारे गार्जियन हैं लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थिति में आपको भी आगे बढ़कर 50 साल के हिसाब से जबतक प्लानिंग नगर विकास विभाग नहीं करेगा हम आगे भी रोते रहेंगे और जनता भी रोती रहेगी ।

हम करना चाहेंगे कि शुद्ध पेयजल के बाद सड़क की बात । जहाँ भी चले जाइये, अभी बहुत अच्छा हुआ, पिछले बार यह निर्णय हुआ, हमने इस तरफ इधर हाथ उठाया था तो कुछ लोगों ने आब्जेक्शन किया, नहीं करना चाहिए था । हरेक जिले की

बात है, हरेक निकाय क्षेत्र की बात है, सड़कों में कहीं काम पिछले 5 साल में ढंग से हुआ ही नहीं है और जो सड़क थी, अगर पी0डब्लू0डी0 की सड़क में कन्वर्ट करा दिया गया वहीं काम हुआ । इस बार हम नगर विकास विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे और पी0डब्लू0डी0 को, आर0डी0डब्लू0 को, कैसे उनसे जो बड़ी सड़कें थीं, अपने तरफ लेने का प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है कि भविष्य में वह सड़क बन जाय ।

हमें विश्वास है, हम मानते हैं कि अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सोच वाले हैं लेकिन धरातल पर तो अच्छी सोच उतरनी चाहिए, इनके सोचने से और धरातल पर नहीं उतरेगा तो पिछला 5 साल तक जो रोया है फिर आगे भी 5 साल रोयेगा । इसलिए सड़क के गड्ढे के बारे में सोचिये और निश्चित तौर पर आप सभी निकाय क्षेत्र में एक-एक एम्बुलेंस देने का प्रयास करें जो सड़क मरम्मती का होता है । 5 साल मेन्टेनेंस करे या नहीं करे, आप एम्बुलेंस देने की व्यवस्था करें ताकि तुरंत कोई यदि रोड कटिंग हो चूंकि आपका कोई डिपार्टमेंट एक-दूसरे से को-रिलेटेड नहीं है नगर विभाग के साथ । जब मन आता है बिजली पोल वाला काट देता है, कभी टेलिफोन वाला काट देता है, कभी वाटर सप्लाई वाला काट देता है, कभी घर में पानी नहीं आता है इसलिए काट देता है, हर समय यह प्रोब्लेम है और कोई मेन्टेनेंस करने वाला पूरा नहीं कर पायेगा जबतक निकाय क्षेत्र में आप रोड रिपेयर के लिए एम्बुलेंस नहीं देंगे कि इंस्टैंट आप देखेंगे और तुरंत कहेंगे, तुरंत बन जायेगा । उससे ढेर सारा मेन्टेनेंस का जो भी जहॉ-जहॉ ग्रामीण क्षेत्र में है, आप देख लें, भारत सरकार का जब हुआ था, उस समय भी 5 साल तक वह मेन्टेनेंस का था, 4 साल जब पूरा हो गया तब 5वें साल में मेन्टेनेंस किया था । 4 साल का पैसा बिहार के एक-एक जगह से उनलोगों ने लूटा था । हम नहीं चाहते हैं कि लूट की प्रवृत्ति को आप आगे बढ़ावें । आगे आने वाले टाइम में आप कहॉ पर नाला, कहीं सिवरेज, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि कौन नाला बनाने के बाद किस नाले से कहॉ पानी जायेगा, किसी का बनावट ही ऐसा नहीं बनता है, न तो टेक्निकल रूप से वह अच्छा है । आप समेकित रूप से जहॉ भी है, पूरे सर्वे कराकर एक प्लानिंग कर दें, अगर पानी कहीं गिरेगा तो स्वतः जहॉ नीचे की ओर ढलान होगा उधर जायेगा, जिधर ढलान नहीं है उधर का नाला बन रहा है तो पानी जायेगा कैसे ? एक-एक जगह आपका ढक्कन युक्त नाला भी बर्बाद हो रहा है । गुणवत्तापूर्ण तो एक अलग इशू है । पानी जिधर निकलना चाहिए, वही नहीं निकल पाता है ।

अध्यक्ष : अब आप संक्षिप्त करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सर, 13 मिनट अपना है । (व्यवधान) क्या कहे ? नगर का गॉव से जोड़ देंगे ।

अध्यक्ष : आप भटकिये मत । मात्र 2 मिनट बचा है । बैठे-बैठे मंत्री जी न बोलें । अगर बोलना है तो उठकर बोलें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : जो हमारी इच्छा है प्रकाश के बारे में । पिछला 5 साल एल0ई0डी0 लाईट की जब बात हुई तो एक अच्छा प्रयास हुआ, सभी जगह शहरों में भी और ग्रामीण स्तर पर भी लाईट जायेगा लेकिन उस लाईट के बारे में मेरा कहना है कि जितना आपने जहाँ सैंक्शन किया, 50 परसेंट भी एल0ई0डी0 लाईट शहरों में नहीं लगा है, उसका मूल्यांकन करके देख लें और आवश्यकता है उसको लगाने की । बताया जाय सर, इतना पुराना-पुराना नगर निकाय क्षेत्र है, कहीं बस स्टैंड है नहीं, मधुबनी में आज तक बस स्टैंड नहीं बना है ।

पब्लिक टॉयलेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग घर से बाथरूम करके निकलते हैं और 4 घंटा, 5 घंटा कहीं जाना है किसी शहर में तो कहाँ पेशाब करेंगे, कहाँ गाड़ी पार्किंग लगायेंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, कोई सुविधा नहीं है ।

महोदय, जितने भी तालाब शहर में हैं, हस्तांतरण होना चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, लोग कहते हैं, छठ घाट हमलोग अपने पैसे से भी नहीं बना सकते हैं । यह कौन-सा विभाग है कि अपने पैसे से आप छठ घाट नहीं बना सकते हैं, इसलिए मेरा आग्रह है नगर विकास विभाग से कि हमलोगों के विधान मंडल के पैसे से छठ घाट बने । उसका प्रावधान होना चाहिए ।

जहाँ तक पार्क के निर्माण की बात है, इनसे नहीं सम्भलता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टाई-अप कर लें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सभी शहरों को गोद दे दें कि आप अपने स्तर से उसको बनावें भी और मेन्टेन भी करें ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट कहते हुए कि जो भी आपका बिहार का कंट्रैक्टर है, कोई काम बिहार के कंट्रैक्टर को नगर निकाय के लोग नहीं देते हैं । इतना बड़ा घोटाला है कि बिहार से बाहर के लोग काम लेते हैं । आप अपने लोग को क्यों नहीं उस रूप में डेवलप करते हैं कि यहाँ का लोग, यहाँ के कंट्रैक्टर आपका काम करें और जब कभी भी हो आप उनको पकड़ सकते हैं, बाहर का यहाँ से हैदराबाद, फलाँ-फलाँ जगह का कंट्रैक्टर पैसा ले जा रहा है और टेक्निकल रूप से हमारा काम खराब करके जाता है । इसलिए विशेष रूप से हमारा आग्रह होगा कि उसपर ध्यान दिया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आज द्वितीय अनुपूरक बजट में जो 19370.0325 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट आया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

साथ-ही, जो विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे, अध्यक्ष महोदय, एक सौ काम भी

बता रहे थे और कटौती प्रस्ताव भी ला रहे हैं, उनको तो बढोत्तरी प्रस्ताव देना चाहिए । एक तरफ शहर का विकास भी चाह रहे थे और दूसरी तरफ कटौती प्रस्ताव भी ला रहे थे । प्रश्न एक सौ करते हैं सड़क के लिए, नाला के लिए, बस स्टैंड बनना चाहिए और उपर से कटौती प्रस्ताव लाते हैं । विपक्ष का यह जो दोहरा चरित्र है, महोदय, इसपर जरूर ध्यान देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष रहते हैं तो वे आंकड़े की बात कर रहे थे तीन दिन पहले.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए न । बैठ जाइये ।

श्री संजय सरावगी : यह बीमारी है, अध्यक्ष महोदय । देखिये कि हमलोग कितना आराम से इनलोगों को सुनते रहते हैं । आपका समय आयेगा तब बोलियेगा न । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ज्ञान हम बता रहे हैं अभी । अभी तुरंत 5 मिनट में ज्ञान भी बतायेंगे । नेता प्रतिपक्ष अभी हैं नहीं, इन लोगों के लिए बस दो लाईन का शेर कह देते हैं -

''कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख की नजरों में,
लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है ।''

आपलोग जो खता किये हैं न उसकी सजा बिहार के लोग देख रहे हैं । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात भी इनलोगों के लिए बोल देते हैं -

''तुम रूठे-रूठे से लगते हो,
कोई तरकीब बताओ मनाने की,
मैं जिंदगी गिरवीं रख दूँगा,
तुम कीमत बताओ तो मुस्कुराने की ।''

अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान) बीमारी है । फिर सुनने का मन है क्या ? आंकड़े की बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भाई वीरेन्द्र जी को देखकर मत बोलिए, इधर देखकर बोलिए ।

टर्न-12/अभिनीत/अंजली/26.02.2021

श्री संजय सरावगी: जी । आंकड़े की बात नेता विपक्ष कर रहे थे, प्रतिशत की भी बात कर रहे थे । मैं उनके स्वर्णिम युग का आंकड़ा बताना चाहता हूँ । आज हम नगर एवं आवास विभाग की चर्चा कर रहे थे । अध्यक्ष महोदय, मैं उनके 5 वर्षों का आंकड़ा बताता हूँ जो उन्होंने योजना मद में व्यय की है । 2000-01 में 26.11 करोड़, 2001-02 में 5 करोड़ 80 लाख, अध्यक्ष महोदय, 2002-03 में उन्होंने खर्च किया 81 करोड़ 59 लाख, 2003-04 में उन्होंने खर्च किया 37 करोड़ 33 लाख और 2004-05 में, जो यह पांच साल उनका स्वर्णिम काल था उन्होंने खर्च किया 72 करोड़ 6 लाख । इस पांच साल में योजना मद में नगर विकास विभाग ने खर्च किया 222 करोड़ 90 लाख । अध्यक्ष महोदय, केवल

हमारे पटना का बस स्टैंड 300 करोड़ से ऊपर का बन रहा है । अध्यक्ष महोदय, आप जान लीजिए कि इनलोगों ने नगर विकास आवास विभाग को कहां तक पहुंचा दिया एक वर्ष 2001-02 में 5 करोड़ 80 लाख...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठ जाइये, बैठ जाइये माननीय सदस्य ।

श्री संजय सरावगी: हम इनका स्वर्णिम काल बता रहे हैं । नेता विपक्ष प्रतिशत की भी बात कर रहे थे, बजट का इतना प्रतिशत, हमने दिया इतना प्रतिशत तो अध्यक्ष महोदय, इनका जितना भी कार्यकाल रहा नगर विकास विभाग में कभी भी इन्होंने 0.4 प्रतिशत से ज्यादा राशि बजटीय प्रावधान नगर विकास विभाग के लिए नहीं किया । अब मैं प्रतिशत पर आता हूँ, प्रतिशत पर ये बोल रहे थे और हमलोगों ने इस वर्ष 3.4 प्रतिशत नगरों के विकास के लिए किया और पिछले वर्ष भी 3.2 प्रतिशत हमलोगों ने किया । अध्यक्ष महोदय, क्या स्थिति शहरों की इनलोगों ने बना दिया था । मैं विधायक के पहले नगर निगम का पार्षद हुआ करता था, मैं तीन साल पार्षद रहा नगर निगम का और उसके बाद दरभंगा की जनता ने विधायक बना दिया । तीन सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं था जो अपने वार्ड में मैंने एक लाख से ज्यादा का काम कराया हो लेकिन आज वहां कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें दो करोड़ से कम का काम होता हो । अध्यक्ष महोदय, कहां 1 लाख पोस्ट आफिस थे, केंद्र से कुछ पैसा आता था ट्रांसफर कर देते थे और उस समय नगर विकास विभाग का एक महत्वपूर्ण काम था केवल ये लोग बैठकर सिनेमा का लाइसेंस रिन्यूवल करते थे । उस समय अध्यक्ष महोदय सिनेमा का लाइसेंस रिन्यूवल होता था.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उनलोगों को भी बोलना है इसके बाद । अध्यक्ष महोदय, नगर राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और किसी भी राज्य के विकास का शहर भी एक बड़ा पैमाना है । उन्नत शहर राज्य के आर्थिक विकास का पैमाना होता है । इनलोगों ने जो शहर की दुर्दशा की, अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले उस समय सत्ता पक्ष के नेताओं के घर में शादी-विवाह होता था, कुछ मांगलिक कार्य होते थे तो बिहार के व्यापारियों के यहां, एजेंसी वालों के यहां, सोना-चांदी के दुकान वालों के यहां मातम मनता था, किसी की गाड़ी शो-रूम से उठा ली जाती थी तो किसी के सोना-चांदी के दुकान से रंगदारी ले ली जाती थी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठिए, आप क्यों बोल रहे हैं । बैठिए ।

श्री संजय सरावगी: मैं कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार की सच्चाई बयान कर रहा हूँ...

(व्यवधान)

अध्यक्षः बिना अनुमति के न बोलें कोई ।

श्री संजय सरावगीः बिहार की सच्चाई यही थी, किडनेपिंग होता था, अपहरण उद्योग चलता था । क्या दुर्दशा बिहार की इन्होंने बना रखी थी, इनके नेताओं के घर में मांगलिक कार्य होता था और बिहार के व्यापारियों के यहां मातम मनता था । पटना की सड़कों पर, दरभंगा की सड़कों पर, मुजफ्फरपुर की सड़कों पर रंगदारी का खुलेआम खेल होता था । कितने व्यापारी बिहार छोड़ दिए, कितने इंजीनियर बिहार छोड़ दिए, कितने डॉक्टर बिहार छोड़ दिए...

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगीः बजट पर ही आ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, बद से बदतर बना दिया बिहार को..

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष जी, सरावगी जी...

अध्यक्षः आप बोले तो सब सुने न । बैठिए । शांति से सुनिए ।

श्री संजय सरावगीः समीर जी आप व्यापारी हैं आपको तो प्रोटेक्शन में खड़ा होना चाहिये कि बिहार में क्या हालत थी और आप व्यापारी होकर विरोध कर रहे हैं । आप बोलिए 2005 के पहले अच्छा हो रहा था, जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था । अध्यक्ष महोदय, मैं नगर विकास विभाग की हालत बताता हूँ । अध्यक्ष महोदय, नगर निगम में जो महादलित समाज के लोग होते थे, जो सफाई कर्मचारी होते थे सभी महादलित समाज से ही आते थे और मैं नगर निगम का पार्षद हुआ करता था । 24-24 महीनों तक उनको वेतन नहीं मिलता था और दवा के बिना वह काल के गाल में समा जाते थे । उन्हें कमाया हुआ पैसा नहीं मिलता था लेकिन आज एक से दो तारीख हुआ नहीं कि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सब के खाते में पैसा जा रहा है, क्योंकि हम महादलित समाज की चिंता करते हैं । अध्यक्ष महोदय, आज शहर में विकास की गंगा बह रही है । इनका बजट का खर्चा था 26 करोड़, 5.80 करोड़, 81.59 करोड़ और अध्यक्ष महोदय इस साल 2021-22 का 7767.13 करोड़, 2021-22 में भी हमलोग अभी जो सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट लाये हैं उसमें भी 7213 करोड़ है । कौन सा ये पैमाना रखे हुये हैं, कहां 5 करोड़ 80 लाख, कहां 23-24 करोड़, कहां 26 करोड़ और कहां 7 हजार करोड़ से ऊपर ये हमारी विकास की गाथाएं अपने आप में कह रही हैं । इसके बाद भी ये लोग कटौती प्रस्ताव लाते हैं, पहले कि बात ये लोग नहीं करते हैं । अध्यक्ष महोदय, आज शहरी क्षेत्रों में 3.82 लाख व्यक्तिगत शौचालय बन चुके हैं, 13656 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय, हर घर नल के जल के तहत 2101 वार्डों में 10.26 लाख घरों को आच्छादित कर दिया गया है और हर घर नल का जल की योजना को 10.26

लाख लोगों के घरों में पहुंचा दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सात निश्चय शहरी गली–नली योजना के अंतर्गत 3735 वार्डों में 6.86 लाख घरों तक पक्की नली–गली पहुंचा दी गई है, समीर जी, जरा इसे भी ध्यान में रखिये । अध्यक्ष महोदय, आज हम नीति भी बना रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं तभी सेकेंड सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ रही है और अध्यक्ष महोदय, कितनी बड़ी धनराशि 2379.48 करोड़ जो इनके बजट का सौ गुना है वह सेकेंड सप्लीमेंट्री में मांग रहे हैं, एडिशनल मांग रहे हैं । अध्यक्ष महोदय ये लोग कहते हैं कि कटौती प्रस्ताव, यह कैसे चलेगा । अध्यक्ष महोदय, जरा इनसे पूछना चाहिए कूड़ा निस्तारण के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सरकार चिंता कर रही है और सभी नगर निकायों में कूड़ा निस्तारण की आधुनिकतम व्यवस्था हो रही है और कुछ में हो भी गई है, बाकी में भी होगी चिंता मत करिये । अध्यक्ष महोदय, बिहार में छठ पूजा की विशेष महत्ता के आलोक में नये बजट में सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी प्रमुख सार्वजनिक तालाबों एवं नदियों के घाटों पर श्रीघाट तथा वस्त्र बदलने के लिए सारी व्यवस्था की जायेगी, यह हमारे विकास का पैमाना है । अध्यक्ष महोदय, एल0ई0डी0 प्रोग्राम के तहत जितने भी नगर निकाय हैं, सभी नगर निकायों के प्रत्येक पोलों पर एल0ई0डी0 लाईट लगेगी और अभी 50 प्रतिशत से ऊपर पोलों पर एल0ई0डी0 लाईट लग चुकी है । अंधेरा लालेटन लेकर घूम रहा है, लालटेन फूट गया । अध्यक्ष महोदय, अब तो हर पोल पर एल0ई0डी0 लाईट लग रही है और लगेगी । मैं इनको बताना चाहता हूं कि शहरों में भी गरीबों की आवास की चिंता हो रही है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सबको पक्का आवास जिसमें कोई ए0पी0एल0, बी0पी0एल नहीं ।

...क्रमशः...

टर्न–13/आजाद/26.02.2021

श्री संजय सरावगी : (क्रमशः) जिसको साढ़े पाँच धूर जमीन है और जिनके पास पक्का मकान नहीं है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत सबको पक्का मकान देने की व्यवस्था की जा रही है । हमलोग नये बजट में जो बेसहारा लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उन सबको बहुमंजिले इमारत बनाकर पक्का मकान देंगे अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, सात निश्चय–2 के तहत सभी शहरों में और नदी घाटों में .....

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कीजिए ।

श्री संजय सरावगी : विद्युत शवदाहगृह एवं मोक्ष धाम का निर्माण करने का सरकार ने निर्णय लिया है और कई जगह हुआ भी है । बाकी शहरों में विद्युत शवदाहगृह एवं मोक्ष धाम का निर्माण होगा महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा 25 मिनट है महोदय और 5 मिनट में ही लाल बत्ती जला दिये ।

अध्यक्ष : आपका 15 मिनट है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हमको और 5 मिनट दिया जाय ।

अध्यक्ष : यहां पर लिखकर के 15 मिनट दिया गया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा प्रमंडलीय मुख्यालय में बसस्टैंड का जिला मुख्यालय में आधुनिकतम स्तर का बस स्टैंड का निर्माण होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, सम्राट अशोक भवन का निर्माण होगा ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइए । आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास विभाग का स्वर्णिम दिन आया है । इस विभाग के जो माननीय मंत्री हैं, वे उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त विभाग के भी मंत्री हैं। इसलिए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय । आशा है कि लोक सेवा अधिकार कानून के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में काउंटर है । शहर के लोगों को बहुत तकलीफ होती है । इसलिए शहर के लोगों के लिए भी .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सत्यदेव बाबू, बैठ जाइए, यह उचित नहीं है । माननीय सदस्य, बैठ जाइए ।

श्री संजय सरावगी : लोक सेवा अधिकार कानून के तहत एक-एक कम्प्यूटर नगर निकाय, नगर निगम या नगर परिषद् के कार्यालय में लग जाय तो यह बहुत अच्छा होगा । यहां पर माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, लोक सेवा अधिकार कानून का एक काऊंटर नगर निकायों में भी लगना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं.....

अध्यक्ष : एक मिनट । माननीय सदस्य श्री सत्येदव जी, बैठ जाइए । आप अभी बैठ जाइए, फिर मौका देंगे ।

श्री संजय सरावगी : मैं बोल रहा था कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी इधर भी बैठते थे और आज तो वे उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त विभाग के मालिक हैं और नगर विकास विभाग भी इनके ही जिम्मे है । एक हाथ से लेना है और एक हाथ से देना है । इसलिए हम कुछ इनको याद दिलाना चाहते हैं । हम उनको कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना प्रारंभ होना चाहिए, यह अतिआवश्यक है । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना चालू हो और नगर निगमों में स्थायी समिति में जैसे बोर्ड में माननीय सदस्य उसमें पदेन सदस्य होते हैं, कोई वोटिंग राईट नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नगर निगम और नगर परिषद् में कम से कम माननीय

विधायकों को पदेन सदस्य बना दें क्योंकि उसमें नीतिगत निर्णय, राशि का निर्णय स्थायी समिति में होता है, इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में प्रमंडलीय मुख्यालय है और जल-जीवन- हरियाली कार्यक्रम में हमेशा मुख्यमंत्री कहा करते थे कि दरभंगा में जब पानी का किल्लत हो गया और दरभंगा के लिए इतनी चिन्तित हुए मुख्यमंत्री जी कि दरभंगा के कारण पूरे बिहार के बारे में सोचा गया । दरभंगा में बड़ा जल-जमाव रहता है और यहां बड़ी-बड़ी झीलें हैं । शहर में 62 तालाब है और हराही, दिग्घी, गंगासागर, मिर्जा का तालाब 300 एकड़ का चारों मिलाकर तालाब है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा भी था अधिकारियों को कि इसको करिए जल-जीवन-हरियाली के अन्तर्गत इसका सौंदर्यीकरण हो । यहां पर बड़ी-बड़ी झीलें हैं । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जल-जीवन-हरियाली के तहत चार जो बड़ी-बडी झीलें हैं और यह शहर के बीचो-बीच है और दिग्घी, गंगासार, हराही और मिर्जा का सौंदर्यीकरण होना चाहिए । दरभंगा शहर जो है प्रमंडलीय मुख्यालय है, बसस्टैंड जो है वह सुविधायुक्त नहीं है, सिर्फ जमीन है । इसको बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ .....

अध्यक्ष : आपका समय कम हो रहा है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, बस-बस, मैं अन्त कर रहा हूँ । अध्यक्ष महोदय, महापौर और उप महापौर का चुनाव आम जनता के माध्यम से होना चाहिए, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ और पार्टी लाइन पर हो जाय तो अति-उत्तम और सिम्बौल पर हो जाय तो अति-उत्तम । अध्यक्ष महोदय, महापौर और उप महापौर का चुनाव निश्चित रूप से जनता के माध्यम से होना चाहिए । इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल होता है ....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष बधाई और आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह 6-7 दिन से आपने सदन को चलाया अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्नकाल चला, इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और विपक्ष के सदस्यों की भी भूमिका है । ऐसे ही पूरा बजट सत्र चले, इसके लिए आपने जो महती भूमिका निभायी है, मैं पूरे सदन की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह जो अनुपूरक बजट आया है, मैं पुनः फिर से आग्रह करना चाहता हूँ विपक्ष के सदस्य से कि आप अपना कटौती वापस ले लीजिए, नहीं तो जो प्रश्न आप उठाते हैं, वह काम कैसे होगा ? एक तरफ आप कहियेगा कटौती और एक तरफ कहिए कि यह काम करा दीजिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद ।

श्री संजय सरावगी : अंतिम में अध्यक्ष महोदय,

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती ।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । जय बिहार, जय मिथिला।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्रा, आपका 7 मिनट का समय है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : अब आपको क्या है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने माननीय वित्त मंत्री को कहा कि एक हाथ से लेंगे और दूसरे हाथ से देंगे XXX

अध्यक्ष : आपका समय आयेगा तो आप बोलेंगे । चलिए संतोष मिश्रा जी ।

(व्यवधान)

आप शुरू करें, आपका 7 मिनट का ही समय है, एक मिनट ये ले लिये आपका ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज .....

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको चुनौती देता हूँ, माननीय सदस्य, अपना शब्द वापस ले लें, नहीं तो सदन में माफी मांगे अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : इस तरह के शब्द प्रोसिडिंग्स के पार्ट नहीं बनेंगे और कोई सदस्य इस तरह के शब्द का उच्चारण नहीं करें ।

XXX - आसन के आदेशानुसार यह अंश विलोपित किया गया ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : महोदय, इसपर बाद में भी बातचीत की जा सकती है, आप अपने कक्ष में बुलाकर के बात कर सकते हैं । हमलोगों का समय बर्बाद हो रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट, आपलोग बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी, इस तरह के शब्दों से परहेज करना चाहिए और इस तरह के शब्द प्रोसिडिंग्स का पार्ट न बनेंगे, इसका ध्यान रखें, इस तरह की व्यवस्था न हो ।

बोलिए माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्रा जी ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्तदश विधान सभा के इस सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट 2020-21 के तहत .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव जी, आपने फ्लोर क्रौस किया है, आपको खेद व्यक्त करना पड़ेगा ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : एक मिनट, आप बैठ जाइए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो मैं सदन में खेद व्यक्त करता हूँ । और सबको करना होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्रा जी ।

टर्न-14/यानपति-धिरेन्द्र/26.02.2021

श्री संतोष कुमार मिश्रा: माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्तदश बिहार विधान सभा के इस सत्र के दौरान बिहार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो वित्तीय अनुपूरक बजट 2020-21 में जो अनुदान मांगा गया है नगर आवास-विकास विभाग के लिये इसके कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मैं उपस्थित हूं । सबसे पहले तो चूंकि मैं एक नया सदस्य हूं इस विधान सभा का और बार-बार आप नये सदस्यों पर जोर देते हैं पिछले कई दिनों से जबसे सत्र शुरू हुआ है तो आप नये सदस्य-नये सदस्य....

अध्यक्ष: विषय पर बोलें ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर ही आ रहा रहा हूं, नया सदस्य होने के नाते मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां मुझे उन्होंने इस गरिमामयी सदन में पहुंचाया और इसी के फलस्वरूप आज मैं बजट के द्वितीय अनुपूरक 2020-21 के बारे में नगर आवास विकास से संबंधित कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूं । महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बात करना चाहूंगा कि जब 2020-21 का जो बजट पेश हुआ था वह एक ग्रीन बजट था मैंने इस 2020-21 की बजट में देखा कि स्पेशली मेंशन किया गया था कि यह ग्रीन बजट है । यह ग्रीन बजट किस कारण से था क्योंकि इसमें इंवायरनमेंट के कंजर्वेशन, पॉल्यूशन के कंट्रोल को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर पूर्व के वित्त मंत्री जी ने अपनी मंशा जाहिर की थी और उसके तहत जल-जीवन-हरियाली योजना का संकल्प इसी सदन में लिया था । उस जल-जीवन-हरियाली के तहत क्या महोदय, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शहरी निकायों के बारे में, नगर परिषदों के बारे में, नगर पंचायतों के बारे में तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने पोखरों का, तालाबों का और पईनों का जीर्णोद्धार किया गया है । जब अनुपूरक आप मांग रहे हैं और ग्रीन बजट जब आपने पेश किया था तो कितने पोखरों और तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया । रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आप बात करते थे उस ग्रीन बजट के तहत कितनी जगहों पर कितने शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत प्रोजेक्ट चलाये गये । सोलर एनर्जी और उसके कंजर्वेशन की बात आप करते थे कितने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हमारे शहरों में या बिहार के अन्य किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट आपने चलाया या लगाया । पिछले पांच वर्षों में

और आगे आनेवाला जो बजट है 2020-21, 2021-22 का भी सात निश्चय-2 आनेवाला है लेकिन इस ग्रीन बजट की चर्चा नहीं है इस 2021-22 के बजट में । वृक्षारोपण, सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और तालाबों और पोखरों के जीर्णोद्धार की कोई बात नहीं की गयी है । ड्रीप एरिगेशन की भी बात नहीं की गयी है हालांकि ड्रीप एरिगेशन नगर आवास-विकास से संबंधित नहीं है । महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में जिस जिले से मैं आता हूं रोहतास जिले में, रोहतास जिले में करीब-करीब 7-8 नगर पंचायत हैं, दो नगर परिषद् हैं जिसमें कि एक में नगर निगम का सासाराम नगर परिषद् का नगर निगम में अब स्थानांतरण और नगर निगम हो जायेगा । जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं कोचस नगर पंचायत है, वहां । कोचस नगर पंचायत बहुत पहले ही बन गया है और एन0एच0 30 पर अवस्थित है, परंतु आप जाकर देखिये महोदय कि वहां कोचस नगर पंचायत की हालत क्या है ? मैं बताता हूं 16 वार्ड हैं, माननीय वित्त मंत्री जी, कोचस नगर पंचायत में, 16 में से आधे से ज्यादा वार्डों में अभीतक पक्की नली, गली और सड़क का निर्माण नहीं हुआ है । 03,04,05,07,09 और 10, अगर 01 से 10 और 11 यह नगर वार्ड है जहां जल-जमाव, कचरा और कूड़े का भरमार पड़ा हुआ है, आये दिन लोग वहां बीमार होते रहते हैं और सरकार द्वारा विगत तीन चार वर्षों से नगर पंचायत की निविदा होने के बावजूद भी गली-नली और पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो सका है । अभी माननीय सदस्य सरावगी साहब कह रहे थे कि कई सारे नगर निगमों में, नगर पंचायतों में बहुत सारी नली और गली, बहुत सारा आंकड़ा दिया उन्होंने लेकिन यह तो आंकड़ा स्पष्ट है । पांच-सात वर्षों से हमारा नगर पंचायत फंक्शन कर रहा है, पांच-सात-आठ वर्षों में आधे से ज्यादा नगर पंचायतों के वार्डों में आज पक्की नली और गली उपलब्ध नहीं है तो इसपर ध्यान दिया जाय । अभी विगत वर्ष 2000 से 2010 में इस करगहर विधान सभा क्षेत्र का डीलिमिटेशन के बाद गठन हुआ...

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।)

वर्ष 1952-57 तक यह विधान सभा क्षेत्र था, उसके बाद विलोपित हो गया था । डीलिमिटेशन के बाद करगहर विधान सभा क्षेत्र का गठन हुआ । करगहर विधान सभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है । करगहर विधान सभा क्षेत्र जिस प्रखंड के नाम पर है, उसको नगर पंचायत का दर्जा पिछले 10 वर्षों से लोग कोशिश करते रह गये और सत्ता पक्ष के विधायक थे वो । फिर भी नगर पंचायत में वो अर्हता रखता है । 15 हजार से ज्यादा की जनसंख्या है, करगहर प्रखंड में कई सारे गांव जुड़े हुए हैं और सारी तरह की अर्हता रखने के बावजूद भी नगर पंचायत का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया और इस बार उसे नगर

पंचायत के दर्जे से खारिज कर दिया गया । मैं आपसे अनुरोध करूँगा माननीय वित्त मंत्री जी कि अगर कोई व्यवस्था बची है तो उसके तहत करगहर प्रखंड को, करगहर प्रखंड के नाम पर ही करगहर विधान सभा क्षेत्र का नाम है । करगहर को नगर पंचायत अविलंब बनाया जाय ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : भाषण समाप्त किया जाय, आपका समय हो गया ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : सभापति महोदय, 2 मिनट में, मैं अपनी बात कह कर समाप्त करूँगा। लोकल बॉडीज के तहत बजट में प्रावधान आया था पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में, 15,211 करोड़ का महोदय, उसमें 1.9 प्रतिशत की गिरावट है, डिक्रिमेंट है । इसका मतलब कि आप पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद आप अनुपूरक बजट ला कर और ज्यादा की मांग करते हैं तो क्यों न हम कटौती की मांग का समर्थन करें । मेरा यह भी कहना होगा सभापति महोदय कि अगर वर्ष 2020-21 का बजट देखा जाय तो वर्ष 2020-21 में जी0एस0डी0पी0 के अनुसार 2 लाख 11 हजार करोड़ का जो बजट पेश किया गया था । उसमें 11.8 प्रतिशत कहा था कि वह बजट ऊपर है, इनक्रिमेंट है उसमें । लेकिन वर्ष 2019-20 के अनुमानित मांग को देखें, बजट एस्टीमेट को देखें और उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट को देखें तो वह उस समय वर्ष 2019-20 में 19.6 प्रतिशत था । तो उस समय 8.5 प्रतिशत का डिक्रिमेंट था महोदय ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : सभापति महोदय, इन बातों को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ । समय ज्यादा नहीं है परंतु हम देखें तो निरंतर हमारे बजट में गिरावट आ रही है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को हम आइना दिखाना चाहते हैं विपक्ष के नाते कि एक साफ-सुथरा संवाद हमारे बीच में हो, ऐसा वाद-विवाद न हो, जैसा अभी प्रदर्शित हो रहा था, ऐसा वाद-विवाद हम लोगों के बीच में न हो...

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : कृपया, माननीय सदस्य आप आसन ग्रहण करें ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : क्योंकि हम भी सरकार के अंग होने के नाते यह आपको सलाह देते हैं कि किस प्रकार से, जो राशि अनुपूरक बजट हो, सप्लीमेंट्री बजट हो या बजटीय प्रावधान के तहत आप विभिन्न विभागों को देते हैं उसको किस प्रकार से खर्च किया जाना चाहिए, इसका आइना हम दिखाते हैं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ । धन्यवाद ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, डॉ रामानुज प्रसाद । 20 मिनट आपका समय है ।

डॉ रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, आज 17वीं विधान सभा में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और अपने क्षेत्र सोनपुर की महान जनता, जिसने बार-बार मुझे मौका देकर, यहां भेजने का इस बार भी काम किया है और बार-बार भेजती रही है और साथ-साथ अपने दल के नेता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लगातार मुझ पर भरोसा किया है और भरोसा करके हमें पार्टी का उम्मीदवार बनाते रहे हैं । सभापति महोदय, जिन विषयों को हमलोग लेकर बैठे हैं । आज अनुपूरक बजट और उसके लिये विनियोग, माननीय वित्त मंत्री और नगर विकास मंत्री ने प्रस्तुत किया है कि चर्चा हो और आगे इस पर ये हो और इसमें ग्लूट करके हमलोग विषय जो आपके द्वारा हुआ है, हमलोगों के सामने लाया गया, वह नगर विकास का है । लेकिन चूंकि पैसा सब में मांग रहे हैं सिर्फ अगर नगर विकास में पैसा मांग रहे होते तो सिर्फ नगर विकास पर ही बातें या विचार होते । चूंकि, पैसा सभी विभाग में मांग रहे हैं तो विचार कमोबेश सभी पर सुझाव और सब विषय का आइना दिखाया जाना चाहिये कि आपने किया क्या है, आप करते क्या रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं ? सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने, माननीय मंत्री ने जिन विषयों को लाया है, सब पर कटौती प्रस्ताव हमारे लोगों ने दिया है और मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । यह जो कृषि विभाग, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, भवन निर्माण विभाग है लेकिन हमलोग मुख्य रूप से, जो हमारा राज्य और देश झेल रहा है और जो हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिये, उन विषयों को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ कि आज अगर हमलोग चर्चा कर रहे हैं और यह सरकार पैसा मांग रही है तो सरकार पैसा मांग रही है, अपने पूर्व के लाये गये बजट के अनुमान के बाद जो अनुपूरक लेकर आयी है । तो पहली बात तो यह झलकती है कि सरकार का जो फाईनेंशियल मैनेजमेंट है, वह वीक है । ...क्रमशः...

टर्न-15/शंभु/26.02.21

डा0 रामानुज प्रसाद : ...क्रमशः...सरकार का जो फिनांसियल मैनेजमेंट है वह वीक है, फिनांसियल मैनेजमेंट वीक है और उसका जो मैनेजर वीक है तो चारों तरफ लीक है, चारों तरफ लीक है तो जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और माननीय मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं । वे लीक पर हमेशा से जब से अपने विभाग के मंत्री हुए हैं । राजस्व मंत्री जी प्रहार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन अफसोस के साथ सभापति महोदय कि जब से इन्होंने बोलना शुरू किया है तो भ्रष्टाचार और बढ़ गया है । सभापति महोदय, अब मैं इसपर आना चाहता हूँ कि चर्चा हमलोग निश्चित तौर पर अनुपूरक बजट पर कर रहे हैं और अनुपूरक विचारणीय है । इसपर हमारा था कि एक तो ऐसा लगता है कि सरकार

चालाकी करती रहती है, लेकिन सरकार की चालाकी पकड़ी जाती है । मैं इसके पूर्व 16वीं विधान सभा में भी अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मैंने कहा था उस समय जो विषय हमलोगों के सामने लाकर रख दिया गया था वह ग्रामीण विकास विभाग था जबकि पूरा पटना शहर हमारे साथी उद्धृत कर रहे थे, एक साथी सज्जन चले गये, होते तो सुनते और हमारे माननीय तत्कालीन वित्तमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जो आज हमलोगों के बीच नहीं हैं, वे उपरी सदन में चले गये हैं देश की राजनीति करने के लिए कि भेज दिये गये हैं कि पार्क कर दिये गये हैं, यह उन्हीं की पार्टी तय करे, लेकिन उनको जिन लोगों ने देखा था, कुछ साथी उद्धृत कर रहे थे कि हाफ पैंट पहनकर के, मुड़ी गाड़कर के और पब्लिक चिल्ला रही थी कि वित्त मंत्री जी सुनिए, सुनिए हमको बचाइये और वे अपने बचने के जुगाड़ में भाग रहे थे तो हमलोगों ने कहा था, अरूण भाई हमारे बैठे हैं- अरूण भाई को कितना झेलना पड़ा, हमलोग अच्छे मित्र हैं । हमलोग साथ-साथ विधायक रहे हैं लंबे समय से तो इनको भी झेलना पड़ता, हमको भी झेलना पड़ता । पटना और पूरा बिहार डूबा हुआ था और हमारे ये जो नगर विकास मंत्री जी, वित्त मंत्री हैं इनका भी घर डूबा हुआ था और चर्चा हो रही थी ग्रामीण विकास पर । आज जब पूरा बिहार और हमारा देश, दुनिया जो वैश्विक महामारी कोविड-19 है उससे न सिर्फ सफर कर रहा है बल्कि हम झेल रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, दुबारे रिपिटेशन हो रहा है । हमारा महाराष्ट्र, हमारा केरला, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़ प्रभावित हो रहा है और हम बिहार के लोग भी सशंकित ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं । हमारे एम्स में आज से पांच दिन पहले मैंने पढ़ा कि 6 पॉजिटिव नये केसेज आ गये, बिहार के अन्य जिले से भी रिपोर्ट आ रहे हैं तो चर्चा कायदे से होनी चाहिए थी तो आज हम तमाम सदस्यों को और सरकार को मिलकर चर्चा, परिचर्चा यह करनी चाहिए थी कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है इससे हम कैसे निबटेंगे । आपने लाकर रख दिया नगर विकास क्या चालाकी है और चालाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का मैं तो मार्क करते रहा हूँ । यह पार्क करते रहे हैं हम मार्क करते रहे हैं । हमारे सदन में पहले के पुराने साथी भी बैठे हैं आप सुनते रहे हैं । अब माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर चले गये हैं वे हमेशे कहा करते हैं कि हम बैठकर कहीं से सुन लेते हैं । एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको तो जरूर सुनते हैं तो कहीं पर बैठे हों नहीं तो कहीं से सुन लेंगे या सुन रहे हों तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी होशियारी आप जितनी कर लें, लेकिन इतिहास में बातें दर्ज होती रहती हैं । आज हमारे साथी कह रहे हैं हम रंग रोगन जितनी कर लें, लेकिन यह बात सही है कि निश्चित तौर पर लोग याद किये जायेंगे । हम अपने पुरखों को याद करते हैं, हम कबीर को याद करते हैं, हम रविदास को याद करते हैं, हम अम्बेदकर को याद करते हैं, हम ज्योतिबा फुले को याद

करते हैं, हम लोहिया को याद करते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश जी आप भी याद किये जायेंगे । आपको मैं कहना चाहता हूँ आप जहां भी हों सुन रहे हों या सुन लीजिए कि आपको 1999 में एक बार आप जब वाजपेयी जी की सरकार में बैठे हुए थे । आप नेता प्रतिपक्ष को कुछ कह रहे थे, आप इमोशनल ब्लैकमेल करने में लगे हुए थे, मैं बैठकर सुन रहा था और मेरे मन में था कि पार्टी के लोग समय देंगे तो किसी दिन इस बात को रखूँगा । आप जो कह लें, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष को उस दिन कह रहे थे कि आप गोद में होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी सदन नेता, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि उस दिन पार्लियामेंट में जिस दिन देश बेचने की शुरूआत हुई थी, जब अरूण शौरी मंत्री बनाये गये थे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, 1999 की बात है और पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश बिकने की बात होने लगी तो तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी ने बातों को उद्धृत करते हुए कहा था कि नीतीश जी आप यहां बैठे हो, आप समाजवादी युवजन सभा में रहे हो, समाजवादियों की टोली से आये हुए लोग हो इसी सरकार का हिस्सा हो और यहीं बैठकर देश बेचने की साजिश हो रही है । उस समय सेल बिका था । सभापति महोदय, आज रेल बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, बी0एस0एन0एल0 बिक गया, रेल इंडिया बिक गया, कोल इंडिया बिक गया । हमारा ओ0एन0जी0सी0 बिक गया हमारे सारे के सारे बिक गये और आप बैठे हुए हैं । मैं एक लाया हूँ ये जो दो-तीन तरह की अखबारें देश में छपा करती हैं उसमें हमारे लोग उजले अखबार, और काले अखबार भी नहीं पढ़ते तो पीले और लाल अखबार पढ़ने वाले लोगों ने भी यह माना है कि टाइम फॉर फाइव सेंटर/स्टेट टू कट टैक्सेज पेट्रोल ऐंड डीजल । इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था उनकी चालाकीपूर्ण उक्ति जो आ रही थी कि कितना अच्छा होता कि दाम नहीं बढ़ता । आप यहां मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से पिछलग्गु बने बैठे हैं उसमें आप पार्टीसिपेंट हैं । आपको नहीं पता है कि देश झुलस रहा है और बजाय आप उसपर एक्शन लेने के, बजाय कार्रवाई करने के आप चालाकी भरा बयान देते हैं । आप कह रहे थे उस दिन नेता प्रतिपक्ष को कि आप उस समय गोद में खेल रहे होंगे, लेकिन आपको क्या कहा था चन्द्रशेखर जी ने आज भी वह प्रोसिडिंग का पार्ट है । उस समय का सुना हुआ मुझे याद था, रात में भी मैं उसको निकालकर पढ़ रहा था, देख रहा था कि जरा नीतीश जी को याद दिलाया जायेगा । मामला यह नहीं है कि सड़कें रंगी जा रही है कि नहीं, मामला यह नहीं है कि नल जल हो रहा है कि नहीं मामला यह है कि यह देश जा कहां रहा है ? आप बैठे कहां हो ? कहां जा रहे हो ? यह किसके लिए, सड़कें बन रही है किसके लिए, एल0इ0डी0 लग रहा है किसके लिए ? यह जरूर है कि विकास हमारे लोगों को चाहिए, लेकिन संविधान लूटा जा रहा है, संविधान बदला जा रहा

है, तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है । देश की लड़ाई हमारे साथी उधर भी बैठे हैं कृष्णनन्दन पासवान । इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई यही रही है कि देश अम्बेदकर के संविधान से चलेगा कि गोलवलकर के संविधान से चलेगा ? नागपुरिया संविधान होगा यहां या अम्बेदकरवादी संविधान होगा ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, नगर विकास एवं आवास विभाग पर भी अपनी बात रखें । समय बीतता जा रहा है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : मैं उसपर भी आ रहा हूँ । सभापति महोदय, मैं नगर विकास पर ही आऊँगा । देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी होगी कि पूंजीवादी होगी और देश की अर्थव्यवस्था न सिर्फ पूंजीवादी है बल्कि हम दो हमारे दो इसी पर चल रहे हैं । सारे चीज बिक रहे हैं, सारे चीज दिये जा रहे हैं और पहली बार कोई प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर न सिर्फ कॉरपोरेट को एलोकेट कर रहा हो बल्कि उसके पक्ष में दूसरे लोगों को नीचा दिखाने का काम करने का काम किया हो । उसपर नीतीश जी आप मुंह बंद करके बैठे हो, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा । चन्द्रशेखर जी ने उसी समय मार्क कर लिया था और कहा था अगर दूसरे लोगों ने कहा है, आप कहते हो । आप कह सकते हो, आप 15 साल-15 साल कहते हो यह कहा था । जिस तरह से हम अम्बेदकर नहीं बना सकते, लोहिया-कर्पूरी नहीं बना सकते, हम जार्ज नहीं बना सकते उसी तरह से लालू प्रसाद भी नहीं बना सकते । दूसरा लालू प्रसाद नहीं गढ़ा जा सकता है जो देश के गरीबों की आवाज बना हो, जो राज्य के बेजुबान लोगों को जुबान देकर के मेनस्ट्रीम में खड़ा कर दिया हो । हां निश्चित तौर पर दूसरा नीतीश कुमार भी नहीं गढ़ा जा सकता, जो पलटी मार-मार करके अपने पुरखों की विरासत को गंवा दिया हो, पलटी मार-मार कर कुर्सी कुमार बनकर अपने पुरखों की विरासत को गंवाने का काम किया हो । (व्यवधान) यह नहीं हो सकता । हम कहना चाहते हैं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें । आप विषय पर अपनी बात रखें, आपके पास समय का अभाव हो रहा है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : हम विषय पर आ रहे हैं । महोदय, नगर विकास ही लेता हूँ अन्य पर बाद में आता हूँ । सभापति महोदय, नगर विकास के पहले मैं बोल रहा था कि आज कायदे से चर्चा होनी चाहिए थी हेल्थ पर और न सिर्फ हेल्थ पर चर्चा होनी चाहिए बल्कि स्वास्थ्य के अधिकार जनता का अधिकार निश्चित रूप से जैसे राइट टू एजुकेशन, वैसे ही राइट टू हेल्थ । राइट टू हेल्थ बिल पर आज हम चर्चा करते और राइट टू हेल्थ बिल ले आते..... क्रमशः ।

टर्न-16/हेमंत-राहुल/26.02.2021

डॉ0 रामानुज प्रसादः (क्रमश) राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आते, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं, नगर विकास पर । सभापति महोदय, नगर विकास पर चर्चा करते हुए हमें कहना है, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये हमारे मित्र भी हैं, नगर विकास के जो कंपोनेंट हैं, बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन नगर विकास के जो इंपोर्टेन्ट कंपोनेंट हैं उसमें जलापूर्ति, उसमें नागरिक सुविधा, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छता, व्यक्तिगत और सामूहिक शौचालय, आवास, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठोस कचरा प्रबंधन आदि जो इसके कंपोनेंट हैं इस कंपोनेंट पर क्या कुछ हो रहा है ये हम सरकार से एनालाइसिस करना चाहते हैं, सरकार निश्चित तौर पर करे, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जरा कहिएगा, कुछ बोलिएगा जो बोल रहे हैं उस बात को बोलिएगा । भाई आंकड़े की बात आप कर सकते हो, डेटा की बात आप कर सकते हो तो जाइए पढ़िए जरा और पढ़िए और विस्तृत ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, तो निश्चित उनको लगेगा कि रामानुज बोल रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अब हम साथियों को जानना चाहिए कि साहब आज जो हमारे कन्ट्री इकॉनोमिक स्टेज है, आज हम इकॉनोमिक रिफॉर्म 2जी, 3जी की ओर बढ़ रहे हैं । हमारा इकॉनोमिक रिफॉर्म का जो फेज-1 आया था, हमारा जो इकॉनोमिक रिफॉर्म फेज-1 था, उसके बाद ही देश की स्थिति बदलने लगी थी और आज आप जहां खड़े हो, जो मिस यूज कर रहे हो, पार कर रहे हो, नगर विकास में बुडको को दे रहे हो, आप सारे विभाग के पैसे पर सृजन और शौचालय घोटाला कराते हो, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस समय कितने थे, एक साथी अभी बता रहे थे, इन लोगों का भी यह कहना है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि साहब ये विदित सत्य है कि जो इकॉनोमिक रिफॉर्मस हुए उसके जो स्टेजेज हैं और नीतीश मिश्रा बैठे हुए हैं वे इकॉनोमिस्ट हैं, वे उस दिन बोल रहे थे कि डेटा पर बात करेंगे तो इनको बताना होगा कि साहब उस समय हमारे कन्ट्री का, हमारे राज्य का इकॉनोमिक स्टेज क्या है, कितने हमारे पास फंड थे, कितने हमारे पास केन्द्रांश थे और आज क्या है, आज जो स्कीम्स हैं, स्पोंसर बाइ सेंटर हैं, उसके स्टेज क्या हैं और उस समय क्या थे ? आप बजट का आकार दिखा रहे हो, आप बताओ रिसोर्सेज कितने क्रिएट किए, आपने राज्य में राजस्व अर्जन के कौन-कौन से रास्ते बनाए, अब ये भी रखना पड़ेगा कि कहां से आप राजस्व अर्जित कर रहे हो, आप कर्ज लेकर के घी पीने वाले लोग हो, कल हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हम कर्ज भी लेते हैं तो अपनी जी0डी0पी0 के अनुपात से हमको कर्ज मिलता है, राज्य के लोगों पर कितना कर्ज का बोझ बढ़ा ये तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे राज्य का प्रत्येक नागरिक कितने कर्ज के

बोझ से दबा हुआ है, हमारे राज्य के प्रत्येक नागरिक के ऊपर कितना कर्ज है, यह आपको बताना पड़ेगा । आप यूं ही गाल बजाकर के नहीं निकल सकते । हम तो यह कहना चाहते हैं कि आप अगर कह रहे हैं कि कोई निश्चय, हां निश्चय को आप बदलते रहते हैं । बड़ी होशियारी से निश्चय को बदलने वाले हैं, हम तो कहते रहे हैं, पीछे सदन में भी कहते रहे हैं कि इशु चेंजेज से बनते हैं, इशुज तय होने चाहिए लेकिन आप बहुत जल्दी इशुज को शिफ्ट कर देते हैं कौन निश्चय-कौन निश्चय, तो आप पहले अपने प्रथम निश्चय की जो बात कर रहे हैं, उसी की बात करिए, आप शराबबंदी की बात करिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्या आपका सफल है, क्या असफल है, आपके लोग क्या कह रहे हैं, एक जदयु के साथी विधायक को मैं सुन रहा था, जो परवत्ता से जीतकर आया है नया लड़का, वह है नहीं अभी सदन में, लेकिन मैं उसको उस दिन सुन रहा था आपकी मीटिंग में, आपके घर में कह रहा था कि सिंडिकेट चल रहा है, उस सिंडिकेट से कौन प्रभावित हो रहा है, मर कौन रहा है, यह चर्चा का विषय होना चाहिए, वे कौन लोग हैं जो जेल में ठूंसे जा रहे हैं, उस जेल में ठूंसे जा रहे हैं, जिस जेल में रखने की क्षमता से दस गुना, बीस गुना, सौ गुना, दो सौ गुना ज्यादा लोग भरे हुए हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने एक नजीर पेश करना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कि सरकार का निश्चय-2 आने वाला है लेकिन मैं नल-जल योजना पर बोलूं, मैं सात निश्चय के कंपोनेंट पर बोलूं उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा यह भी बड़ा प्रचार किया गया, बिहार में प्रचार किया गया, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में प्रचार करते चले शराबबंदी । मैंने एक बार कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेरे क्षेत्र की आप शराब बंद करा दो मैं समझूंगा कि आप अपने संकल्प पर अमल लेने वाले व्यक्ति हैं । हम कहना चाहते हैं कि हमारे गरीब मर रहे हैं । यह एक रिपोर्ट मैं लाया हूं In the past two and half years, more than 1.61 lakh persons have been arrested for violating the liquor ban imposed by the Bihar Government but only 141 have been sentenced so far, an Excise and prohibition Department official said today.

More than 1.33 lakh cases in connection with violation of the prohibition have been recorded since the ban was imposed in Bihar by Nitish Kumar-led Janta Dal-United government on April 5, 2016.

The police have conducted raids on over 4 lakh locations while the Excise Department conducted raids on more than 2 lakh

locations and seized over 16 lakh litres of foreign-made liquor and nine lakh litres of country-made liquor.

Besides, police have seized thousands of litres of spirit and hundreds of beer bottles during the raids.

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : यानी कहने का मतलब है कि बैठे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी कभी कहते थे लेकिन आज उनकी भाषा बदली हुई है । कहते थे कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है, दलितों को, महादलितों को जेल में बंद किया जा रहा है । वहां आपको आज भी बोलना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री जी कि दलित कितने जेल में जा रहे हैं, वह कौन लोग हैं, सरकार के संरक्षण में गैंगस्टर आपके, वह बाहरी हैं, खुद पकड़े जाते हैं और गरीबों को भेज देते हैं । गरीबों को उसमें भेज देता है और खुद बाहर रहता है, उसके मजदूर जाते हैं, जिसका ट्रक का ट्रक माल उतरता है वह बाहर घूमता है.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अपना आसन ग्रहण करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा और...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय हो गया है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जो नल का जल की बात है और जो नली-गली, सारे नली काट दिये गये । हम कहना चाहते हैं, हमारे नगर विकास के प्रधान सचिव भी बैठे हैं, सारे पदाधिकारी बैठे हैं । मैंने कई बार कहा भी जो स्थिति है नमामि गंगे प्रॉजेक्ट है, एल0एन0टी0 काम करे । मैं जहां रहता हूं बेऊर के इलाके में सारी सड़को को काटकर और हम लोग डेढ़-दो साल से तबाह हैं, लीगली करके जिस समय इनके पूर्ववर्ती थे, इनके प्रधान सचिव उनको भी मैंने लिखकर कहा और मैं बार-बार फोन करता हूं, बुडको के लोगों को फोन करता हूं, जो गंदगी का आलम है माननीय मंत्री जी वह हालत बेऊर से लेकर बाईपास का वहां जो चौराहा है...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब अपना आसन ग्रहण करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : प्रदूषण की हालत यह है.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय हो गया है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : प्रदूषण एक समय में कम हो गया था...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की एक समस्या है । माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे लिखित भी आग्रह किया है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो नगर पंचायत हैं, दोनों के प्रस्ताव भी आये थे, मैं आपसे आरजू पत्र लेकर मिला भी था, प्रपोजल के बाद भी हमारा कैसे छंट गया...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब अपना भाषण समाप्त करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : हमारा जो दिघवारा नगर पंचायत है, जो आपका कार्यक्षेत्र है लेकिन कभी आपका घर भी है...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री गुंजेश्वर साह जी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जरा सा आप दिखवाने का काम करिये, यह हमारा कहना है । सभापति महोदय, अगर समय होता तो कुछ और बातें.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है । माननीय सदस्य श्री गुंजेश्वर साह जी आप अपना भाषण प्रारंभ करें । माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री गुंजेश्वर साह : सभापति महोदय, आज मैं महामहिम राज्यपाल के अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज का विषय नगर विकास एवं आवास के संबंध में अनुपूरक बजट पर बहस होनी थी । लेकिन जब मैं इस सदन में सुन रहा हूं तो लगता है विषय कुछ है और हम सुन कुछ रहे हैं । आज पूरे अपनी घर की बात, यह संस्था जो है, यह नगर निकाय, पहले यह निगम हुआ करती थी, म्यूनिसिपल्टी हुआ करती थी, मेट्रोपोलिटन हुआ करती थी आज यह नगर विकास, नगर परिषद् में बदल गयी है और यह सबसे पुरानी संस्था है । जब तक स्टेट की कल्पना नहीं हुई थी, उससे पहले यह संस्था बनी थी और स्वच्छता, शिक्षा, रोशनी, हवा

क्रमशः

टर्न-17 एवं 18/राजेश-मुकुल-संगीता/26.02.2021

क्रमशः

श्री गुंजेश्वर साहः इसकी मूल व्यवस्था इसी संस्था से आती थी । आज जब हम सुन रहे थे अपने पुराने साथी को तो लगा हमें जैसे अपने घर की चिंता कम है और बाहर की चिंता अधिक लग रही थी उनको । हम सन् 1974 के कार्यकर्ता हैं, हम भी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमेन रहे हैं, दो-दो बार इलेक्टेड चेयरमेन रहे हैं । जब कभी साल में 2 लाख रुपया अगर सरकार से मिल गया तो हम लोग अपने को वैतरनी पार कर लेते थे लगता था हमको क्या मिल गया और आज की व्यवस्था जब देखकर के हम सबको अपनी व्यवस्था सुंदर करनी चाहिए थी, अपने राज्य को सुंदर करना चाहिए था, अपनी व्यवस्था में जो कमी है उसको कैसे दूर करें इस पर बहस करनी चाहिए थी तो पूरे हिन्दुस्तान की चर्चा होने लगी और हम अपनी व्यवस्था से हटकर के कहीं और भटकने चले गये और हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं हम यह महामहिम के अभिभाषण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग की उपलब्धियों पर बात करना चाहते हैं । राज्य के आर्थिक विकास में

नगरों की आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं की महती भूमिका होती है । गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था समेकित रूप से राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन का कारण बनती है, साथ ही स्वस्थ मानव संसाधन के विकास में भी अभिवृद्धि करती है ।

राज्य सरकार अपने संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत् एवं निरन्तर प्रयत्नशील है । बिहार में शहरीकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है । विगत वर्षों में शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं तथा बहुआयामी विकास हेतु प्राथमिकताएं भी निर्धारित की गई हैं ।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद एवं 81 नगर पंचायत कार्यरत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग के द्वारा विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । उल्लेखनीय है कि राज्य में शहरीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधाानों के आलोक में 109 नये नगर पंचायतों एवं 8 नये नगर परिषदों के गठन के आशय से प्रारूप प्रकाशन का अधिसूचना निर्गत किया गया है । इसके अतिरिक्त 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषद् में उत्क्रमित करने, 05 पुराने नगर परिषदों को नगर निगम में उत्क्रमित करने तथा 12 पुराने नगर निकायों का क्षेत्र विस्तारित करने हेतु प्रारूप प्रकाशन का अधिसूचना निर्गत किया गया है । प्रकाशित प्रारूप के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों के निष्पादनोपरांत अंतिम रूप से अधिसूचना निर्गत किया जा सकेगा । इन नगर निकायों के गठन उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप राज्य में शहरी जनसंख्या में वृद्धि होगी तथा आम नागरिकों के लिए बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी ।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजनाएं लागू की गई हैं । नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सात निश्चयों में से तीन निश्चय शामिल हैं, जो निम्नवत् हैं :-

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना-राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित प्रत्येक परिवार को शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' लागू है । इस योजनान्तर्गत स्थानीय नगर निकाय, बुडको एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर निकायों में प्रत्येक परिवार को निःशुल्क नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा है ।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 250, 500, 1000 एवं 1500 घरों के लिए गुणवत्ता प्रभावित एवं गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार कर विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है । योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत

मार्गदर्शिका तथा राज्य के जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों एवं नगर निकायों की सूची विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है । साथ ही, इस योजनान्तर्गत निर्बाध जलापूर्ति हेतु ओवरहेड वाटर टैंक का भी प्रावधान किया गया है, जिसका मॉडल प्राक्कलन विभागीय वेबसाई पर अपलोड किया जा चुका है ।

राज्य योजन्तर्गत नगर निकायों में बुडको द्वारा पूर्व से क्रियान्वित जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत आंशिक रूप से आच्छादित होने वाले वार्डों के सम्पूर्ण क्षेत्र में बुडको द्वारा जलापूर्ति योजना एवं हाउस कनैक्शन का कार्य पूर्ण रूप से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 22 नगर निकायों में कुल 82561 घरों में हाउस कनैक्शन हेतु योजना स्वीकृत की जा चुकी है ।

नगर निकाय में अवस्थित रेलवे, सेना, केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रम एवं गैर सरकारी संस्थान के आवासीय कॉलोनी वाले शहरी वार्डों में निश्चय योजना से संबंधित सुविधा संबंधित संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है ।

इस योजना के तहत सभी नगर निकायों के कुल 3398 वार्डों में लक्षित 3370 वार्डों में निविदा निकाली जा चुकी है एवं सभी वार्डों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है । अबतक निश्चय योजना के पूर्व 326332 घरों में एवं निश्चय योजना के अंतर्गत 1020517 घरों में अर्थात् कुल 1346849 घरों में नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है ।

जल संरक्षण–राज्य में घटते भू–जल स्तर एवं जल संकट को ध्यान में रखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तात्कालिक समाधान हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:–

सभी नगर निकायों में प्रत्येक 02 वार्ड पर 01–01 Stainless Steel Water Tanker क्रय करने का निदेश दिया गया है ।

सभी निकायों के वैसे वार्ड जहां ट्यूबवेल के रूप में वाटर सॉर्स उपलब्ध है, परन्तु पाईप लाईन नहीं बिछाया जा सका है, तो वैसे वार्डों में तत्काल सामुदायिक स्टेंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ।

पेयजल समस्याग्रस्त वार्डों में, जहां निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल–जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, वैसे नगर निकायों के प्रत्येक वार्डों में अधिकतम 2 सबमर्सिबल पम्प के साथ निर्मित करने हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत मॉडल प्राक्कलन एवं मार्गदर्शिका परिचारित किया गया है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट का समय बचा हुआ है ।

श्री गुंजेश्वर शाह: मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना– राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित परिवारों को पक्की नाली–गली से जोड़ने हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी नाली गली

पक्कीकरण निश्चय योजना'' लागू है । नगर निकायों द्वारा वार्ड सभा की अनुशंसा के आधार पर दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री गुंजेश्वर शाह: प्राथमिकता सूची के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है, धन्यवाद।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद जी । आपके पास में 9 मिनट का वक्त है ।

श्री सुदामा प्रसाद: आदरणीय, सभापति महोदय । आपका आभार की आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपने दल के विधायक दल के नेता आदरणीय श्री महबूब आलम जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे दल की ओर से बोलने का मौका दिया । मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलूगा । यह शहरी विकास का बजट है और आप शहर को नगर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं यह अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं । लेकिन जो लोग स्वर्ग बनाते हैं, नगर को शहर को, वे लोग आप भी नर्क में रह रहे हैं और नर्क में भी उनको शांति से रहने का अधिकार नहीं है । ये शहर में उनको नर्क में भी रहने का अधिकार नहीं है । उनको समझा जाता है कि ये मखमल में टाट के पैबंद कहां से आ गये । टाट का पैबंद समझा जाता है उनको मखमल में । अभी पिछले दिनों गर्दनीबाग में 100, 125 वर्षों से जो गरीब लोग बसे हुए थे, जिनके मेहनत से शहरों के गालों पर कहा जाय कि लाली है, जो ग्रामीण इलाकों से आकर बसे हुए 100 साल से ज्यादा हुआ, वह शहरी गरीब, निर्माण मजदूर हैं फूटपाथी दुकानदार हैं । मध्यम वर्गीय परिवारों में बर्तन-चौका करने वाली महिलाएं हैं, रिक्सा टैम्पो चलाने वाले लोग हैं उनको उजाड़ दिया गया, उनके घरों को ढाह दिया गया, जबकि सुप्रीम का आदेश है कि आप बिना बसाये किसी को उजाड़ नहीं सकते हैं और हमलोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो उन्होंने कहा कि आप गरीबों को शहरों में आने के लिए क्यों उकसाते हैं तो क्या गरीबों का शहरों पर अधिकार नहीं है ? उनकी जवाबदेही सिर्फ झाड़ू पोछा करना है, सफाई करना है मैं समझता हूं इन्हीं श्रमिक वर्गों से शहर स्वर्ग बनता है, शहर गुलजार रहता है लेकिन यहां उनके आश्रय की, आवास की व्यवस्था नहीं है । कहा जा रहा है कि हम बहुमंजिला इमारत बनाकर देंगे, कितने लोग बसेंगे उसमें, कितने लोग रहेंगे उन घरों में ? मेरी मांग है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जितने शहरी गरीब हैं, सबको सरकार कानूनी दर्जा दे । जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने.....

(व्यवधान)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, हमारी सरकार गरीबों को नहीं रोकती है, हमारी सरकार सभी के लिये है, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि असंसदीय भाषा को हटा दिया जाय ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : असंसदीय बात जो कही गई है, उसे प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, दिल्ली में जिस तरह से माननीय केजरीवाल जी की सरकार ने जिस तरह से कानूनी अधिकार दिया आप भी यहां अधिकार दीजिए और शहरों की जो नागरिक सुविधाएं हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों में बहाल कीजिए । उनको पक्का मकान बनाइये, जमीन पर कानूनी अधिकार दीजिए, वहां पानी शौचालय, रौशनी की व्यवस्था कराइये, पानी निकासी की व्यवस्था कराइये, स्कूल बनवाइये, वहां पार्क बनवाइये तब यह शहर, शहर रहेगा और शहर जो है स्वर्ग होगा । आप मेट्रो की जितनी योजनाएं बना लें, आप जितने फ्लाईओवर बना लें, ये शहरी गरीब, शहरी विकास मंत्रालय के गाल पर करारा तमाचा है। जब तक उनका विकास नहीं होगा, शहर का विकास नहीं होगा सही मायने में, इसलिए यह हमारी पहली मांग है । दूसरी मांग कि ग्रामीण गरीबों को, बेरोजगारों को जिस तरह से देने के लिए काम है, रोजगार गारंटी योजना शहरों में भी बनाया जाय । जो शहरी नौजवान बेरोजगार हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाय और जो लोग सफाई करते हैं सफाईकर्मी, उनको स्थायी किया जाय, एन0जी0ओ0 को सफाई की ठेकेदारी नहीं दिया जाय, वे लोग सिर्फ लूटपाट करेंगे सफाई नहीं करेंगे । तो यह हमारी मांग है रोजगार से संबंधित और आवास से संबंधित और जो है अभी हमलोगों ने जब-जब भी बाढ़ आती है, बरसात आती है, देखते हैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री जी को भी देखा, परिवार के साथ बैग-बैगेज लेकर निकलते हुए तो क्या यह नियती बन गई है ? शहर विकास मंत्रालय क्या कर रहा है, भारत के गंदे शहरों में पटना शहर शुमार है । यह हम नहीं कह रहे हैं, तो क्या कर रहा है मंत्रालय ? यह लूटपाट के लिए है हजारों करोड़ रूपया आपको लूटपाट के लिए चाहिए । एक पैसा खर्चा नहीं होता और पैसा दीजिए, हा-ही हो गई है सरकार । हा-ही, हा-ही की दशा है, इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्रालय शहरी गरीबों को केंद्र में रखकर अपनी योजनाएं बनाएं और पानी निकासी की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था सब कीजिए । हम समझते हैं कि जिस तरह से सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, बेंच थपथपा रही है, मेज थपथपा रही है । मैं समझता हूं कि यह हवा है खाली हवा । हमलोग बचपन की बात बताते हैं, हमलोग एक जगह कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, हमलोग बैठे थे, बच्चा पढ़ रहा था, बमपई-बा जम्पई-जा फोफी, हमलोगों ने कहा कि भाई बम्पई-बा, जम्पई-जा बाजा होगा तो बोले नहीं बमपई-बा, जम्पई-जा फोफी। हमने कहा काहे ऐसे पढ़ रहा है तो लाकर किताब दिखाया, लिखा है बाजा और फोटो था फोफी का, फोटो फोफी का था । वही हाल इस सरकार का है, खुब बाजा बजा रहा है कि बाजा है, बाजा है, ढोल है, लेकिन फोफी की आवाज नहीं है । हमलोग तो देखे, देख रहे हैं गांव में हजारों करोड़ रूपया खर्च हो गया, गांव की गलियों को

तोड़कर बर्बाद कर दिया गया लेकिन एक बूंद पानी नहीं चल रहा है, पानी नहीं चल रहा है, बच्चे पाईप निकालकर फोफी बजा रहे हैं पाईप से । हम तो सिकता में भी चुनाव प्रचार करने गए थे हम देखे कि एक पतली सी पाईप जो है पानी पहुंचाने के लिए जंगला से उपर लगा दिया गया है क्या है भाई यह सोकेश है, यह सोकेश है जंगला के उपर से पानी जायेगा जंगला में दिखाने के लिए, तमाम गांवों की स्थिति है और सरकार का उपर से उपर कहती है कि जले पर नमक छिड़क रही है कि हर घर को 30 रूपया देना होगा। वाह, हजारों करोड़ खर्च हो गये, गांव की पक्की गलियों को तोड़ दिए, पानी नहीं चल रहा है और 30 रूपया भी आपको चाहिए, क्या तमाशा है, क्या तमाशा है सभापति महोदय । हर घर नल-जल का यह स्थिति है, जल जीवन हरियाली योजना चला मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कि जो साढ़े 17 हजार एकड़ में कांवर झील था, जिसको बिहार सरकार जल संचय का सबसे बड़ा स्रोत मानती है बिहार में फिल्म दिखायी गयी थी कि पांच हजार एकड़ में रह गई है कांवर झील । साढ़े 12 हजार एकड़ जो जमीन है, भूमि माफियाओं ने ट्रैक्टर चलाकर जोत बना दिया और बटाई पर खेत लगा रहे हैं । सरकार से मेरा सवाल है महोदय, सरकार बताये, बताना चाहिए था इनको कि साढ़े 12 हजार एकड़ उस जमीन में से कितना जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया? एक भी नहीं, कहीं नहीं, किसी भूमि माफिया को नोटिस नहीं गया लेकिन बिहार के 50 लाख गरीबों को, भूमिहीनों को, इनकी सरकार ने नोटिस भेजा कि जमीन खाली करो नहीं तो ढहवा देंगे । यह है सरकार का गरीब विरोधी रूख, एक भी भूमि माफिया को नोटिस नहीं । शराबबंदी की हालत देख रहे हैं महोदय, शराब माफियाओं के हौसले सातवें आसमान पर हैं, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीकर लोग मर गए ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपके पास मात्र एक मिनट का समय बचा है, माननीय सदस्य ।

श्री सुदामा प्रसाद : उनके हौसले इतने हैं कि वे पुलिस पर हमला कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं एक दारोगा की मौत हुई, इनको जवाब देना चाहिए लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे, ये लोग इस पर नहीं बोलते हैं इसीलिए हमलोग बॉयकॉट करते हैं । अंत में, एक बात यह कि हमारे विधानसभा में एक शहर है पीरो, तो अब पीरो को नगर पंचायत से नगर परिषद बना दिया गया । इसी तरह से जैसे मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करके हाईस्कूल बना देते हैं लेकिन सुविधा कोई नहीं, नागरिक सुविधा कोई नहीं, टैक्स वसूलने के लिए खोला जाता है लेकिन नागरिक सुविधाएं गायब हैं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है, आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, बस खत्म करते हैं । एक हमारी मांग है कि पीरो में जो है सड़क के दोनों तरफ एक नाला बनवाया जाय और वहां एक बहुत बड़ा पोखरा है, उसके सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम आप बनवायें ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सुदामा प्रसाद : धन्यवाद महोदय, धन्यवाद ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, आज आपने सरकार के द्वितीय अनुपूरक बजट के पक्ष में मुझे बोलने का मौका दिया, अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सदन में हमारे आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं, दल के नेता का भी आभार प्रकट करता हूं और पूर्णियां की महान जनता, जिसने दुबारा विधानसभा में सीमांचल की आवाज उठाने के लिए भेजा, उनका भी आभार प्रकट करता हूं । सभापति महोदय, शहर प्रदेश और देश के विकास का आईना प्रस्तुत करता है । यह हम सब जानते हैं कि देश में शहरीकरण काफी तेजी से विकसित हुआ है और बिहार में भी राष्ट्रीय औसत के बराबर शहरीकरण को विकसित करने हेतु एन0डी0ए0 सरकार पहल कर रही है और उसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है । सभापति महोदय, मैं सुन रहा था, समीर साहब अभी सदन में नहीं हैं बाहर से सुन रहे होंगे, वह कह रहे थे कटौती कीजिए लेकिन शहर का विकास भी कीजिए, खायेंगे भी लेकिन गायेंगे नहीं, चाहिए लेकिन कटौती कीजिए । विपक्ष में काम की चर्चा कम, विकास पसंद नहीं विकास नजर आता नहीं है, हमारे वीरेन्द्र भाई भी अभी नहीं हैं जब सरावगी जी बोल रहे थे तो हमारे वीरेन्द्र भाई भी टोका-टोकी कर रहे थे और विपक्ष हमारा टोका-टोकी, रोका-रोकी और अपने में ठोका-ठोकी पर भी विश्वास करता है, एक ही काम और इसीलिए अटल जी ने कहा है महबूब भाई अटल जी ने कहा है कि

''छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।''

इसलिए विपक्ष जो है खड़ा नहीं होना चाहता है । कल और आज भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं लेकिन आंकड़े जो हैं वह वर्ष 2005 से पहले के आंकड़ा को लेकर उसको लेकर घूम रहे हैं ।

टर्न-19/सत्येन्द्र/26-2-21

श्री विजय कुमार खेमका(क्रमशः) और आज भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता नहीं आये हैं लेकिन आंकड़ा जो है, वह 2005 से पहले के आंकड़ा को लेकर उसको लेकर घुम रहे हैं, उसके बाद के जो आंकड़े हैं विपक्ष को नजर नहीं आता है । जानते हैं, अभी मैं देख रहा था रामानुज जी बहुत पुराने नेता है, हमलोग सीखते भी हैं आंकड़े को पढ़ते भी है लेकिन जो नया

आंकड़ा है जिसमें बिहार का विकास है और बिहार के विकास की चर्चा जो पूरे देश में हो रही है वह उनको नजर नहीं आता है। यह है हमारा विकास और यह है हमारे विपक्ष के लोग,सभापति महोदय, प्रदेश के हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर वर्ग में और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चारों ओर विकास की चर्चा है। पूर्णियां जो प्रमंडल है, वह सीमावर्त्ती क्षेत्र में है, महबूब जी क्या स्थिति थी उस समय क्या सड़कें थीं, हमारे वीरेन्द्र जी चले गये, उनका यहां कुटुम्ब हैं, जाते थे वहां लेकिन उनके यहां नहीं जा पाते थे । सभापति महोदय, आज शहर में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज किसी शहर में चले जाईए, चकाचक और चौड़ी सड़क मिलेगी। हमारे एक भाई कह रहे थे, समीर जी कह रहे थे कि चौड़ी सड़क चाहिए। सरकार ने निर्णय किया है बजट में प्रावधान किया है कि शहर की जो भी 22 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़कें है, पथ निर्माण विभाग उसे अधिग्रहण कर के उसे चौड़ी सड़क बनायेगा। पटना आज चमचमाता हुआ पटना है लेकिन अजीत जी हैं, भागलपुर भी कम नहीं है, आज कहां विकास नहीं हुआ है, मैं सिर्फ पूर्णियां की बात करूं, पूर्णियां प्रमंडल है और हमारे बिहार में भी 9 प्रमंडल है सभी प्रमंडलों में एन0डी0ए0 की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास करने का काम हुआ है। सभापति महोदय,यहां प्राईमरी एजुकेशन से लेकर पी0जी0 तक व्यवस्था हुई है, आज यूनिवर्सिटी हर जगह खुले हैं वहीं स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। क्या यह शहर का विकास नहीं है, क्या इसे विकास के चश्मे से नहीं देखेंगे। सभापति महोदय, आज अटल बिहार वाजपेयी जी की चतुर्भुज योजना पूरे देश में, खासकर बिहार में और बिहार के सड़कों को जोड़ने का काम हुआ है। हमारा भी जो पूर्णियां शहर है वह चतुर्भुज योजना से, सड़कों से जुड़ा हुआ है, अन्य भी जो शहर हैं वह भी जुड़े हुए हैं। सभापति महोदय, हमारे यहां उद्योग की बात करते हैं, आज शहर में उद्योग का जाल बिछा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पूर्णियां में रेशम उद्योग की चर्चा करने की काम किया है। सभापति महोदय लेकिन विपक्ष को विकास नजर नहीं आता है । आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां का विकास नहीं हुआ है और हम जो हैं ग्रीन पावर के क्षेत्र में बोल रहे हैं और पर्यटन के क्षेत्र में आज चारों तरफ विकास हुआ है। सभापति महोदय,सभी जगह फ्लाई ओवर की योजना बनी है, चौड़ी सड़कें बनाने की योजना बनी है और शहरों में अन्तर्राज्यीय और राज्यीय बस स्टैंड बनाने का भी प्रावधान बना है और अच्छी सड़कों के साथ-साथ फलाई ओवर से जाम मुक्त शहर बनेगा इसलिए इस सब का इस बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, और तो और छोड़िये, माक्ष सबको चाहिए जो हमारा शवदाह गृह है जिसे मोक्ष धाम के रूप में विकसित करने का काम, इस सरकार ने एन0डी0ए0 की सरकार ने उसकी भी चिन्ता करने का काम किया है लेकिन सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वह

भी महसूस करते हैं, शहर के हैं और ग्राम के भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका भी घर शहर में है लेकिन वह सच कहना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं । सभापति महोदय, हमारे यहां की देश में ही नहीं यहां की चर्चा पूरे विश्व में है। फनिश्वर नाथ रेणु जी ने विपक्ष के लिए ठीक ही कहा है उनकी दो पंक्ति पढ़कर मैं सिर्फ विपक्ष को याद दिलाना चाहता हूँ

जागो मन के सजग पथिकाओ,
आलस्य थकन के हारे मारे,
कब से तुम्हें पुकार रहे हैं
15 साल पुराने गीत तुम्हारे
गीत तुम्हारे इतने सारे।।

आपके जो 15 साल के कृत्य हैं, आपके जो गीत हैं उसके कारण बिहार के शहरों से पलायन हुआ, व्यवसायी हो या जो कोई भी वर्ग के हों, शहर से उनको जाना पड़ा और आपने ऐसी स्थिति बनायी कि व्यवसायी कम हो गये । मैं सिर्फ पूर्णियां की बात करूं तो पूर्णियां प्रमंडल में ही लगभग तीन दर्जन ऐसे राईस मिल थे जो उस 15 साल के जंगल राज में उनको बाहर जाना पड़ा। ऐसी स्थिति आप बनाने के काम किये थे लेकिन ये सरकार जो यहां आज उद्योग के क्षेत्र में उद्योग लगा रही है, कैसे हमारा कृषि क्षेत्र विकसित हो, कैसे किसानों को उपज का दोगुना मूल्य मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने चिन्ता किया है। सभापति महोदय, आज गोवंश की कैसे रक्षा हो, गांव में कैसे सोलर की व्यवस्था हो और कृषि शिक्षा का बढ़ावा हो इसकी भी चिन्ता हमारी सरकार ने करने का काम किया है।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) माननीय सदस्य, अब आपके पास मात्र 2 मिनट का समय बचा है।

श्री विजय कुमार खेमका: समय पर समाप्त कर दूंगा सभापति महोदय । सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र मखाना का क्षेत्र है, सीमावर्त्ती क्षेत्र है। यहां हमारे कई साथी बैठे हैं जो बात करते रहते हैं, अख्तरूल जी भी बात करते रहते हैं कि पूर्णियां को उप राजधानी बनाया जाय और क्यों बनाया जाय इसलिए कि वहां सारी व्यवस्था हो गयी है, पूर्णियां का विकास हुआ है वह एन0डी0ए0 की सरकार में हुआ है इसीलिए हम मांग करते हैं तो कोई खराब नहीं है,जायज मांग करते हैं लेकिन हम इस चीज को भी कहेंगे कि विकास हुआ है इसीलिए हम मांग करते हैं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) माननीय सदस्य, अब अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार खेमका: इसीलिए हम सदन में उपमुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृट करेंगे । सभापति महोदय मेरा समय अभी बाकी है, पांच मिनट का समय बाकी है। सभापति

महोदय मैं दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा। हमारा क्षेत्र मखाना का क्षेत्र है इसीलिए मैं उपमुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे यहां मखाना का अनुसंधान केन्द्र खोलना चाहिए जिससे पूरे बिहार का विकास होगा और लाभ मिलेगा और हमारे यहां कोशी, महानंदा और सौरा नदी है आज उसके सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता है इसलिए उसे नमामि गंगे से जोड़ने का भी मैं उपमुख्यमंत्री जी से आग्रह करने का काम करूंगा। शहर में कैसे सिवरेज ड्रेनेज के माध्यम से जलजमाव मुक्त शहर हो, उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। (क्रमशः)

टर्न-20/पुलकित-सुरज/26.02.2021

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार खेमकाः लेकिन मैं उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पूर्णिया में जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का डी0पी0आर0 बनकर तैयार है, उसकी स्वीकृति और उसमें फंड देने का अगर काम करेंगे तो निश्चितरूपेण जल जमाव की मुख्य जो समस्या है उससे पूर्णियां को निजात मिलेगा और अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, एक मांग करते हुए कि मुख्यमंत्री जी अभी नहीं है लेकिन उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना शहर के विकास के लिए फिर से चालू की जाय और महोदय, दूसरा जो हमारे यहां चुनाव होता है नगर निगम का, उसमें महापौर और उप महापौर का चुनाव भी जनता के माध्यम से हो और जनता उसको वोट देकर के करे और इसी के साथ एक बार पुनः विपक्ष को यह कहते हुए कि विपक्ष भी सत्ता के ही अंग है और हम काम करने वाले लोग हैं, हम मिलकर के बिहार का विकास करेंगे इसलिए अंत में कहूंगा, अटल जी ने जो कहा उसे गुनगुनाते हुए-

हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा,
काल के कपाल पर, लिखता मिटाता हूं,
गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं ।

जय बिहार, जय पूर्णियां ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव)ः माननीय सदस्य अखतरूल ईमान साहब, आपके पास 5 मिनट का समय है ।

श्री अखतरूल ईमानः सभापति महोदय, नगर विकास के प्रस्ताव पर अपने ख्याल के, इजहार के लिए हम खड़े हुए हैं, आपने मुझे मौका दिया, इसका हम शुक्रिया करते हैं । किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए यह पैमाना होता है कि शहरी आबादी कितनी है । तरकीयात देशों में यह देखा गया है कि वहां शहरों की आबादी 70 फीसद हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 फीसद लोग ही रहने लगे हैं लेकिन अब भी अपने देश में तकरीबन

70, 80, 85 फीसद लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं । यह हमारी बद्किस्मती है कि हमारे लोगों का विकास नहीं हो सका । दरअसल, अभी जिस मोजूं पर हमलोग बात कर रहे हैं हमारे शहर में दरअसल, हमारे राज्य के चेहरे की मानिंद है । आदमी के जिस्म के दूसरे हिस्सों में जख्म हो तो नहीं दिखता, अगर चेहरे पर जरा एक फुंसी भी हो तो दूर से दिख जाती है । आज शहर की हालत क्या है, सफाई की हालत क्या है, कचरे की हालत क्या है, ड्रेनेज की हालत क्या है ? हर बार जनता के गाढ़े खून-पसीने के पैसे खर्च किये जाते हैं लेकिन पटना जैसे शहर में भी जल-जमाव अब तक नहीं रोका जा सका है और यहां पर भी गंदगी का अंबार है, जिसको नहीं हटाया जा सका है तो जब यहां राजधानी में यह हालत है, तो कटिहार की हालत की गवाही महबूब भाई देंगे, अब चूंकि पार्टी कि बाध्यता है तो भाई खेमका साहब को गीत गाने हैं पार्टी के लेकिन पूर्णियां शहर में जो रहते हैं, तो नगरपालिका से हमेशा लड़ते रहते हैं सफाई क्यों नहीं हो रही है ? बाहर निकलेंगे तो हमारी भाषा बोलेंगे । मामला यह है कि शहर की सफाई और हमारे लिए ये मौका बड़ा अच्छा है कि इस वक्त नगर विकास के मंत्री भले ही आप पूर्णियां को उप राजधानी बनाने के पक्ष में न हो, लेकिन आपने जो उप मुख्यमंत्री हमें दिया है और देर सवेर उप राजधानी पूर्णियां बनेगी, हमको विश्वास है । भले ही खेमका जी, अभी मदद नहीं कर रहे हैं, अबकि बार जब पूर्णियां लौटेंगे तो तब इनको जनता बतायेंगी कि क्यों नहीं प्रस्ताव का साथ दिये थे । सीमांचल के सारे लोगों से मैं कहता हूँ । मैं दो-तीन बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मामला यह है कि आपने अभी 26.12.2020 को एक अधिसूचना जारी की है नगर विकास में और उसमें जो बहुत सारी म्युनिसिप्लेटी है उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बहुत सारे पंचायतों को नगर पंचायत करने का फैसला लिया हैं । मैं मुबारकवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि हमारे छोटे-छोटे शहरों का विकास हो रहा है । पंचायतों का विकास होकर अब नगर पंचायत बन रही है और नगरीय सुविधायें आप देना चाह रहे हैं, सरकार की इस मंशा की कद्र की जानी चाहिए लेकिन इरादे क्यों है ऐसे ? एक तरफ यहीं पर हम अगर कहें कि प्रशासनिक सुधार के लिए पिछले 20 सालों से लम्बित हैं कि 30-35 प्रखण्डों, पंचायतों के प्रखण्डों को विभाजित कर अलग प्रखण्ड बनाया जाय, आप सुनते नहीं हैं । 50 लाख की आबादी पर जिला है, उसको खंडित कीजिये । आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं मांगा और फिर भी आप पंचायत को नगर पंचायत बनाने के लिए तैयार हैं । मैं अपने क्षेत्र के अमौर पंचायत के बारे में कहना चाहता हूं, महोदय । अमौर पंचायत जो है, वह दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और 12 हजार की आबादी है , 75-80 फीसद लोग कृषक हैं वहां पर, आमदनी का कोई स्त्रोत नहीं है, कोई बाजार नहीं है और उसको आपने नोटिफाई कर दिया है नगर पंचायत के लिए क्यों ? वहां के लोगों ने कभी

दर्खास्त दी थी, कभी दर्खास्त तो नहीं दी थी अगर अमौर प्रखंड के लोगों ने दर्खास्त दी थी तो अमौर को विभाजित करके प्रखंड बनाने के लिए दिया था, मजगबा को प्रखंड बनाने के लिए दिया था, लेकिन आपको नगर पंचायत के लिए किसी ने नहीं मांगा । सौतेली मां का हाल यही होता है, बच्चा जब रोटी मांगे तो उसे खिलौना दे देती है । महोदय, यहां मामला इसी तरह का है । नगर पंचायत को नगर बनाने के लिए जो इन्होंने किया, 2007 का जो अधिनियम है उसमें यह था कि 75 प्रतिशत लोग गैर कृषक होंगे । आपने एक संशोधन लाया है अभी 2020 में उस संशोधन में चूंकि जनगणना में कृषकों के अलग आंकड़े नहीं थे तो फिर भी आपने मापदंड तय किया कि अधिकांश लोग वहां पर कृषि कार्य नहीं करने वाले हैं और क्योंकि यहां से आपने डायरेक्शन दे दिया डी0एम0 को कि नोटिफाई करो, डी0एम0 ने दे दिया सी0ओ0 को और सी0ओ0 बेचारा गरीब क्या करेगा, उसने असत्य रिपोर्ट लगा दी । वहां पर हमारी पंचायत के बारे में रिपोर्ट दे दी कि 44-47 कर्मी हैं यहां पर और जो मनरेगा कर्मी है । मैं चैलेंज करता हूं सरकार को की उस पंचायत में 85 फीसद लोग गांव में रहते हैं, अधिकांश लोग कृषक हैं और वहां पर सी0ओ0 ने रिपोर्ट दे दी कि 1050 लोग कृषि का काम करते हैं ये असत्य रिपोर्ट के आधार पर आप हमारे पंचायत को नगर पंचायत क्यों बनाना चाहते हैं ? आपने क्या विश्वास दिलाया, नगर पंचायत में क्या सुविधाएं मिलेगी ? स्ट्रीट लाइट मिलेगी, क्या मिलेगी ड्रेन में सफाई ? ड्रेन मिलेगा आपको । क्या होगा मशीन से सफाई की जाएगी यही न आपने कहा तो ड्रेन की जरूरत ही नहीं है । मेरे यहां सैलाब में तो मेरी बस्ती डूबी रहती है मेरे तो घर में चिराग नहीं तो, मेरी गलियों को चिराग की क्या जरूरत है ? और सफाई का मामला है तो उन कीचड़ों में मशीन से सफाई कहां से आप करेंगे इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की यह नीयत सिर्फ टैक्स को बढ़ाने की है । अभी जो वहां के गरीब लोग हैं सबलोग इकट्ठे हो गये और उसने पंचायत समिति से प्रस्ताव पारित कराया कि अगर इसको नगर बनाया जाये तो यह पंचायत कोई क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करता है क्यों बनाने के लिए जिद्द पर अड़े हैं ? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिस पर सीमांचल की मिट्टी का बड़ा कर्ज है और मैं समझता हूं कि किसी कमेटी को जांच के लिए नहीं बल्कि मैं सत्य के आधार पर कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने अमौर को खुद देखा है उनका हृदय, उनका दिल अगर गवाही देता है कि उस गरीब जनता पर बिना वजह के नगरीय टैक्स लगा दिया जाय । क्या करेंगे आप जब उसको नगर पंचायत बना देंगे तो उसकी होल्डिंग टैक्स बढ़ जाएगी, उसकी रजिस्ट्री की फीस बढ़ जाएगी वहां आप बस पड़ाव करके लोगों से वसूली करेंगे और सुविधा के नाम पर कुछ भी आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप विकास करें, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कराके नगर बनायें,

नगर नहीं, महानगर बनायें हम इसके लिए साधुवाद देना चाहते हैं लेकिन बेचारे जिस गरीब को रोटी और कपड़े की जरूरत है उनके सिर पर पगड़ी बांधने का काम मत कीजिए इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और गुजारिश है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं उससे भी कम में खत्म कर देता हूं । मैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये गुजारिश करूंगा कि जो नोटिफिकेशन वहां के आपके सरकारी कर्मचारियों के जरिए से गलत दिए गए हैं आपको दिगभ्रमित किया गया है, उसको निरस्त कीजिए और अमौर की जनता को, मजदूर जनता को जहां 25 फीसद कृषक हैं, मजदूर हैं उस पर नगरीय टैक्स लादने का काम मत कीजिए उसको पंचायत ही रहने दीजिए । हम आपसे नहीं मांगते हैं खिलौना, मुझे रोटी दे दीजिए । बहुत, बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत । आपके पास 13 मिनट का वक्त है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । जनता ने हमें तीसरी बार यहां आने का मौका दिया है । महोदय, 15 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि इसी सदन में नारा लगता था, तरह-तरह की बातें होती थीं, बड़ी खुशी मिलती है कि संजय सरावगी जैसे व्यक्ति आंकड़ा पेश करते हैं, यह संदेश हमारे नेता ने दिया है महोदय और बड़ा कम उम्र का एक लड़का जो राष्ट्रीय जनता दल के लीडर के रूप में है, विरोधी दल के नेता हैं और इनको बताया कि यह सदन छींटाकशी से अब नहीं चलेगा, आंकड़ों के खेल से चलेगा । ये बहुत अच्छी बात है अब सब लोग जो हैं आंकड़ा निकालने लगे हैं आप देखेंगे महोदय विधान सभा की लाइब्रेरी में बड़ी भीड़ होती है, इसके पहले वर्ष जब मैं था पिछली बार एक माननीय सदस्य को नहीं देखता था बहुत कम लोग जाते थे । यह बड़ी बहादुरी की बात है ।

(क्रमशः)

टर्न-21/मधुप/26.02.2021

...क्रमशः...

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय, हमको याद है, आप उस जमाने के हैं जब कर्पूरी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी हुआ करते थे, पता नहीं लोगों के मन में क्या है, लालू यादव का 15 साल, लालू यादव का 15 साल, इनको इतिहास पता नहीं है कि लालू यादव की उत्पत्ति कैसे हुई, नीतीश कुमार की उत्पत्ति कहाँ से हुई ? (व्यवधान) यह तो आप खुद भी बता सकते हैं कि 70-75 से 35 कैसे हुए । आपके मुँह से मैं सुन लेता तो हमको बड़ी खुशी होती ।

खैर, उस जमाने में लालू जी की उत्पत्ति हुई जब एक गरीब का बेटा, दलित का बेटा आपके कुँए का पानी नहीं पीता था, उस समय अपने कुँए का पानी आप नहीं पीने देते थे, चापाकल का पानी आप पीने नहीं देते थे, प्रखंड मुख्यालय पर आप जाने नहीं देते थे, थानाओं में जाने नहीं देते थे, उस गरीब के बेटा की उत्पत्ति हुई और इस बिहार का दलित जागा और वह ब्लॉक गया, थाना गया, आपकी बराबरी में कुर्सी पर बैठा। मुझे वह दिन भी याद है जब लोग किसी जाति विशेष के उपर आरोप लगाते थे कि अगर इनको देखोगे तो यात्रा खराब हो जायेगा । किसकी देन है यह ? आज उसी व्यक्ति को टिकट माँगने वाले लोग चरण स्पर्श करते हैं । यह लालू की देन है, यह किसी और की देन नहीं है । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई बातों को अगर किसी व्यक्ति ने जमीन पर उतारा तो वह लालू यादव है जो दूसरा अम्बेडकर का रूप है । आप चिल्लाते रहिए, कुछ होने-जाने वाला नहीं है, जितना मन है, चिल्लाइये । (व्यवधान) उसी का बेटा आंकड़ों के खेल में आपको उलझा रहा है और बड़ा परेशान हैं आप । कौन-सा व्यक्ति है, अगर इतिहास जानते हैं तो बता दीजिए, कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ा, वह जेल नहीं गया, बताओ । (व्यवधान) गरीबों की आजादी की लड़ाई लड़ा, देश की आजादी की लड़ाई में जो व्यक्ति शहीद हुए, आज हमारा नेता गरीबों और दलितों की लड़ाई में जेल में बंद है । आप चाहे जितना कह सकते हैं, कह लीजिए । महोदय, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ....

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें । नगर विकास विभाग पर बोलें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, लालू यादव के बाद.....

(इस अवसर पर पक्ष-विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्यगण, बैठ जायं । माननीय सदस्यगण, अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय, लालू यादव के.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, नगर विकास विभाग पर अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : लालू यादव का, हमने जो देखा देश में, महोदय....

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्यगण, सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय, हमने देखा फिल्म में, पिक्चर में हमने देखा था.... (व्यवधान) सुन लीजिए, दोबारा आइयेगा कि नहीं आइयेगा । सुन लीजिए ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी नहीं की जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, जब देश बँट रहा था हिन्दुस्तान और पाकिस्तान.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, नगर विकास पर बहुमूल्य सुझाव दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय, जब देश बँट रहा था, हमने फिल्मों में देखा और फिर देश आजादी की लड़ाई, मार्च के महीने में जब लॉक-डाउन हुआ, जब इस देश में लॉक-डाउन लगा तो हमने दूसरी आजादी की लड़ाई देखी, गरीबों और अमीरों की आजादी की लड़ाई देखी । दूसरी लड़ाई देखी, महोदय । एक दलित की बेटी, महोदय, आपको याद होगा, साइकिल से आ रही थी अपने पिता को लेकर और क्या मजा ले रहे थे ये लोग ? किसान, जब बिहार के गरीब का बेटा पैदल आ रहा था, बड़ा मजा ले रहे थे । एक हजार रूपया दे दिया खाते में, कहा कि हमसे बड़ा बहादुर किसी की सरकार नहीं है, हमने पैसा दे दिया । आप वेतन लेते हैं एक लाख और गरीब मजदूर किसान, उसके बेटे को एक हजार रूपया देकर आप एक साल से संतुष्टि दे रहे हैं... (व्यवधान) आप तो मत बोलिए मंत्री जी, आपका इलेक्शन में हमने देखा है आपका वीडियो क्लिप, वह भी मैंने देखा है । आप मत बोलिए ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, नगर विकास विभाग पर अपना बहुमूल्य सुझाव दें ।

श्री कुमार सर्वजीत : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी हैं डिप्टी सी0एम0 साहब, हमलोगों को लगता है कि अच्छे व्यक्ति हैं, काम करने की इच्छा है, कुछ सवाल है हमारा, जीतन राम माँझी जी यहाँ बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके दल से ज्योति माँझी जी भी बैठी हैं । महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आप जो भी पैसा माँग रहे हैं, एक उदाहरण देता हूँ, सरकार ने कहा कि हम गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, माँझी जी बैठे हैं, सरकार में हैं, गया जिला में सबसे ज्यादा आबादी मुसहर जाति की है, जरा बता दें हमको कि उस जिले में कितने मुसहर जाति के लोगों की जमीन की रसीद है । एक परसेंट भी नहीं है, महोदय । बोधगया में 19 वार्ड है, 19 वार्ड में अगर सबसे ज्यादा आबादी किसी की है तो वह महादलित में मुसहर जाति की है । आप योजना क्या चालू कर रहे हैं - मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना । बहुत अच्छा लगता है और नियम क्या रखा है कि ब्लॉक से एन0ओ0सी0 मिलेगा, नगर पंचायत में जमा होगा तो वह पैसा आपको मिलेगा । रसीद है नहीं उसके पास, जमीन के कागजात हैं नहीं उसके पास, कैसे पैसा मिलेगा ? उस योजना का लाभ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कैसे मिलेगा ? जरा हम जानना चाहते हैं । कैसे दीजिएगा आप उसको ? 100 में से 90 प्रतिशत बेचारा दलित और महादलित को इंदिरा

आवास की सुविधा नहीं मिलती है नगर पंचायत के अंदर । आप महल में रहते हैं, कौन करेगा गरीबों की बात ? दलित और महादलित बॉट दिये और एक बेचारा, बड़ा अफसोस लगता है, सभापति महोदय, देश का नेता बेचारा दलित का नेता रामविलास पासवान मर गए । XXX

(इस अवसर पर सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : असंसदीय टिप्पणी को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इनकी आदत नहीं गई । मुझे याद है... (व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : असंसदीय टिप्पणियॉ जो उचित नहीं हैं, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय.... (व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्यगण, अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूँ....

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, दूसरा.... (व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्यगण से आग्रह है कि वे अपना आसन ग्रहण करें। मैंने कहा है कि असंसदीय टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय । माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय, मैं संजय सरावगी जी की व्यवस्था की पोल खोल दूँ क्या ?

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आसन की तरफ मुखातिब होइये माननीय सदस्य ।

श्री कुमार सर्वजीत : मैं उनकी व्यवस्था का पोल खोल दूँ क्या ?

XXX आसन के आदेशानुसार इस अंश को विलोपित किया गया ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर मुखातिब होकर बोलें ।

श्री कुमार सर्वजीत : सुनना चाहते हैं आप ? खोलवा दूँ क्या ? खोल दूं ? (व्यवधान) बैठिये । महोदय, उनकी बात पर, उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाया, मैं एक दलित का बेटा हूँ, इसी सदन में हमारे पिताजी थे, चार बार एम0एल0ए0, सांसद, सुनील जी यहॉ पर बैठे हैं, मंत्री हैं अभी, गया में डी0आई0जी0 थे, एक दलित के पिता की हत्या हुई, डी0आई0जी0 साहब ने न्याय नहीं दिया, इनकी सरकार ने न्याय नहीं दिया । बबलू जी के भाई की

हत्या हुई, सी0बी0आई0 की जॉच हो गई, राजो सिंह की हत्या हुई, सी0बी0आई0 की जॉच हो गई । क्या आपकी सरकार में एक दलित का बेटा मारा जायेगा, क्या उसको जॉच का अधिकार है कि नहीं है ? ये व्यवस्था की बात करते हैं ? दलित होना आपके राज में अपराध है और आप बात व्यवस्था की करते हैं ? दलित की पीड़ा आपने देखा है कभी? कभी नहीं देखा ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, नगर विकास विभाग पर अपना बहुमूल्य सुझाव दें ।

श्री कुमार सर्वजीत : मत बोलिए । आपके मंत्री जी बैठे हैं, जवाब पूछ लीजिए, डी0आई0जी0 थे ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय समाप्त होते जा रहा है, माननीय सदस्य ।

श्री कुमार सर्वजीत : इसलिए व्यवस्था पर बात मत करिए । बहुत सारी चीजें अंदर छुपी हुई हैं, खोलना शुरू करूँगा तो पूरा का पूरा पर्दा हट जायेगा ।

टर्न–22/अभिनीत/अंजली/26.02.2021

(व्यवधान)

(इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण खड़े होकर बोलने लगे)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्यगण, अपना–अपना आसन ग्रहण करें । शांति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र जी बैठ जाइये । जनक जी, बैठ जाइये । सभी लोग बैठ जायं। राघवेन्द्र जी, बैठ जाइये । भाई वीरेन्द्र जी, माननीय सदस्य की बात सुनें । बोलिए।

श्री कुमार सर्वजीत: महोदय, हम मंत्रीजी से मांग करते हैं कि पूरे बिहार में..

अध्यक्ष: शालीनता से सुनें । गंभीरता से सुनें।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत: अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी आती है, चूंकि अब पहले वाला राज नहीं है, दलित भी सीखेगा न बोलना...

अध्यक्ष: आप अपनी बात को, भावना को रखें सबको अच्छा लगेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत: महोदय, हम माननीय मंत्रीजी से मांग करते हैं कि वैसे जिला जहां पर दलित, महादलित परिवार रहते हैं जिनके पास परवाना नहीं है, जमीन का कोई कागजात नहीं है उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे मिलेगा इसकी व्यवस्था सरकार करे । शहर के अंदर जो फुटपाथी सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं उनको भी हमने देखा है कि...

अध्यक्ष: अब थोड़ा कन्क्लूड करें । संक्षिप्त करें चूंकि आपका समय समाप्ति की ओर है ।

श्री कुमार सर्वजीत: जी । महोदय, उनको भी हमने देखा है कि पुलिस आती है, डंडे से मारती है, हम चाहते हैं कि फुटपाथियों के लिए अलग से एक मार्केट की व्यवस्था हो जहां पर वे फल की दुकान, सब्जी की दुकान लगा सकें । हम बोध गया से आते हैं महोदय, प्राय: किसी न किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं और बेचारे गरीबों, ठेला पर बेचने वालों को लाठी-डंडे खाते हैं और उनकी झोपड़ियां उजड़ती हैं, सरकार इनके लिए व्यवस्था करे । महोदय, रैंकी कंपनी आयी, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनियेगा बोध गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है । रैंकी कंपनी ने 100 करोड़ रूपये के सीवरेज का काम किया, एक कमेटी अपने विभाग से बनाकर उसकी जांच करा लीजिए । बुडको, बुडको का मतलब लूटको हमलोग डिफिनेशन देते हैं । 100 करोड़ रूपया कहां गया और सीवरेज चालू हुआ कि नहीं हम आग्रह करेंगे की इसकी जांच हो।

महोदय, एक चीज और हमने देखा है कि कोविड- 19 के चलते बिहार के पर्यटक उद्योग पूर्ण रूप से समाप्त हो गये हैं । बोध गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेस में 100 में से 90 ऐसे होटल हैं जिसमें ताला लगा हुआ है ।

अध्यक्ष: कोरोना के कारण ।

श्री कुमार सर्वजीत: जी महोदय, कोरोना के कारण । सरकार उसके लिए क्या करना चाहती है ? महोदय, वहां पर एक-एक करोड़ की एक बस है और खड़ी है ।

अध्यक्ष: ठीक है । ध्यान आकृष्ट कर लिए अब बैठ जाइये । अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए जल्दी से ।

श्री कुमार सर्वजीत: महोदय, लास्ट एक चीज कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर एक व्यवस्था की थी, मंदिरों में घटना घटी थी जिसके बाद चारों तरफ से बैरियर लगाया गया था और बजाप्ता उन्होंने जिला के मीटिंग में कहा कि जितने भी एरिया में बैरियर लगाई गई है उसको हमलोग अलग से कनेक्टिविटी देंगे । बोधगया नगर पंचायत की शिथिलता को लेकर आज तक हमें इस तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं दी गई...

अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत: हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि बोध गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और उसका विकास कैसे होगा इसको देखा जाय ।

अध्यक्ष: श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी: मैं सत्ता पक्ष की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रतिनिधि के तौर पर बोलने का समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । साथ-ही, बिहार में विकास की नई इबारत लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं सरकार में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता श्री जीतनराम मांझी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

आज बहस चल रही है, बातें आ रही हैं, दलित-महादलित के विकास की बातें आ रही हैं और उपमा दिया जा रहा है कि अमुक व्यक्तियों के कारण, फलाने व्यक्तियों के कारण आज महादलित जगे हैं । हम मोटे-मोटे तौर पर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिसने पढ़ा और जिसने गढ़ा बी0आर0 अम्बेदकर को उसने आज विकास के पथ पर आगे आने का काम किया है । हम धन्यवाद देना चाहेंगे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने शहरी विकास के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं को चलाकर, लोगों के बसावटों को बनाने का काम किया है । जहां तक पेयजल की बात है, वहां भी इन्होंने नल-जल योजना के तहत लोगों को पानी पिलाने का काम किया है, सबमरसिबल लगाने का काम किया है ।

आवास की बातें आ रही हैं, सभी जगहों में स्लम एरिया का चयन कर उन लोगों का सर्वे कराकर, बहुमंजिला बिल्डिंग बनाकर उसमें बसाने की योजना चलाई जा रही है । साथ ही साथ आज जो नली और गली की बातें कर रहे हैं, हम देखते हैं कि बिहार के बहुत सारे शहर चकाचौंध हो गये हैं । लोग जब चलते हैं तो देखते हैं कि जहां रात का अंधेरा रहता था वहां आज दिन का दिवाली बना हुआ है । साथियों, आप देखते होंगे और जानते भी हैं कि, अब जब शहर की बातें आ रही हैं, जहां तक गंदगी की बातें हैं तो घर-घर, डोर-टू-डोर कचड़ा उठाकर उसका निष्पादन कराने का कार्य चलाया जा रहा है । बहुत सारी बातें हैं जिनको बताने के लिए हमको देखना पड़ता है, हम देखते हैं और बातें करते हैं । जब साफ पेयजल के संबंध में शहरीकरण की बातें आती हैं । अभी हाल में सरकार ने बहुत सारे छोटे शहरों को नगर पंचायत और नगर परिषद का दर्जा देने का काम किया है । शनैः शनैः उसका विकास किया जायेगा, वहां भी स्ट्रीट लाईट लगाये जायेंगे, गंदे पानी को निकालने के लिए स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। सरकार द्वारा नगर पंचायतों के लिए अलग से बजट लाकर विकास का काम किया किया जा रहा है । महोदय, हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो शनैः शनैः विकास हो रहा है, हम उस पर एक बात कहकर, हम बहुत ज्यादा बात करने के लिए खड़ा नहीं हुये हैं, बहुत कम शब्दों में हम कहेंगे -

'' इब्तिदा ए इश्क है रोता है क्या
आगे-आगे देखिये होता है क्या ।''

महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं ।

अध्यक्षः श्री अजय कुमार । एक मिनट ।

श्री अजय कुमारः महोदय, हर समय मैं आग्रह करता हूं दो मिनट । महोदय, मैं विपक्ष की तरफ से कटौती प्रस्ताव जो रखा गया है उसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं । आज एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी सत्ता पक्ष के लोग बहुत ही गर्मजोशी के साथ कह रहे थे कि ग्रामीण

इलाकों को शहर से जोड़कर, उसको नगर परिषद, पंचायत परिषद में जोड़कर विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि शायद बैलगाड़ी में मोटर लगाने की बात की जा रही है । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि गांव के अंदर जो इलाके शहर से सटे हुए हैं, जिनकी जिंदगी कृषि पर आधारित है, वहां किसानों की अवस्था बहुत ही दयनीय है ।

...क्रमशः...

टर्न-23/आजाद/26.02.2021

..... क्रमशः .....

श्री अजय कुमार : बावजूद इसके मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ कि दलसिंहसराय नगर परिषद् को विकसित करके उसमें जो जोड़ा जा रहा है रामपुर, जलालपुर, इसमें मैं वार्ड सं0-1 से 5 तक का नाम कह रहा हूँ, वहां की 80 फिसदी जनता कृषि पर आधारित है । मालपुर का गौसपुर की जनता 90 फिसदी कृषि पर आधारित है । कमरा और ठेपुरा का 13, 14 एवं 15 नम्बर वार्ड सिर्फ वहां किसानी करने वाले लोग हैं फिर कैसे उसको आप नगर परिषद् में जोड़ रहे हैं । जोड़ने का मतलब क्या है, सिर्फ जो किसान मर रहे हैं उनको जोड़कर के उनसे आप टैक्स वसूल करें । इसके लिए अगर उनसे टैक्स वसूल करना है तो पूरे बिहार को आप शहर बना दीजिए और टैक्स वसूल कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है, आपकी नीयत पर आपत्ति है, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । जो कहते हैं वो कीजिए, वह नहीं किया जा रहा है । दूसरी बात मैं कह रहा हूँ ....

अध्यक्ष : अब आप कह चुके, बैठ जाइए ।

श्री अजय कुमार : एक मिनट सर । मैं एक मिनट बोल रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। अभी शहर के अन्दर ...

अध्यक्ष : दो मिनट हो गया ।

श्री अजय कुमार : महोदय, अभी शहर के अन्दर जल की व्यवस्था के संबंध में बात कहते हुए लोग पीठ थपा-थपा रहे थे । मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, समस्तीपुर जो नगर परिषद् क्षेत्र है, 20 करोड़ रू0 की लागत से वहां पानी के लिए पाईप लाईन बिछाई गयी है । विगत 6 महीने से एक बूँद पानी उससे नहीं गिर रहा है । कौन है जिम्मेदार, 20 करोड़ रू0 के लिए कौन जवाबदेह है, क्या सरकार जॉच करायेगी, उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि आप समस्तीपुर के नल-जल शहर के अन्दर जो हुआ है, आप उसकी जॉच कराकर देखिए, 6 महीने से वहां पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है .....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, आवास के मुद्दे पर समस्तीपुर के अन्दर जो गरीब लोग रहते हैं, गरीब को हटा दीजियेगा तो शहर नहीं बचेगा । शहर की व्यवस्था कौन करेगा और वहां जो लोग हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था इनके पास नहीं है । जो लोग शहर में रहते हैं, उनके लिए मैं आवास की व्यवस्था की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, 4 मिनट आपका समय बचा हुआ है ।

श्री अजीत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार द्वारा जो द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज नगर विकास विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है, उस पर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

महोदय, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाकर इस तरह से बार-बार अनुपूरक प्रस्तुत करने पर कहना चाहूंगा । वित्तीय वर्ष 2020-21 का यह दूसरा अनुपूरक है, सामान्य तौर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यह सरकार प्रत्येक सत्र में एक-एक अनुपूरक यानी कुल तीन अनुपूरक बजट प्रस्तुत करती रही है । इसलिये अनुपूरक के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि राज्य का बजटरी सिस्टम बिल्कुल ही ध्वस्त है । बजट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये इसका उल्लेख बजट मैनुअल में है । बजट बनाने, उसका प्रत्यर्पण, अनुपूरक उपबंध आदि की व्यवस्था के लिये दिशा-निर्देश बजट मैनुअल में है । बजट मैनुअल के अनुसार निम्नांकित बातों से बचा जाना चाहिये :

(1) अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक उपबंध
(2) उपबंध में से बचत/अतिरेक
(3) अप्रयुक्त उपबंध
(4) लगातार बचत
(5) विवेकहीन पुनर्विनियोग
(6) अंतिम दिन बचतों का अभ्यार्पण और बची धनराशियों का अभ्यर्पण नहीं होना।

उपर्युक्त बिंदुओं के अवलोकन से ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि राज्य में बजट मैनुअल का पालन नहीं होता है, जैसे-तैसे बजट बना दिया जाता है जिसके कारण मूल बजट का पुनरीक्षण किया जाता है और खर्च कभी-कभी वास्तविक से भी कम होता है । बचत की राशियों का प्रत्यर्पण 30-31 मार्च को किया जाता है।

राज्य सरकार ने एक बाजीगरी की है कि प्रायः सभी कार्य विभागों में एक निगम बना दिया गया है जिसमें राशि स्थानांतरित कर दी जाती है और उसे खर्च मान लिया जाता है । यह स्थिति किसी भी राज्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती । यदि आपको मनमाने ढंग से काम करना है तो फिर बजट मैनुअल को निरस्त कर देना चाहिये

अथवा इसी वित्तीय वर्ष से सरकार यह निश्चय करे कि बजट मैनुअल का पालन हर स्थिति में अवश्य किया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब आप संक्षिप्त कीजियेगा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी 2015 में चयनित हुआ है । पूरे बिहार की आप हालत देख लीजिए । अभी मैं भागलपुर शहर का उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि वहां 300 करोड़ रू0 की नल-जल की योजना चल रही है । एक भी घर में पानी का नल नहीं चल रहा है, सारे गलियों एवं सड़क को खोद दिया गया है, इसको कोई देखने वाला नहीं है । नगर आयुक्त का दिसम्बर में ट्रांसफर हुआ है और आज तक वहां पर नगर आयुक्त की पोस्टिंग नहीं हुई है तो आप विकास की बात भागलपुर शहर का क्या कर सकते हैं ?

अध्यक्ष : चलिए अंग का रंग दिखाई पड़ा, अब आप बैठ जाइए ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, जिस तरह से दिल्ली, मुम्बई में पार्षदों को विकास के लिए अपना फंड होता है, वैसा ही भागलपुर नगर निगम में सभी पार्षदों को दीजियेगा, तभी वहां पर विकास हो पायेगा । दूसरी बात जिस तरह से विधायक का चुनाव होता है, उसी तरह से आप मेयर का चुनाव करें ताकि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि मेयर हो और इससे आपका नगर विकास विभाग अच्छे तरह से काम करेगा । माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री भी हैं । भागलपुर शहर को लोग देखते हैं, यह सिल्कनगरी है, कर्ण की धरती है, कृपया इसकी ओर जरूर ध्यान देंगे, नहीं तो जॉच कराकर देख लीजिए कि वहां पर क्या लूट मची हुई है । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्रीमती मंजू अग्रवाल, आपका पॉच मिनट का समय है । गागर में सागर भरिए ।

श्रीमती मंजू अग्रवाल : जी महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि सम्राट अशोक भवन का निर्माण शेरघाटी नगर पंचायत में अभी तक नहीं हुआ है और यहां पर शहरी नली-गली योजना देखने लायक है । कहीं पर नली में ढक्कन नहीं है और वार्ड नं0-5, 6 में नली का पानी बह रहा है और वहां गन्दगी पड़ा हुआ है । मैं कहना चाहूँगी कि डॉ0 बी0 भट्टाचार्य क्लीनिक वेस्ट पटेलनगर, पटना रोड नं0-15 में अभी देखने लायक है । 15-20 वर्षो से रोड का निर्माण नहीं हुआ है और वहां पर पॉलिथीन से अभी भी गन्दगी कूड़ा पसरा हुआ रहता है । इर्द-गिर्द में रोड को देख लिया जाय, वहां पर दो-तीन बार बन चुका है और जब नगरपालिका का यह हाल है महोदय .....

अध्यक्ष : चलिए क्षेत्र की भी बात को रख दें, समय कम है ।

श्रीमती मंजू अग्रवाल : जी सर । हमारे क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुआ है, हमारे यहां दलितों-महादलितों के लिए अभी तक आवास की व्यवस्था नहीं की गई है और उन लोगों को अतिक्रमण में हटा दि गया है । वहां पर बसस्टैंड के लिए जो वादा किया गया है लेकिन अभी जो बसस्टैंड है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है । वहां पर यात्रियों को बरसात के मौसम में जाने में दिक्कतें होती हैं । वहां पर रिंग रोड की व्यवस्था में अभी विलम्ब हो रही है। वहां हमेशा शेरघाटी नगर में जाम लग जाती है और हमेशा लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है । स्वास्थ्य विभाग का रेफरल अस्पताल वहां पर सिर्फ रेफर कर दिया जाता है और वहां पर कोई भी व्यवस्था उचित नहीं है । वहां पर लोग आते हैं तो वहां से भगा दिया जाता है।

..... क्रमशः .....

टर्न-24/धिरेन्द्र-यानपति/26.02.2021

(क्रमशः)

श्रीमती मंजू अग्रवाल : महोदय, वहां पर लोग अगर प्रसव के लिये भी रात में जाते हैं तो पैरवी अगर हो जाता है तो वह ठीक है, नहीं तो कोई भी गरीब-गुरबा पर ध्यान नहीं दिया जाता है । चाहे आपका सी0ओ0 हो या आपका थाना प्रभारी हो कोई भी किसी की बात नहीं सुनता है, महोदय ।

अध्यक्षः अब संक्षिप्त करिये, विषय हो गया । कंक्लूड कर लीजिये, एक मिनट में ।

श्रीमती मंजू अग्रवालः जी महोदय ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगी कि शहरी जो व्यवस्था है वह अच्छी होनी चाहिये और हमारे मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये कि जो भी काम वहां पर होना चाहिये, वहां समुचित विकास नहीं हो पा रहा है और शहरी आवास का, जो अभी ढिंढोरा पीट रहे हैं कि नहीं वहां सभी को दिया जा रहा है लेकिन वहां पर आप देख लें घूसखोरी इतना बढ़ा हुआ है कि शहरी नगर में अगर किसी को कॉलोनी देना है तो उसके लिये जो पैसा देता है महोदय, उसका होता है और जो गरीब....

अध्यक्षः बैठ जाइये ।

श्रीमती मंजू अग्रवालः पैसा नहीं देता है, उसे नहीं दिया जाता है । मैं चाहूंगी कि गरीबों पर भी ध्यान दिया जाय ।

अध्यक्षः ठीक है । श्री राणा रणधीर । कृपया 4:30 बजे से सरकार का उत्तर है, इसलिए कम शब्दों में पूरी बात को रखें ।

श्री राणा रणधीरः अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के विरोध में और द्वितीय अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं अपने नेता आदरणीय तारकिशोर

प्रसाद जी, माननीया रेणु देवी जी और सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं, मधुबन की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिसके आर्शीवाद से मुझे यह सौभाग्य मिला है । अध्यक्ष महोदय, इस कालखंड में यह बड़ा अच्छा अवसर बना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विजनरी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी विजनरी हैं और यह संयोग बना है कि अब सत्रहवीं विधान सभा में हमारे जो वित्त मंत्री हैं, वही शहरी विकास मंत्री भी हैं । मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कुछ पंक्तियों के साथ कि-

''जबसे चले थे राह में मंजिल पर नजर थी,
रास्ते में मील के पत्थर नहीं मिले
और फलक की जिद है, जहां बिजलियां गिराने की,
सरकार की जिद है वहीं आशियां बनाने की''

कई मित्रों ने चर्चा की, मैं विपक्ष के मित्रों को सुन रहा था । हमारे मित्र भाई सर्वजीत जी, हमलोग साथ पढ़े हैं, उन्होंने अपना दर्द भी उड़ेला है सदन में लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार एन0डी0ए0 की सरकार है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करनेवाली सरकार है । यह सरकार 'दलित देवो भव:' को माननेवाली सरकार है, और यह सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसने गांव की सड़कों को चौड़ी सड़क विजन की बात है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू करनेवाली सरकार है।

हम सब गांवों से चुनकर आनेवाले लोग हैं, हमलोग बाढ़ वाले इलाके के लोग हैं, मैं चंपारण की धरती से आता हूं जो महात्मा गांधी की धरती है । उसी धरती ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया और आज जब स्वच्छता की चर्चा होती है अध्यक्ष महोदय, तो महात्मा गांधी ने स्वच्छता को देवता की श्रेणी दी है और आज यही स्वच्छता अभियान शहरों की जान-शान बना हुआ है । इसी कालखंड में यह आया, पटना शहर में हम सब सुबह-सुबह सुनते हैं कि 'गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल' कचरा निकालने की जो परंपरा है और यह गाना भी हम सुनते हैं । यह सरकार चुनौतियों को अवसर में बदलती है और किस तरह से बदलती है मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, इसके प्रमाण हैं । मैं प्रमाण देता हूं ललित भैया, मैं प्रमाण देता हूं ।

महोदय, पटना शहर में जल-जमाव हुआ था । मैंने कहा कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री और राज्य को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो समस्याओं को जड़ से पकड़ता है । जैसे भैंस की सींग पकड़कर चढ़ने की जो परिपाटी है, वह परिपाटी हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री में है और इसलिये मैंने कहा कि अगर समस्या है तो उसके जड़ में जायेंगे, पटना शहर को मेट्रो रेल और न केवल योजना-रचना बनायी, बल्कि वर्ष

2024 में, पटना में 22 कि0मी0 मेट्रो रेल बनकर तैयार होनेवाला है अध्यक्ष महोदय । यह सरकार....

बुलेट ट्रेन भी आयेगी...., आपका स्वागत है आप सुझाव तो दीजिये, आप सुझाव दीजिये, आपका यह अधिकार है, आप सुझाव दीजिये सुजय भाई ।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे बड़े भाई श्री संजय सरावगी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से, डाटा की चर्चा करते हुए बताया । यह सरकार जो पटना मेट्रो रेल बनाने वाली सरकार है । नमामि गंगे योजना के तहत कार्य करने वाली सरकार है, गंगा मईया को साफ करने वाली सरकार है, गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत पटना...

नहीं आप देख लीजिये न, यह जानने और समझने वाली बात है । सच को प्रमाण की जरूरत नहीं है ।

आज जिस विजन, जिस सोच के तहत हमलोग ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आज किस तरह से बजट बढ़ा है, तीन गुना, 4 गुना, 10 गुना । मेट्रो रेल आई, आई0एस0बी0टी0 302 करोड़ रुपये से बनकर पटना शहर में तैयार है । दीन दयाल उपाध्याय जी के और अटल अमृत योजना, हम सबको यह जानना चाहिये, देश के जिस यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न, प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने गांव के लिए पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना शुरू कराई तो शहरों के लिये अमृत योजना और अमृत योजना को, हम सबको जानना चाहिये कि अटल कायाकल्प और नगर रूपांतरण योजना शुरू कराई उन्होंने और उसके तहत शहरों, स्मार्ट सिटी जैसी योजना । माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन और यह थॉट कि हम शहरों को स्मार्ट बनाने का काम करेंगे और आज हमारे राज्य के 4 शहरों का चयन हुआ है जिसको स्मार्ट शहर के रूप में वहां काम किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, एक पंक्ति बोलते-बोलते याद आ गई, दोहरा देता हूँ कि:

''यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
एक जुनून सा दिल में जगाना होता है,
पूछा जो चिड़ियाँ से... कैसे बना आशियाना ?
बोली - भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार
तिनका-तिनका उठाना होता है ।''

बदलाव और डेवलपमेंट दोनों सतत् प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस जर्नी जिसको कहते हैं, वह प्रक्रिया है । आप धैर्य रखिये, इत्मीनान रखिये, यह सरकार अपने वादे को पूरा करने वाली सरकार है, यह सरकार प्रखर राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को परम शिखर तक पहुँचाने वाली सरकार है, यह सरकार स्किल

डेवलपमेंट को लाने वाली सरकार है और यह सरकार हमारे गांवों के साथ-साथ हमारे शहरों को आत्मनिर्भर करने वाली सरकार है । दीन दयाल उपाध्याय जी के स्किल डेवलपमेंट सोच को, भारत की सभ्यता और संस्कृति रही है, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली संस्कृति, आत्मनिर्भरता की संस्कृति और इस संस्कृति को बढ़ाने वाली सरकार है ।

अध्यक्ष महोदय, समय हो गया होगा तो बता दीजियेगा, मैं समाप्त कर दूंगा ।

यह जानना चाहिये, हमारे देश में हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, बिहार का, भारत का और इस गौरवशाली अतीत में, हमारे यहां भगवान राम आये, भगवान कृष्ण आये, आचार्य चाणक्य आये और उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की और उसी आत्मनिर्भरता की बात को, उसी स्किल डेवलपमेंट की बात को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट जैसा मंत्रालय बना कर, उसको स्थापित करने का काम किया है । हमारे जो नौजवान होते थे । 16 साल, 18 साल का गांव में रहने वाला नौजवान, शहर में रहने वाला नौजवान स्वाभाविक रूप से उसके अंदर स्किल होता था । कोई लकड़ी का सामान बनाता, कोई लोहे का सामान बनाता, कोई मिट्टी का सामान बनाता और हमारे गांव, हमारे शहर आत्मनिर्भर होते थे । इस सरकार की योजना है, इस प्रकार का विजन है कि आने वाले समय में हम अपने नौजवानों को आत्मनिर्भर बनायेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनायेंगे और आत्मनिर्भर बिहार बनायेंगे । अध्यक्ष महोदय, इसी योजना के साथ हम सब काम कर रहे हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से उनका नेतृत्व है, मार्गदर्शन है और इस देश में जिस तरह से चीजें हुई हैं, गरीबो के लिए । अध्यक्ष महोदय, इसी देश ने देखा है वर्ष 2014 के बाद, इसी देश में 10 करोड़ शौचालय बनाये गये, 8 करोड़ माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर भी दिया गया और इसी राज्य में आपदा प्रबंधन जैसी चीज बाढ़ और सूखा आने पर उनके खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से पैसा पहुँचाने का भी काम इसी कालखंड में हो रहा है, अध्यक्ष महोदय । इसलिए, सरकार के सामने चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां आती रहेंगी, उसको स्वीकार भी करती है, उस पर कड़े निर्णय भी करती है, कड़े फैसले भी करती है और जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखने का काम करती है, अध्यक्ष महोदय । शहरों को जिस तरह से बेहतर बनाया जा सकता हैख्र

अध्यक्ष महोदय, समय है न ...

अध्यक्ष : समय समाप्त है, कनक्लूड करिये ।

श्री राणा रणधीर : जी, अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । गांव में जैसे स्ट्रीट लाईट लगाना, सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था, शहरों में मोक्ष धाम और विद्युत शवदाह गृह की भी स्थापना करना, ड्रेनेज सिस्टम...

बताता हूँ भाई साहब, मच्छर भी भगायेंगे, जल-जमाव भी हटायेंगे और शहरों में बढ़िया-बढ़िया सिस्टम देकर, शहर को भी अच्छा बनायेंगे

अध्यक्ष : बैठे-बैठे मत बोलिये ।

श्री राणा रणधीर : यह तो डेवलपमेंट सतत् प्रक्रिया है मित्र, अभी करके दिखायेंगे, अभी तो शुरूआत है और मैंने जैसा कहा है, आप सुन लीजिये । अब कनक्लूड करता हूँ, अध्यक्ष महोदय का भी इशारा हो रहा है । अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पंक्तियों के माध्यम से कनक्लूड करता हूँ कि :

''उन्हें यह गुमान है कि हमारी उड़ान कम है,
लेकिन हमें यह यकीन है कि सरकार के लिये आसमान कम है''

हम करके दिखायेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, अब सरकार का उत्तर होगा ।

टर्न-25/शंभु/26.02.21

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा ।

(व्यवधान)

अब आपको क्या हुआ ?

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय नगर परिषद् है और नगर परिषद् को नगर निगम बनाने के लिए.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद,उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद के क्रम में माननीय सदस्य.....

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

आप लिखकर नहीं दिये जो लिखकर देते हैं, कहां मेरे पास आया है । अच्छा आप एक मिनट बोल लीजिए और हर बार लिखकर दीजिएगा तभी हम बुलायेंगे। एक मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने जो बड़ी लंबी-लंबी बातें कही है ।

अध्यक्ष : आप अपनी बात कहें, एक मिनट का समय है आपके पास ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : आज हम सुझाव देना चाहते हैं नगर विकास विभाग को यह जानकारी देना चाहते हैं कि बेगूसराय जिला के बखरी नगर पंचायत का जो जॉच हुआ है उसको मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ उस जॉच पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष : आपका सुझाव आ गया अब आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी, प्रारंभ करें ।

सरकार का उत्तर

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री संजय सरावगी, श्री संतोष मिश्रा, डा0 रामानुज प्रसाद, श्री गुंजेश्वर साह, श्री सुदामा प्रसाद, श्री विजय कुमार खेमका, श्री अख्तरूल इमान, श्री कुमार सर्वजीत, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, श्री राणा रणधीर, श्री सूर्यकान्त पासवान जी ऐसे सभी तमाम अपने माननीय सदस्यों का सुझाव आया है । उन्होंने अपने वक्तव्य में जिन सुझावों का जिक्र किया है उसपर राज्य सरकार की क्या कार्ययोजना है उस संबंध में मैं अपनी बात रख रहा हूँ । कुछ अपने माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बातें भी की है, लेकिन वे अपने शहर और गलियों की बात करते तो हम ज्यादा लाभान्वित होते और उसको दुरूस्त करने में आवश्यक कार्रवाई करने में मुझे बेहतर सुझाव मिलता । महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सरकार को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के माध्यम से विधान सभा के समक्ष राशि की अनुमति हेतु क्यों आना पड़ा।

महोदय, आप अवगत हैं कि बिहार विधान मंडल ने वर्ष 2020-21 के बजट में नगर विकास एवं आवास विभाग हेतु 7 हजार 213 करोड़ 71 लाख 54 हजार रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन सरकार अपने नये कार्यक्रमों, जनकल्याण से संबंधित योजनाओं को पूर्ण करने तथा अपने नागरिकों को उसके नगरीय जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुनः द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के माध्यम से कुल 2379 करोड़ 48 लाख 9 हजार रूपये मात्र स्वीकृति का अनुरोध है । महोदय, आप अवगत हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार राज्य में कुल शहरी आबादी मात्र 1 करोड़ 13 लाख है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 11.3 प्रतिशत है जबकि देश में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का अनुपात 31.2 प्रतिशत है । अतएव हमारी सरकार ने राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है तथा इसके लिए विभिन्न जिलों में नये नगर पंचायत क्षेत्र का गठन, नये नगर परिषद् क्षेत्र का गठन और वर्तमान नगर पंचायत का नगर परिषद् में उत्क्रमण तथा वर्तमान नगर निकाय का क्षेत्र विस्तारण किये जाने हेतु प्रस्ताव पर विचारोपरान्त 100 नये नगर पंचायतों का गठन 8 नये नगर परिषदों का गठन, 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद् में उत्क्रमण, 5 नगर परिषद् का नगर निगम में उत्क्रमण एवं 12 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तारित करने का निर्णय लिया है । इस प्रकार राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या 12 से बढ़कर 18, नगर परिषद् की संख्या 49 से बढ़कर 83 एवं नगर पंचायतों की संख्या 81 से बढ़कर 157 हो

जायेगी । अर्थात् कुल नगर निकायों की संख्या 142 से बढ़कर 258 हो जायेगी । इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य की शहरी जनसंख्या 1 करोड़ 13 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 59 लाख हो जायेगी तथा राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात 11.3 से बढ़कर 15.28 प्रतिशत होगा । महोदय, हमारी सरकार के निर्णय से राज्य के शहरीकरण में बढ़ोत्तरी होगी ही साथ ही इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा । उन क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान हो सकेगी तथा केन्द्रीय संसाधनों में राज्य के हिस्सेदारी की भी वृद्धि होगी । महोदय, आप अवगत हैं कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना कार्यान्वित की जा रही है । राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आयोजन हेतु बहुद्देशीय नगर भवन के रूप में 96 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण की योजना की स्वीकृति की जा चुकी है । शेष नगर निकायों में योजना की स्वीकृति की कार्रवाई भी हम करने जा रहे हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु 106 नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का कार्य भी प्रारंभ हुआ है जिसमें 83 नगर निकायों में शत प्रतिशत स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कर दिया गया है, शेष काम प्रगति पर है । इस बीच में हमने जो डबल एस्सेल कंपनी के साथ एक बड़ी बैठक भी की है, शेष जगह जो कार्य लंबित है उन सारे कार्यों को नियत अवधि के अंदर उसको पूर्ण करने का हमने निदेश दिया है । भागलपुर, मोकामा, सिमरिया घाट, पहलेजा घाट एवं मुंगेर में अवस्थित विद्युत् शवदाह गृहों के जीर्णोद्धार की योजना की स्वीकृति हमने दी है । नगर परिषद् सीतामढ़ी तथा नगर पंचायत रिविलगंज में विद्युत् शवदाह गृह निर्माण योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है । राज्य में कुल 38 बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है जिसमें 28 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 4 बस स्टैंड निर्माण का कार्य प्रगति पर है, शेष 6 जिले में योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं । जल जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत नगर निगम दरभंगा के 9 तालाबों तथा मुजप्फरपुर के 3 तालाबों के उड़ाहीकरण की स्वीकृति भी हमने प्रदान की है । स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर, पटना, मुजप्फरपुर एवं बिहार शरीफ का प्रस्ताव स्वीकृत है । इसके तहत प्रत्येक शहर के पांच वित्तीय वर्ष में कुल 1 हजार करोड़ की राशि आवंटित की जायेगी इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी 50/50 के अनुपात में है । नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत कुल 30 सिवरेज योजना, दो घाट निर्माण की योजना तथा दो बायो रेमेडियेशन की योजना स्वीकृत है । इसके अतिरिक्त राज्य की राजधानी पटना में गंगा नदी तट विकास योजना के तहत एक योजना स्वीकृत है । इस प्रकार इस योजना अन्तर्गत कुल

35 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है । सभी नगर निकायों में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जाना है । साथ ही वेंडिंग प्रक्षेत्र को सुव्यवस्थित भी करना है । इसके लिए राज्य के सभी फुटपाथ विक्रेताओं का आर्थिक विकास होगा साथ ही नगरीय यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा । इस योजना के अन्तर्गत 13 नगर निकायों से कुल 56 विक्रय स्थल वेंडिंग जोन का प्रस्ताव प्राप्त है जिसमें से 24 विक्रय स्थलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । क्रमशः.....

टर्न-26/हेमंत-राहुल/26.02.2021

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः (क्रमशः) जिसमें से 24 विक्रय स्थलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 32 विक्रय स्थल/वेंडिंग जोन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, इसके अतिरिक्त 4 वेंडिंग जोन में फुटपाथी विक्रेताओं को स्थल उपलब्ध कराया जा चुका है । अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग ने आने वाले वर्षों में कुछ कार्यक्रय तय किए हैं, राज्य के शहरों में रह रहे बेघर, भूमिहीन गरीब लोगों को, बहुमंजिला भवन बनाकर आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों को वहां पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, सभी शहरों में स्ट्रार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिससे वहां जल जमाव की कोई समस्या न हो, बिहार में छठ पूजा की महत्ता के आलोक में एवं अन्य कार्यों हेतु हम राज्य के सभी प्रमुख सार्वजनिक तालाबों एवं नदियों के घाटों पर सीढ़ी घाट तथा वस्त्र प्रक्षालन केन्द्र बनाये जायेंगे । सभी प्रमंडलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी निर्माण करेंगे । राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा विशिष्ट धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र, बस अड्डे, बाजार, निगम के कार्यालयों इत्यादि पर जन सुविधा केन्द्र, शौचालय, स्नानागार एवं पेयजल की व्यवस्था हेतु निर्माण कराया जाएगा । हम राज्यों में कुछ स्थानों पर ग्रीनफिल्ड टाउनशिप की स्थापना करने जा रहे हैं । पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा, हाजीपुर इत्यादि में भी हम रीवर फ्रंट परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं । महोदय, आप सभी की बहुत पुरानी मांग थी कि नगर निकाय के सभी पार्कों का रखरखाव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कराया जाएगा । महोदय, सभी नगर निकायों में लोक सेवा के अधिकार का काउंटर आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ किया जाएगा । महोदय, इसी सदन में ग्रीन बजट को अलग से पेश किया जाएगा, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा की थी, विगत वित्तीय वर्ष में कोरोना के कारण यह बजट पेश नहीं हो पाया था । महोदय, नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना

अन्तर्गत सितंबर–अक्टूबर माह 2019 में अतिवृष्टि के कारण पटना शहर में जल–जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण शहर को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ था, उक्त जल जमाव के कारणों को जानने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, उक्त समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आलोक में पटना शहर के जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु 22 स्थानों पर नए ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन के अधिष्ठापन की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके लिए देनदारी की राशि आवंटित की जानी है जिस हेतु द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से 135 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है । पटना शहर में जाम की समस्या के समाधान हेतु अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके आलोक में पटना शहर में अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड योजना स्वीकृत की गयी, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है । इस योजना के लिए देनदारी की राशि आवंटित की जानी है उक्त के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत बस स्टैंड निर्माण तथा सम्राट अशोक भवन निर्माण योजना की देनदारी हेतु नागरिक सुविधा मद में कुल 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है । महोदय, वर्तमान में कई शहरों में कचरा फेंकने के लिए लैंडफिल साइट नहीं है, पटना, मुजफ्फरपुर आदि कुछ शहरों को छोड़कर यत्र–तत्र कचरा फेंकने की बाध्यता थी । माननीय एन0जी0टी0 द्वारा लैंडफिल साइट तथा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग यूनिट नहीं रहने पर कठोर कार्रवाई करने का आदेश है, इसके लिए बाजार दर पर जमीन क्रय कर लैंडफिल साइट बनायी जानी आवश्यक है । नगर निकायों में लैंडफिल साइट क्रय तथा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हेतु एक सौ करोड़ रुपया का अतिरिक्त उद्व्यय प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है । महोदय, केन्द्र प्रायोजित योजना अमृत के अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 21 नगर निकायों में जल आपूर्ति योजना, 3 नगर निकायों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना एवं 27 नगर निकायों में पार्क विकास योजना कार्यान्वित है । इस योजना के लिए 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा, 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा एवं 20 प्रतिशत राशि संबंधित नगर निकायों द्वारा वहन की जानी है । अमृत योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि एवं इसके अनुपातिक राज्यांश की राशि एक माह के अंदर योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त की जानी है, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा कुल 685 करोड़ 93 लाख रुपया विमुक्त किया गया है, जिसके अनुपातिक राज्यांश की राशि 419 करोड़ 58 लाख 70 हजार रुपया होता है । वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश मद में 480 करोड़ रुपये एवं राज्यांश मद में 130 करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्राप्त था, जिसका व्यय योजना के

कार्यान्वयन पर किया जा चुका है । योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु राशि विमुक्त की जानी आवश्यक है ।

अतः जनहित में योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश मद में 205 करोड़ 93 लाख रुपये एवं राज्यांश मद में 289 करोड़ 59 लाख रुपये द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है । महोदय, सबके लिए आवास योजना अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य के सभी नगर निकायों मे लागू है । इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के सभी पात्र लाभुकों को मिशन अवधि 2015-22 तक पक्का आवास उपलब्ध कराना है । योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में गृह निर्माण हेतु प्रति आवास 1.50 लाख रुपया केन्द्रांश में एवं 50 हजार रुपया राज्यांश लाभुक के बैंक खाता में दिया जाना है । इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 3 लाख 37 हजार 685 आवास स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 31,469 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्रांश एवं राज्यांश की कुल 1 हजार 545 करोड़ 96 लाख रुपया का व्यय सूचित है । योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केंद्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त किया जाना आवश्यक है ।

अतः जनहित में राज्यांश मद में 51 करोड़ 54 लाख रुपया द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है । महोदय, पटना मेट्रो रेल परियोजना बिहार राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है । इस परियोजना के कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत प्रथम चरण के दो कॉरिडोर के स्टेशनों के निर्माण हेतु स्थायी एवं अस्थायी भूमि के साथ डिपो के लिए चयनित भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है । उक्त कार्यों हेतु द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से कुल 200 करोड़ रुपया का अतिरिक्त उद्व्यय प्राप्त करने का सदन से अनुरोध है । अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत विभिन्न मदों मे कुल 1347.4209 करोड़(एक हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़ बयालीस लाख नौ हजार रुपये) द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से स्वीकृत करने का मैं सदन से अनुरोध करता हूं । महोदय, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय किस्त की राशि में से कुल 638.27980 करोड़ रु0 (छः सौ अड़तीस करोड़ सताईस लाख अठानवे हजार रु0) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जा चुका है । विदित हो कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य वित्त आयोग मद की राशि आवंटित की जानी है, जिसके लिए पूर्व वित्तीय वर्ष के निमित्त उक्त व्यय की गई राशि कुल 638.27980 करोड़ रु0 (छः सौ अड़तीस करोड़ सताईस लाख अठानवे हजार रु0) मात्र का अतिरिक्त उद्व्यय प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है । महोदय, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य में अवस्थित छावनी परिषदों को राशि आवंटित की जानी है । छावनी परिषद् के लिए बजट शीर्ष नहीं

होने के कारण नया बजट शीर्ष खोलते हुए टोकन राशि के रूप में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से दो हजार रु0 का अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है । महोदय, राज्य के नगर निकायों में कार्यरत नगर प्रबंधकों के बकाए मानदेय के भुगतान हेतु द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से कुल 1.90 करोड़ रु0(एक करोड़ नब्बे लाख रु0) का अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है । महोदय, राज्य के नगर निकायों में कार्यरत कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि के भुगतान द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से कुल 5 करोड़ रु0 का अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है । महोदय, नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना के अंतर्गत नगर निवेशन संगठन में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मचारी के बकाए वेतनादि के भुगतान हेतु द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से कुल 20 लाख रु0 का अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है । महोदय, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण में कार्यरत माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के बकाए वेतनादि के भुगतान हेतु द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से कुल 164.09 लाख रु0 (एक करोड़ चौसठ लाख नौ हजार रु0) का अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है ।

क्रमशः

टर्न-27 एवं 28/ राजेश-संगीता-मुकुल / 26.02.2021

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री, (क्रमशः) : महोदय, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (REAT) में कार्यरत माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के बकाए वेतनादि के भुगतान हेतु द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से कुल रू॰ 164.09 लाख (एक करोड़ चौसठ लाख नौ हजार रू॰) का अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है ।

महोदय, राज्य के विभिन्न नगर निकायों में बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से कुल रू॰ 700.00 करोड़ (सात सौ करोड़ रू॰) का अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है ।

महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु कार्यालय मद में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से कुल रू॰ 40.00 लाख (40 लाख रू॰) का अतिरिक्त उद्व्यय का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि मांग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग के लिये स्कीम तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत कुल रू॰ 2379.4809 करोड़ (दो हजार तीन सौ उनासी करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार रू॰) मात्र रूपये पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें तथा माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ से अनुरोध करता हूं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें ।

महोदय, अभी विभिन्न माननीय सदस्यों ने नगर के विकास के लिए जिस प्रकार से सुझाव दिये और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बिहार के नगरीय विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, उठाये जायेंगे, इसलिए मैंने विस्तार से चर्चा की, जिससे माननीय सदस्य बेहतर ढंग से इन चीजों को जानें कि किस-किस मदों में क्या-क्या राशि सरकार को खर्च करनी पड़ती है । मैं अपने माननीय सदस्य, जिन्होंने समीर कुमार महासेठ जी ने नगर विकास एवं आवास विभाग से बड़ी अपेक्षा की है, उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं और यह उम्मीद भी की है कि यह सरकार आने वाले दिनों में आवश्यक कदम उठायेगी । जब इतनी सारी उम्मीदें आपने पाली हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो कटौती प्रस्ताव है, उसको वापस लेकर सरकार द्वारा और विभाग द्वारा जो आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं और ऐसे कदम जिन्होंने आप उसकी अपेक्षा की है उसको पूरा करने में हम सफल होंगे ।

महोदय, अंत में ''मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं''।

इन्हीं बातों से हम अपेक्षा करेंगे कि माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सी0पी0एम(माले) के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन से बाहर चले गये)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठः महोदय, हम तो बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि पूरा सदन .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है किः

''इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटायी जाये ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं । प्रश्न यह है किः

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान का नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या-2 अधिनियम 2020 एवं बिहार विनियोग संख्या-3 अधिनियम 2020 के उपबंध के अतिरिक्त 23,79,48,09,000/- (तेईस

अरब उन्यासी करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2020 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त:-

मांग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 2,68,93,46,000/-(दो अरब अड़सठ करोड़ तिरानवे लाख छियालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 11,39,00,000/- (ग्यारह करोड़ उन्तालीस लाख) रुपये,

मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 2,000/- (दो हजार) रुपये

मांग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 1,42,00,000 /- (एक करोड़ बयालीस लाख) रुपये

मांग संख्या-07 निगरानी विभाग के संबंध में 1,000 /-(एक हजार) रुपये

मांग संख्या-08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 1,60,02,000 /-(एक करोड़ साठ लाख दो हजार) रुपये

मांग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 5,16,34,77,000 /-(पांच अरब सोलह करोड़ चौतीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या-10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 8,43,12,20,000/-(आठ अरब तेंतालिस करोड़ बारह लाख बीस हजार) रुपये

मांग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 58,47,61,000/- (अठ्ठावन करोड़ सैंतालीस लाख ईकसठ हजार) रुपये

मांग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 29,30,01,000/-(उन्नीस करोड़ तीस लाख एक हजार) रुपये

मांग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 19,60,83,37,000/-(उन्नीस अरब साठ करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार) रुपये

मांग संख्या-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 3,32,78,88,000/- (तीन अरब बत्तीस करोड़ अठ्हत्तर लाख अठ्ठासी हजार) रुपये

मांग संख्या–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 1,91,53,57,000/– (एक अरब इक्यानवे करोड़ तिरपन लाख संतावन हजार) रुपये

मांग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 22,80,42,50,000/– (बाईस अरब अस्सी करोड़ बयालीस लाख पचास हजार) रुपये

मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग के संबंध में 12,41,21,71,000/– (बारह अरब इकतालीस करोड़ इक्कीस लाख इक्हत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–22 गृह विभाग के संबंध में 38,88,52,000/– (अड़तीस करोड़ अठ्ठासी लाख बावन हजार) रुपये

मांग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में 49,92,40,000/– (उनचास करोड़ बानवे लाख चालीस हजार) रुपये

मांग संख्या–25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 11,00,00,000/– (ग्यारह करोड़) रुपये

मांग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 17,49,000/– (सत्रह लाख उनचास हजार) रुपये

मांग संख्या–27 विधि विभाग के संबंध में 13,51,23,000/– (तेरह करोड़ ईकावन लाख तेईस हजार) रुपये

मांग संख्या–29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 2,65,00,000/– (दो करोड़ पैंसठ लाख) रुपये

मांग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 94,76,08,000/– (चौरानवे करोड़ छिहत्तर लाख आठ हजार) रुपये

मांग संख्या–31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 4,83,70,000/– (चार करोड़ तिरासी लाख सत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 58,01,25,000/– (अठ्ठावन करोड़ एक लाख पच्चीस हजार) रुपये

मांग संख्या–35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 80,00,00,000/– (अस्सी करोड़) रुपये

मांग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 7,68,03,00,000/– (सात अरब अड़सठ करोड़ तीन लाख) रुपये

मांग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 10,00,00,00,000/–(दस अरब) रुपये

मांग संख्या–39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 21,23,00,00,000/– (इक्कीस अरब तेईस करोड़) रुपये

मांग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 3,42,19,65,000/– (तीन अरब बयालीस करोड़ उन्नीस लाख पैंसठ हजार) रुपये

मांग संख्या–41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 4,70,00,00,000/– (चार अरब सत्तर करोड़) रुपये

मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 18,90,75,66,000/– (अठारह अरब नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख छियासठ हजार) रुपये

मांग संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 27,84,77,000/– (सताईस करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–46 पयर्टन विभाग के संबंध में 21,16,00,000/– (इक्कीस करोड़ सोलह लाख) रुपये

मांग संख्या–47 परिवहन विभाग के संबंध में 42,36,71,000/– (बयालीस करोड़ छत्तीस लाख ईकहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–49 जल संसाधन विभाग 10,75,56,81,000/– (दस अरब पचहत्तर करोड़ छप्पन लाख ईक्यासी हजार) रुपये

मांग संख्या–50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 6,42,75,00,000/– (छः अरब बयालीस करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये

मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 4,49,51,73,000/– (चार अरब उनचास करोड़ ईकावन लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

विधायी कार्य

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''बिहार विनियोग विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई । माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद,उप मुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''बिहार विनियोग विधेयक, 2021 पर विचार हो । ''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''बिहार विनियोग विधेयक, 2021 पर विचार हो । ''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब मैं खंडश: लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार विनियोग विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक-24 फरवरी, 2021 को उपस्थापित किया गया । द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में 19,370 करोड़ 3 लाख 25 हजार रुपये की राशि प्रावधान के लिए प्रस्तावित की गई है । द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी 2020-21 में कुल प्रस्तावित राशि 19,370 करोड़ 3 लाख 25 हजार रुपये, वार्षिक स्कीम मद में 9,530 करोड़ 27 लाख 7 हजार रुपये, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रवृत्त सहित 9,399 करोड़ 98 लाख 58 हजार रुपये एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 439 करोड़ 77 लाख 60 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है । महोदय, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी तनावपूर्ण एवं चुनौती भरा रहा है । सम्पूर्ण देश के साथ बिहार में भी आर्थिक, सामाजिक एवं व्यापारिक गतिविधियां थम सी गई थीं । सरकार की प्राथमिकता आम आदमी के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा के लिए सर्वोपरि रही है । अध्यक्ष महोदय, द्वितीय अनुपूरक आगणन वर्ष 2020-21 में मुख्य प्रावधान कोविड-19 महामारी से रक्षा हेतु एवं प्राकृतिक आपदा, अत्यधिक वर्षा के कारण जान-माल की हुई क्षति की पूर्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 4,604 करोड़ 20 लाख 51 हजार रुपये की राशि जिसकी द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्रतिपूर्ति अत्यधिक वर्षा के कारण सड़कों की मरम्मत हेतु 1,400 करोड़ रुपये एवं केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की राशि के समानुपातिक राज्यांश की राशि 6,599 करोड़ 23 लाख 61 हजार रुपये की राशि प्रत्यर्पण के विरुद्ध प्रस्तावित की गई है । महोदय, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य को वर्ष 2020-21, 2021 के अंत तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक की सीमा में रखना है । वार्षिक स्कीम मद में अतिरिक्त उद्व्यय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में द्वितीय अनुपूरक में प्रस्तावित राशि को शामिल करने तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश मंद में तथा केन्द्रीय सहायता अनुदान में प्राप्त होने वाली राशि को संशोधित करने के उपरांत राजकोषीय घाटा 80556 करोड़ 29 लाख 37 हजार रुपये का है, जो संशोधित राज्य सकल घरेलू उत्पाद 6 लाख 86 हजार 146 करोड़ रुपये का 12.47 प्रतिशत होता है । यह संशोधित राजकोषीय घाटा के निर्धारित अधिसीमा 5 प्रतिशत से अधिक है । स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा वार्षिक स्कीम में चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रत्यर्पण होने वाली राशि के आलोक में राजकोषीय घाटा की निर्धारित

अधिसीमा 5 प्रतिशत के अंतर्गत रखने का प्रयास किया जायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग विधेयक–2021 द्वारा कुल 19 हजार 370 करोड़ 3 लाख 25 हजार रुपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है । विनियोजन राशि में 46 करोड़ 21 लाख 3 हजार रुपये प्रवृत्त है । कुल प्रस्तावित राशि में राजस्व मद में 16 हजार 34 करोड़ 69 लाख 3 हजार रुपये एवं पूंजीगत मद में 3,335 करोड़ 34 लाख 22 हजार रुपये है । महोदय, द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग विधेयक–2021 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । सदन से अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक–2021 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनि मत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

''बिहार विनियोग विधेयक–2021 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक–2021 स्वीकृत हुआ ।

टर्न–29/सत्येन्द्र/26.02.2021

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बजट सत्र का प्रथम सप्ताह आज पूरा हुआ । इस दौरान जिस शालीनता, उत्साह और गंभीरता के साथ सदन चलाने में आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग रहा उसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय मुख्यमंत्री और सभी माननीय मंत्रिगण द्वारा पूरी तत्परता के साथ प्रश्नों के जवाब ससमय उपलब्ध कराए गए इसके लिए उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ ।

कोरोनाकाल में आहार–विहार में परिवर्तन, खान–पान, रहन–सहन में परिवर्तन हुआ है । यह सदन पूरे बिहार की जनता को संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में जनता के प्रति इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के पुजारी सजगता के साथ काम करते रहेंगे।

मेरी कामना है कि अगले सप्ताह हमलोग इसी शालीनता के साथ शुरूआत करें। बहुत–बहुत धन्यवाद ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 फरवरी, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 25 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2021 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....